मैनुवल संख्या–11

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2026]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

2252-Rural Development Commissioner

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-019 - ग्राम्य विकास

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम
003-प्रशिक्षण
00-कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)

00--
03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)

2 5 1 5 0 0 0 0 3 0 3 0 0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	5,76,89,178	5,76,89,178	50,06,187	5,76,89,178	100%	-	
02-मजदूरी	4,77,989	4,77,989	1,02,756	4,77,989	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	3,28,56,139	3,28,56,139	29,04,357	3,28,56,139	100%	-	
04-यात्रा व्यय	1,78,910	1,78,910	71,425	1,78,910	100%	-	
06-अन्य भत्ते	34,78,167	34,78,167	2,93,265	34,78,167	100%	-	
08-पारिश्रमिक	9,39,920	9,39,920	1,12,850	9,39,920	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	12,30,050	12,30,050	2,44,057	12,30,050	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	3,870	3,870	870	3,870	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	2,11,552	2,11,552	33,740	2,11,552	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8,09,462	8,09,462	1,15,263	8,09,462	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	3,44,723	3,44,723	54,475	3,44,723	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-	-	-	0%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	13,31,376	13,31,376	1,53,870	13,31,376	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	18,89,178	18,89,178	1,35,020	18,89,178	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,12,941	1,12,941	28,900	1,12,941	100%	-	
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	4,22,243	4,22,243	89,928	4,22,243	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	4,54,480	4,54,480	3,14,233	4,54,480	100%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	-	
51-अनुरक्षण	66,33,246	66,33,246	4,68,246	66,33,246	100%	-	
कुल योग	**10,90,66,424**	**10,90,66,424**	**1,01,32,442**	**10,90,66,424**		-	

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2026]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

2252-Rural Development Commissioner

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-019 - ग्राम्य विकास

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम
102-सामुदायिक विकास
00-अधिष्ठान

00--
03-जनपद/ विकास खण्ड अधिष्ठान

2	5	1	5	0	0	1	0	2	0	3	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	97,02,10,538	97,02,10,538	8,31,21,890	97,02,10,538	100%	-	
02-मजदूरी	15,74,134	15,74,134	2,06,852	15,74,134	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	55,16,09,812	55,16,09,812	4,78,87,538	55,16,09,812	100%	-	
04-यात्रा व्यय	64,48,792	64,48,792	26,18,496	64,48,792	100%	-	
06-अन्य भत्ते	7,11,85,959	7,11,85,959	59,55,063	7,11,85,959	100%	-	
08-पारिश्रमिक	80,99,158	80,99,158	9,37,821	80,99,158	100%	-	
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,46,861	1,46,861	-	1,46,861	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	10,69,740	10,69,740	5,46,841	10,69,740	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	1,55,479	1,55,479	69,380	1,55,479	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	59,92,606	59,92,606	15,79,097	59,92,606	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	29,71,571	29,71,571	11,56,210	29,71,571	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	65,40,527	65,40,527	20,91,031	65,40,527	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	90,704	90,704	6,085	90,704	100%	-	
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	4,33,993	4,33,993	1,83,613	4,33,993	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	99,99,493	99,99,493	-	99,99,493	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	49,47,676	49,47,676	12,81,325	49,47,676	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	13,04,723	13,04,723	2,85,875	13,04,723	100%	-	
28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	1,39,29,820	1,39,29,820	1,39,29,820	1,39,29,820	100%	-	
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	82,61,413	82,61,413	16,66,828	82,61,413	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	10,69,683	10,69,683	4,71,151	10,69,683	100%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	89,998	89,998	49,016	89,998	100%	-	
51-अनुरक्षण	99,48,135	99,48,135	73,08,548	99,48,135	100%	-	
कुल योग	**1,67,60,80,815**	**1,67,60,80,815**	**17,13,52,480**	**1,67,60,80,815**		-	

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2026]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

2252-Rural Development Commissioner

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-019 - ग्राम्य विकास

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम
102-सामुदायिक विकास
00--

00--
32-गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान

2	5	1	5	0	0	1	0	2	3	2	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	4,11,94,342	4,11,94,342	33,51,450	4,11,94,342	100%	-	
02-मजदूरी	70,000	70,000	16,000	70,000	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	2,32,70,032	2,32,70,032	18,83,683	2,32,70,032	100%	-	
04-यात्रा व्यय	3,91,269	3,91,269	2,76,096	3,91,269	100%	-	
06-अन्य भत्ते	31,94,314	31,94,314	3,24,494	31,94,314	100%	-	
08-पारिश्रमिक	44,64,930	44,64,930	11,09,676	44,64,930	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	25,650	25,650	25,650	25,650	100%	-	
11-अनुसन्धता सम्बन्धी व्यय	46,001	46,001	37,380	46,001	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	7,93,485	7,93,485	2,61,031	7,93,485	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,13,795	3,13,795	2,60,995	3,13,795	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	7,01,731	7,01,731	2,31,442	7,01,731	100%	-	
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	63,894	63,894	48,002	63,894	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	19,99,677	19,99,677	8,31,226	19,99,677	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	4,75,915	4,75,915	2,00,608	4,75,915	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,81,969	3,81,969	1,03,575	3,81,969	100%	-	
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	29,85,429	29,85,429	6,48,916	29,85,429	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	2,26,097	2,26,097	1,47,240	2,26,097	100%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	1,08,512	1,08,512	70,974	1,08,512	100%	-	
51-अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**8,07,07,042**	**8,07,07,042**	**98,28,438**	**8,07,07,042**		-	

मैनुवल संख्या–12

▪ विभाग में संचालित योजनायें

केन्द्र पोषित योजनायें

- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
- आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- वाईब्रन्ट विलेज कार्यक्रम
- राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना प्रोग्राम फण्ड
- सांसद निधि

राज्य सेक्टर योजनायें

- विधायक निधि
- मेरा गांव मेरी सड़क योजना
- इन्दिरा अम्मा भोजनालय
- मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना (आर.बी.आई.)
- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना
- हाउस ऑफ हिमालयाज

जिला सेक्टर योजना

- सामुदायिक विकास (जिला विकास भवन, विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवन)

बाह्य सहायतित परियोजना

ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (ग्रामोत्थान)

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक में स्वीकृत धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

माह 31 मार्च 2026

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निकर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						केन्द्र पोषित योजनाएं							
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (केन्द्रांश)	9992.48	5165.81	4275.01	19433.30	9992.470	2405.000	401.910	12799.380	9992.470	2405.000	401.910	12799.380
	—"— राज्यांश	1110.28445	573.99	470.40	2154.67	1110.27445	267.22223	44.65666	1422.15334	1110.274	267.222	44.657	1422.153
	योग NRLM	11102.764	5739.80	4745.41	21587.97	11102.74445	2672.22223	446.56666	14221.53334	11102.744	2672.222	446.567	14221.533
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (केन्द्रांश)	281.07000	132.310	119.710	533.090	281.060	67.640	11.300	360.00000	281.060	67.640	11.300	360.000
	—"— राज्यांश	31.24444	14.710	13.310	59.26444	31.22888	7.51556	1.25556	40.00000	31.229	7.516	1.256	40.000
	योग MKSP	312.314	147.020	133.020	592.354	312.289	75.156	12.556	400.00000	312.289	75.156	12.556	400.000
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजान्तर्गत स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम	1200.410			1200.410	1200.400	0.000	0.000	1200.400	1200.400	0.000	0.000	1200.400
	—"— राज्यांश	133.39000			133.39000	133.37778	0.00000	0.00000	133.37778	133.37778	0.00000	0.00000	133.378
	योग SVEP	1333.800	0.000	0.000	1333.800	1333.778	0.000	0.000	1333.778	1333.77778	0.000	0.000	1333.778
4	स्वंय सहायता समूह महिला एवं परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण	816.950			816.950	791.410	0.000	0.000	791.41000	791.41000			791.410
	—"— राज्यांश	20.43111			20.43111	0.000	0.000	0.000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	योग	837.381	0.000	0.000	837.381	791.410	0.000	0.000	791.410	791.410	0.000	0.000	791.410
	महायोग	13586.260	5886.820	4878.430	24351.510	13540.221	2747.378	459.122	16746.721	13540.221	2747.378	459.122	16746.721
5	पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (केन्द्रांश)	1000.560	952.480	155.000	2108.040	1000.550	257.450	155.000	1413.000	1000.550	257.450	155.000	1413.000
	—"— राज्यांश	434.470	105.840	17.23222	557.542	111.172	28.606	17.222	157.000	111.172	28.606	17.222	157.000
	योग DDUGKY	1435.030	1058.320	172.232	2665.582	1111.722	286.056	172.222	1570.000	1111.722	286.056	172.222	1570.000
6	प्रधानमंत्री आवास योजना (केन्द्रांश)	6026.840	9308.530	1432.090	16767.460	0.400	0.300	0.300	1.000	0.400	0.300	0.300	0.111
	—"— राज्यांश	795.610	1034.290	158.618	1988.518	0.044	0.033	0.033	0.111	0.044	0.033	0.033	0.111
	योग PMAY-G	6822.450	10342.820	1590.708	18755.978	0.444	0.333	0.333	1.111	0.444	0.333	0.333	1.111
7	एन.आर.ई.जी.ए. (केन्द्रांश)	17741.650	5628.760	888.760	24259.170	14142.581	1650.3400	260.5800	16053.50100	14142.581	1650.340	260.580	16053.501
	एन.आर.ई.जी.ए. (राज्यांश)	4758.370	1876.260	296.260	6930.890	4714.15967	550.51333	86.8600	5351.16699	4714.194	550.113	86.860	5351.167
	योग नरेगा	22500.020	7505.020	1185.020	31190.060	18856.775	2200.453	347.440	21404.668	18856.775	2200.453	347.440	21404.668

	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्राक्कलित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय / शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
	नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद (100 प्रति0के0पी0)	3000.0100	0.000	0.000	3000.0100	2836.500	0.000	0.000	2836.500	2836.500	0.000	0.000	2836.500
	—"— राज्यांश	0.0100	0.000	0.000	0.0100	0.000	0.000	0.000	0.000				
	योग नरेगा प्रशासन	3000.0200	0.0000	0.0000	3000.0200	2836.5000	0.0000	0.0000	2836.5000	2836.5000	0.0000	0.0000	2836.5000
	नरेगा योजनान्तर्गत सी0एफ0पी0 (100 प्रति0के0पी0)	210.0100	0.000	0.000	210.0100	122.99000	0.00000	0.00000	122.9900	122.9900	0.000	0.000	122.990
	—"— राज्यांश	0.0100	0.000	0.000	0.0100	0.0000	0.000	0.000	0.0000	0.0000			
	योग सी0एफ0पी0	210.0200	0.0000	0.0000	210.0200	122.9900	0.0000	0.0000	122.9900	122.9900	0.0000	0.0000	122.9900
	नरेगा योजनान्तर्गत यू0एन0एन0एफ0टी0आई0 (100 प्रति0के0पी0)	0.020	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—"— राज्यांश	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग यू0एन0एन0एफ0टी0आई0	0.030	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग **NREGA**	25710.090	7505.020	1185.020	34400.130	21816.265	2200.453	347.440	24364.158	21816.265	2200.453	347.440	24364.158
8	उत्तराखण्ड समाजिक अवक्षेण, जगावदेही एवं पारिदर्शिता अभिकरण (उसाटा)	1000.010	0.000	0.000	1000.010	235.480	0.000	0.000	235.480	235.480			235.480
	—"— राज्यांश	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग उसाटा	1000.020	0.000	0.000	1000.020	235.480	0.000	0.000	235.480	235.480	0.000	0.000	235.480
9	राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयत्रों की स्थापना(100%के स)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (90 प्रति.के.पो.) (केन्द्रांश)	90000.010	0.000	0.000	90000.010	47298.000			47298.000	47298.000	0.000	0.000	47298.000
	—.— राज्यांश	10000.010	0.000	0.000	10000.010	8961.000			8961.000	8961.000	0.000	0.000	8961.000
	योग **PMGSV**	100000.020	0.000	0.000	100000.020	56259.000	0.000	0.000	56259.000	56259.000	0.000	0.000	56259.000
11	यू0आर0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं हेतु	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्रांश)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—.— राज्यांश	0.010	0.000	0.000	0.010				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग **BADP**	0.010	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थान (केन्द्रांश)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—.—राज्यांश	20.000	0.000	0.000	20.000	4.500			4.500	4.500	0.000	0.000	4.500
	योग **UIRD**	20.000	0.000	0.000	20.000	4.500	0.000	0.000	4.500	4.500	0.000	0.000	4.500

	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय / शासन स्तर से जनपदों / विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
14	वाइबेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) केन्द्रांश	3600.010	0.000	0.000	3600.010	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—"— राज्यांश	400.010	0.000	0.000	400.010	0.00000			0.00000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग वाइबेंट विलेज प्रोग्राम	**4000.020**	**0.000**	**0.000**	**4000.020**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.00000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
15	वाइबेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) पीएमजीएसमाई रोड कम्पोनेंट केन्द्रांश	450.010	0.000	0.000	450.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	—"— राज्यांश	50.010	0.000	0.000	50.010	0.0000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग वाइबेंट विलेज	**500.020**	**0.000**	**0.000**	**500.020**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
16	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन आवास योजना	0.000	0.000	720.010	**720.010**	0.000	0.000	4.250	**4.250**	**0.000**	0.000	4.250	**4.250**
	—"— राज्यांश	0.000	0.000	80.010	**80.010**	0.000	0.000	0.47222	**0.47222**	**0.000**	0.000	0.472	**0.472**
	योग पीएम–जनमन	**0.000**	**0.000**	**800.020**	**800.020**	**0.000**	**0.000**	**4.722**	**4.72222**	**0.000**	**0.000**	**4.722**	**4.722**
17	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) सड़क	**0.000**	**0.000**	**0.020**	**0.020**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**			**0.000**
	—"— राज्यांश	**0.000**	**0.000**	**0.020**	**0.020**	**0.000**			**0.000**	**0.000**			**0.000**
	योग पीएम–जनमन रोड कम्पोनेन्ट	**0.000**	**0.000**	**0.040**	**0.040**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
18	विशेष केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत (एसपीए) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नन्यादेवी राजजात यात्रा हेतु सड़कों का सुधारीकरण	**0.000**			**0.000**	**800.000**	**0.000**	**0.000**	**800.000**	**800.000**			**800.000**
	योग एसपीए	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**800.000**	**0.000**	**0.000**	**800.000**	**800.000**	**0.000**	**0.000**	**800.000**
	योग केन्द्र पोषित योजनाएं	**153073.930**	**24792.980**	**8626.450**	**186493.360**	**93767.632**	**5234.220**	**983.840**	**99985.692**	**93767.632**	**5234.220**	**983.840**	**99985.692**
						राज्य पोषित योजनाएं							
1	दीनदयाल उत्तरखण्ड आवासीय योजना	0.010	0.000	0.000	**0.010**				0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
2	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	25.000	0.000	0.000	**25.000**	25.000	0.000	0.000	25.000	**25.000**	**0.000**	**0.000**	**25.000**
3	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अन्तर्गत सब्सिडी	100.000	0.000	0.000	**100.000**	92.75			92.750	**92.750**	**0.000**	**0.000**	**92.750**
4	राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई	0.000	0.000	0.000	**0.000**				0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
5	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एन.पी.बी. का भुगतान	5000.000	0.000	0.000	**5000.000**	1000.000			1000.000	**1000.000**	**0.000**	**0.000**	**1000.000**
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान	0.010	0.000	0.000	**0.010**	0.000			0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
7	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत	2500.000	950.000	200.000	**3650.000**	2500.000	950.000	200.000	3650.000	**2500.000**	**950.000**	**200.000**	**3650.000**
8	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निधि	1000.000	0.000	0.000	**1000.000**	1000.000			1000.000	**1000.000**	**0.000**	**0.000**	**1000.000**

	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
9	पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत सेटेज चार्ज,एएस.क्यू.सी सी. तथा पी.एम.सी. का भुगतान	2000.000	0.000	0.000	**2000.000**	2000.000			2000.000	**2000.000**	**0.000**	**0.000**	**2000.000**
10	उत्तरखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण	2500.000	0.000	0.000	**2500.000**	1932.808			1932.808	**1932.808**	**0.000**	**0.000**	**1932.808**

	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के नियंत्रण में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
11	प्रशासन प्रशिक्षण केन्द्र के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	500.000	0.000	0.000	**500.000**	130.370			130.370	**130.370**	**0.000**	**0.000**	**130.370**
12	विधायक निधि	27690.0000	6745.000	1050.000	**35485.0000**	**27300.000**	**6650.000**	**1050.000**	**35000.000**	**27300.000**	**6650.000**	**1050.000**	**35000.000**
13	मेरा गांव मेरी सड़क	800.0000	700.000	515.000	**2015.0000**	672.8929	679.5875	515.0000	1867.4804	**672.893**	**679.588**	**515.000**	**1567.480**
14	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	22.000	0.000	0.000	**22.000**	22.000	0.000	0.000	**22.000**	**22.000**	**0.000**	**0.000**	**22.000**
15	मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना	500.000	0.000	0.000	**500.000**	500.000			500.000	**500.000**	**0.000**	**0.000**	**500.000**
16	आयुक्त ग्राम्य विकास पौड़ी के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण	0.010	0.000	0.000	**0.010**				0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
17	ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर(आर.बी.आई.)	**2000.000**	**0.000**	**0.000**	**2000.000**	**2000.000**			**2000.000**	**2000.000**	**0.000**	**0.000**	**2000.000**
18	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एम.बी.ए.डी.पी)	2500.000	0.000	0.000	**2500.000**	0.000			0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
19	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	1000.000	0.000	0.000	**1000.000**	1000.000			1000.000	**1000.000**	**0.000**	**0.000**	**1000.000**
20	ग्राम विकास महायोजना (नई योजना)	0.010	0.000	0.000	**0.010**				0.000				**0.000**
21	एसएसजी उत्पादों का विपणन	0.010	0.000	0.000	**0.010**				0.000	**0.000**			**0.000**
22	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत टापअप (राज्य सेक्टर)	360.010	468.010	0.010	**828.030**				0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
23	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज–1 एवं 2 के लंबित कार्य (नई मांग के माध्यम से)	4000.000	0.000		4000.000				0.000				**0.000**
24	स्टेट्स आफ हिमालयाज	1500.000	0.000	0.000	1500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	—,— (शा0 सं0 1/314591/2025 दिनांक 24.7.25 से योजनान्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से नया लेखाशीर्षक खोलकर टोकन मनी के रू- में धनराशि स्वीकृत की गयी)तथा प्रथम अनुपूरक में नई मांग के माध्यम से टोकन मनी के रूप में धनराशि का प्राविधान किया गया.	0.010	0.000	0.000	0.010	0.010			0.010	**0.010**			**0.010**
25	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम की तृतीय/अंतिम किस्त सिंकिंग लिंक से स्वीकृत				0.000	57.660	0.000	0.000	57.660	**57.660**			**57.660**
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1673/ 2021 "विकास खण्ड कपकोट में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जायेगा" की पूर्ति हेतु द्वितीय किस्त सिंकिंग लिंक से				0.000	95.000	0.000	0.000	95.000	**95.000**			**95.000**
	योग राज्य पोषित योजनाएं	**53997.070**	**8863.010**	**1765.010**	**64625.090**	**40328.491**	**8279.588**	**1765.000**	**50373.078**	**40328.491**	**8279.588**	**1765.000**	**50373.078**

	योजना का नाम	वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (पुनरीक्षित सहित)				शासन से आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन में आवंटित धनराशि				निदेशालय/शासन स्तर से जनपदों/विभागों को आवंटित धनराशि			
		अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग	अनुदान सं0 19	अनुदान सं0 30	अनुदान सं0 31	योग
							बाह्य सहायतित योजनाएं						
1	आईकॉन्स बाह्य सहायतित योजना (ग्रामीण उद्यम बेगवृद्धि योजना)	15000.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000			15000.000	15000.000	0.000	0.000	15000.000
	योग बाह्य सहायतित योजनाएं	15000.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000	0.000	0.000	15000.000	15000.000	0.000	0.000	15000.000
	सम्पूर्ण योग आयोजनागत	222071.000	33655.990	10391.460	266118.450	149096.123	13513.808	2748.840	165358.771	149096.123	13513.808	2748.840	165358.771
							अधिष्ठान मद						
1	ग्राम्य विकास का मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान	645.010			645.010	625.000			625.000	625.000	0.000	0.000	625.000
2	कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)	1346.960			1346.960	1346.950			1346.950	1346.950	0.000	0.000	1346.950
3	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	0.000	0.000	50.000
	UIRD वार्षिकोत्सव व्यय	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000			50.000
	ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	70.000			70.000	63.733			63.73250	63.73250	0.000	0.000	63.733
	UIRD अनुरक्षण	70.000			70.000	0.000			0.000	0.000			0.000
4	जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान	20850.000			20850.000	20850.000			20850.000	20850.000	0.000	0.000	20850.000
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान	9198.500			9198.500	8644.560			8644.560	8644.560	0.000	0.000	8644.560
6	गरीबी सन्तुलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	1115.260			1115.260	1115.250			1115.250	1115.250	0.000	0.000	1115.250
7	ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग	171.030			171.030	171.030			171.030	171.030	0.000	0.000	171.030
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना	47.400			47.400	47.400			47.400	47.400	0.000	0.000	47.400
9	डीआरडीए प्रकोष्ठ वेतन भत्ते आदि	65.160			65.160	65.160			65.160	65.160	0.000	0.000	65.160
10	राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रकोष्ठ	43.650			43.650	43.650			43.650	43.650	0.000	0.000	43.650
	योग अधिष्ठान मद	33722.970	0.000	0.000	33722.970	33072.733	0.000	0.000	33072.733	33072.733	0.000	0.000	33072.733
	सम्पूर्ण योग	255793.970	33655.990	10391.460	299841.420	182168.856	13513.808	2748.840	198431.50	182168.856	13513.808	2748.840	198431.503

संख्याः 1135 /XI/15/56(38)2015

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 25 अगस्त, 2015

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते कैंटीन की व्यवस्था और उसका संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांकः 30.07.2015 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है, जिसका नाम **'इन्दिरा अम्मा भोजनालय'** रखा जाना है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वन हेतु योजना की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं–

1. योजनान्तर्गत 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' कैंटीन की स्थापना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय में की जाएगी। उक्त कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अधीन होगी।
2. नगर विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा उक्त कैंटीन के संचालन हेतु निःशुल्क स्थान/फर्नीचर आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा क्रमशः बिजली एवं पानी की व्यवस्था निःशुल्क करायी जाएगी।
3. उक्त कैंटीन महिला स्वंय सहायता समूहों से संचालित कराई जाएगी।
4. योजनान्तर्गत प्रति थाली ₹20.00 उपभोक्ता से लिया जाएगा तथा ₹10.00 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा, जिस हेतु बजट की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी है।
5. जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उ0सिं0 नगर जैसे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति दिन अधिकतम 1200 थाली भोजन एवं अन्य जनपदों में प्रतिदिन अधिकतम 800 थाली भोजन दिया जाना है।
6. स्वंय सहायता समूहों को लाभान्वितों का पूर्ण ब्यौरा, जिसमें उनका नाम एवं निवास स्थान अंकित हों, रखना आवश्यक होगा ताकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंशदान प्राप्त किए जाने में कोई अनियमितता न हो।
7. कैंटीन के संचालन हेतु ईंधन/एल0पी0जी0 गैस की व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से की जाएगी।

8. योजना के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन का समस्त उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

योजना के प्रथम चरण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक: 15.08.2015 को देहरादून नगर क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर 'इन्दिरा अम्मा भोजनालय' का उद्घाटन किया गया। उक्त योजना के प्रति आमजन में बढती लोकप्रियता के दृष्टिगत शीघ्र ही इसे सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किए जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में **"इन्दिरा अम्मा भोजनालय"** स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
5. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पेयजल/जल संस्थान, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास, विकास भवन, देहरादून।
8. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव।

53

महत्वपूर्ण

संख्याः 1076 /XI/2017/ 56(68)2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 14 जुलाई, 2017

विषयः– इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना सम्बंधी दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या–1135/XI/15/56(38)2015 दिनांक 25.08.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य में **'इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना"** के सफल संचालन के दृष्टिगत प्रदेश के कतिपय जनपदों में कैन्टीनें खोली गई है। इस योजनान्तर्गत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं बिलो के भुगतान में पारदर्शिता बनाये जाने तथा योजना को और अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाये जाने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना के दिशा–निर्देश तैयार किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैः–

"इंदिरा अम्मा भोजनालय" योजना मार्गनिर्देशिका

1. प्रस्तावना–

राज्य में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों/विभिन्न विभागों /सी0एस0आर0 आदि के वित्तीय सहयोग से इंदिरा अम्मा कैंटीन की स्थापना करते हुये एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालन किया जाना है, ताकि इन समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु की गयी यह एक अभिनव पहल है।

2. उद्देश्य–

योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार की महिलायें जो कि स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित है, को इदिरा अम्मा कैन्टीन के संचालन के माध्यम से निरन्तर आयसृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुये आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना है।

3. लक्षित समूह–

1. ऐसे स्वयं सहायता समूह जो एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार गठित किये गये है तथा नियमित रूप से सक्रिय है एवं उनके द्वारा कम से कम परिकामी निधि (रिवालिंग फंड) प्राप्त कर लिया गया हो, पुनर्गठित समूह के मामले में समूह को या जिन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत आर0एफ0 प्राप्त हो चुका हो यदि पूर्व में उन्हें एस0जी0एस0वाई0 के तहत आर0एफ0 प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु एन0आर0एल0एम0 से

आर0एफ0 प्राप्त कर लिया गया हो, ऐसे समस्त समूह भी कैन्टीन के संचालन हेतु पात्र होंगे।

2. एन0आर0एल0एम0 के मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत गठित ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनको सी0आई0एफ0 प्राप्त हो चुका हो अथवा माइक्रोक्रेडिट प्लान इंदिरा अम्मा कैंटीन खोलने हेतु तैयार किया गया हो, को कैंटीन हेतु वरीयता दी जायेगी।
3. शहरी निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते है, बशर्ते शहरी विकास विभाग द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाये।
4. नगर निगम क्षेत्रों में संचालित राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/सहायतित कैंटीनों के संचालन का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष का होगा तत्पश्चात् 02 वर्ष की अवधि उपरांत ही वे पुनः कैंटीन संचालन के पात्र होगें।
5. नगर निगम क्षेत्रों को छोड़ते हुये अन्य संस्थाओं/कार्यालयों/निकायों आदि में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/सहायतित कैंटीनों के संचालन कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। तत्पश्चात् 04 वर्ष की अवधि उपरांत ही वे पुनः कैंटीन संचालन के पात्र होगें।

4. अवस्थापना विकास तथा वित्तीय व्यवस्थायें–

इंदिरा अम्मा कैंटीन खोले जाने हेतु, नगर निगम/नगर पालिका /पंचायतों आदि निकायों द्वारा स्थान, भवन, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधायें लक्षित स्वयं सहायता समूहों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु कतिपय कार्यों के लिये, विभिन्न सी0एस0आर0, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, अन्य रेखीय विभागों की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से प्रयास किये जायेंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा सब्सिडी युक्त कैन्टीन संचालित की जायेगी। सब्सिडी की धनराशि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा अम्मा भोजनालय के बजट से वहन किया जायेगा जो प्रति थाली रू0 10/– होगा। भविष्य में सब्सिडी के निर्धारण का अधिकार शासन को होगा जो कि कैन्टीन की वार्षिक आय/लाभ के आधार पर गणना उपरांत किया जायेगा। इस हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार शासन का होगा। यद्यपि ऐसी कैन्टीनों को सरकार द्वारा सुविधादाता के रूप में सहयोग प्रदान किया जाता रहेगा जो शीघ्रातिशीघ्र लाभ में संचालित होते हुये सब्सिडी त्यागने के इच्छुक होंगे अर्थात इन कैन्टीन्स को धीरे–धीरे स्व–स्थायी (self sustainable) होना चाहिये। स्व–स्थायी होने वाली कैन्टीन्स को राज्य सरकार सुविधादाता के रूप में सहयोग करेगी एवं विभिन्न रेखीय विभाग की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण का प्रयास करेगी। कार्यालय परिसरों के अंदर मात्र कर्मचारियों के लिये कैन्टीन खोले जाने पर सब्सिडी देय नहीं होगी।

5. प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश–

1. इंदिरा अम्मा कैन्टीन खोले जाने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी है –

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3. जिला मिशन प्रबंधक, यू0एस0आर0एल0एम0	सदस्य
4. नगर निकाय का सक्षम प्राधिकारी (आवश्यकतानुसार)	सदस्य

4. नगर निकाय का सक्षम प्राधिकारी (आवश्यकतानुसार)	सदस्य
5. जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य
6. जनपद/ब्लाक स्तरीय फेडरेशन के अध्यक्ष फेडरेशन गठित न होने की दशा में कलस्टर/ग्राम स्तरीय संगठन के अध्यक्ष	सदस्य

2. किसी भी इंदिरा अम्मा कैंटीन को खोलने हेतु संबंधित जनपद द्वारा स्वयं सहायता समूह के चयन हेतु न्यूनतम 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा।
3. चयन में प्राथमिकता उसी न्याय पंचायत के स्वयं सहायता समूह को दी जायेगी जिसे न्याय पंचायत में अथवा उससे सटे नगर निकाय मे कैन्टीन स्थापित की जानी हो।
4. यदि एक से अधिक स्वयं सहायता समूह एक ही कैंटीन के लिये अर्ह पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में लाटरी आधार पर समूह का चयन किया जायेगा।
5. चयनित स्वयं सहायता समूह की बैंक खाता संख्या, एम0आई0एस0 संख्या, पासबुक की प्रति, एस0एच0जी0 की कैन्टीन खोलने संबंधी प्रस्ताव की छायाप्रति,समूह के समस्त सदस्यों की फोटोग्राफ आदि संबंधित जनपद में समूह चयन उपरांत अभिलेख संरक्षित रखे जायेंगे।
6. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसा समूह जिसको इंदिरा अम्मा कैंटीन आवंटित की जा रही है उसके प्रत्येक सदस्य तथा वह समूह पूर्णतः एन0आर0एल0एम0 मानक के अनुसार ही हो। किसी भी दशा में अन्य को उक्त योजना के तहत लाभ न दिया जाये।
7. एक स्वयं सहायता समूह को एक से अधिक कैंटीन आवंटित नहीं की जा सकती है।

6. **मूल्यांकन तथा अनुश्रवण–**
   1. स्वयं सहायता समूह की प्रगति विवरण का मूल्यांकन उस ग्राम पंचायत के ग्राम संगठन द्वारा किया जायेगा जहां से समूह संबंधित है। यदि उस ग्राम पंचायत में ग्राम संगठन नहीं है तो उस क्षेत्र का नजदीकी ग्राम संगठन द्वारा उस समूह के इंदिरा अम्मा कैन्टीन की प्रगति समीक्षा प्रत्येक माह की जायेगी, जिसे ग्राम संगठन के अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा।
   2. कैंटीन संचालन वाले स्वयं सहायता समूह के अभिलेखों में इंदिरा अम्मा कैंटीन से प्राप्त आय–व्यय का ब्यौरा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जो कि प्रत्येक साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही तथा कैश बुक/बही खाता में दर्ज किया जायेगा। यदि समूह के अभिलेख में इंदिरा अम्मा कैंटीन से प्राप्त आय तथा व्यय का ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जायेगा तो ऐसे समूह की कैंटीन को निरस्त कर दिया जायेगा। **यह व्यवस्था समस्त इंदिरा अम्मा कैन्टीन जो कि पूर्व से राज्य में संचालित है, पर भी लागू होगी ।**
   3. प्रत्येक इंदिरा अम्मा कैंटीन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राहक जो कि भोजन ग्रहण करेगा, उसे कूपन उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका रिकार्ड समूह द्वारा रखा जायेगा। प्रत्येक ग्राहक का नाम तथा मोबाइल नं0 भी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा। जिसका सत्यापन रैंडम आधार पर एस0आर0एल0एम0/ जिला मिशन इकाई/ब्लाक मिशन प्रबंधन ईकाई के प्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि किसी समूह की सूचना

असत्य पायी गई तो कैन्टीन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं संबंधित समूह से सब्सिडी की वसूली की जायेगी।

4. इंदिरा अम्मा कैंटीन में मद्यपान, धूम्रपान अथवा किसी भी प्रकार का नशा का उपयोग वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर समूह का कैन्टीन संचालन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. नियम विरूद्ध कार्यो पर समूह का कैन्टीन संचालन निरस्त करने का अधिकार जनपद स्तरीय समिति का होगा।
6. इंदिरा अम्मा कैंटीन हेतु राज्य स्तर पर सूचना एकत्रीकरण तथा अनुश्रवण हेतु एम0आई0एस0 कराकर उसका उपयोग भी किया जायेगा। जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राहक को फोटोयुक्त कूपन सूक्ष्म सूचना सहित इसी एम0आई0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना एस0आई0एस0 के माध्यम से स्वयं ही आनलाइन संकलित हो जायेगा।
7. सरकारी परिसरों में भी गैर सब्सिडी मॉडल (Non-Subsidy model) की इंदिरा अम्मा कैंटीन स्वयं सहायता समूहों को दी जा सकती है।
8. इंदिरा अम्मा कैंटीन संचालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों यथा एन0आर0एल0एम0, डी0डी0यू0जी0के0वाई0 आदि के तहत खाद्य सेक्टर, स्वाथ्यकारी कार्यशैली (hygenic working), क्षमता विकास आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।
9. इंदिरा अम्मा कैंटीन संचालित करने वाले स्वयं सहायता समूह को कैंटीन में एक दैनिक रजिस्टर (जिसमें तिथिवार प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता तथा मोबाइल नं0 अंकित होगा), एक स्टाक रजिस्टर तथा एक कैशबुक रखी जायेगी, जिसका नियमित लेखा–जोखा रखा जायेगा। उक्त अभिलेख कैन्टीन के कार्यालय में रहेंगे जो कि समूह के अभिलेखों से अलग होंगे तथा उक्त अभिलेखों का सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जांच की जायेगी।

कृपया दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या: /XI/2017/56(27)2015 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 निजी सचिव,मा0ग्राम्य विकास मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,यू0एस0आर0एल0एम0, विकास भवन, सर्वेचौक, देहरादून।
5 समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव

संख्या 618 /XI/19/56(68)2015

प्रेशक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 06 मार्च फरवरी, 2019

विषय–इंदिरा अम्मा भोजनालय की दिशा–निर्देशिका में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1076/XI/17/56(68)2015, दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्गत इन्दिरा अम्मा भोजनालय की दिशा–निर्देशिका के बिन्दु संख्या 3.3 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है–

3.3 शहरी निकायों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, बशर्ते शहरी विकास विभाग द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाये।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निम्नानुसार संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है:–

3.3 शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इंदिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 1076/XI/17/56(68)2015, दिनांक 14.07.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या /XI/19/56(68)2015 तद्दिनांकित।

1. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, आजीविका भवन, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–2
संख्याः 1956 /XI/15/56(38)2015
देहरादून, दिनांकः 18 नवम्बर, 2015

कार्यालय आदेश

शासन के आदेश सं0 1135/XI/15/56(38)2015 दिनांकः 25.08.2015 के माध्यम से राज्य में **इंदिरा अम्मा भोजनालय** योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए हैं। जिसके बिन्दु संख्या–4 में "योजनान्तर्गत प्रति थाली ₹20.00 उपभोक्ता से लिये जाने तथा ₹10.00 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किये जाने का उल्लेख किया गया है"।

इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना के विस्तार के सम्बन्ध में दिनांकः 16.11.2015 को प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अध्यक्षता में आहूत वीडियो कान्फ्रेन्स में लिये गये निर्णय के अनुसार पर्वतीय जनपदों में भोजन सामग्री की दरें अधिक होने के कारण उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता हैः–

"इंदिरा अम्मा भोजनालय योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में उपभोक्ता से प्रति थाली लिए जाने वाले भोजन की दर ₹25.00 तथा जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में प्रति थाली भोजन की दर ₹20.00 रहेगी। सब्सिडी के रूप में ₹10.00 प्रति थाली की दर से होने वाला समस्त व्ययभार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।"

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, आवास/ऊर्जा/पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, ग्राम्य विकास, विकास भवन, देहरादून।
9. वित्त–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Scanned with OKEN Scanner

No.300/2/2020-Waste to Energy
Government of India
Ministry of New and Renewable Energy
(Biogas Division)

Atal Akshay Urja Bhawan,
Opposite CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110 003
Date: 02.11.2022

To,

The Pay & Accounts Officer,
Ministry of New and Renewable Energy, New Delhi

Subject: Administrative approval for implementation of Biogas Programme under the Umbrella scheme of National Bio Energy Programme for FY 2021-22 to 2025-26- (Phase-I) regarding.

Sir/Madam,

I am directed to convey the sanction of the President of India for the implementation of the National Bioenergy Programme for a period of 01.04.2021 to 31.03.2026 with the outlay of Rs.858 Crore under Phase-I. The National Bioenergy Programme will comprise of the following sub-schemes:

i. **Waste to Energy Programme** (*Programme on Energy from Urban, Industrial and Agricultural Wastes /Residues*)
ii. **Biomass Programme** (*Scheme to Support Manufacturing of Briquettes & Pellets and Promotion of Biomass (non-bagasse) based cogeneration in Industries*)
iii. **Biogas Programme**

2. The detailed scheme along with operational Guidelines for implementation of Biogas Programme are enclosed with this O.M.

3. The approved budget outlay of Rs.858 Crore under Phase-I also includes the committed liabilities of the sanctions issued under the various sub-schemes of the National Bioenergy Programme up to 31st March 2021.

4. Budget outlay of sub-schemes of the National Bioenergy Programme is given as below:

Sub-schemes	Budget outlay of Phase-I (Rs in crore)
Waste to Energy Programme	600
Biomass Programme	158
Biogas Programme	100
Total	**Rs. 858 crore**

5. The balance committed liabilities under the National Bioenergy Programme to be carried forward beyond 31.03.2026 should not exceed 50% of the total outlay of the National Bioenergy Programme after excluding committed liabilities as on date of EFC (i.e. 27.06.2022).

6. The allocated budget of Rs 100.00 Crore for Biogas Programme which also includes the committed liabilities (up to 31 March 2021) under the erstwhile Biogas Programme i.e. (i) New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP) and; (ii) Biogas Power Generation (Off-grid) and Thermal energy application Programme(BPGTP).

7. The proposals received upto 31.03.2021 under BPGTP, and could not be sanctioned by this Ministry shall be considered as per this administrative approval. Applications of such projects should be submitted within three months of date of notification of this guidelines.

8. The expenditure on Biogas Programme will be met from the budget provisions during FY 2022-23 and subsequent years under Demand No 71; Major Head 2810-New & Renewable Energy (Major Head), 00.101 Grid Interactive and Distributed Renewable Power (Minor Head), 06-Bio Energy Programme (Sub Head), 03-Biogas Programme, of MNRE.

9. This issues in exercise of the powers conferred on this Ministry and with the concurrence of IFD Division vide their diary No. 196 dated 01.11.2022.

10. This has approval of Hon'ble Minister for New and Renewable Energy.

Yours faithfully,

(P M Barik)
Scientist C
Email: pabitra.mnre@gov.in

Copy to:

1. PS to Hon'ble Minister (NRE & Power).
2. PS to Hon'ble Minister of State (NRE).
3. PSO to Secretary, MNRE.
4. PPS to AS & FA, MNRE.
5. Sr.PPS to JS (Bioenergy Group).
6. Advisers/Directors, MNRE.
7. Pay & Accounts Officer, MNRE.
8. NIC- to upload the Guidelines on Ministry's Website/Biogas portal.

Copy for Information and necessary action:

1. All Central Government Ministries and Departments
2. NITI Aayog Sansad Marg New Delhi
3. Chief Secretaries of State Governments
4. Secretaries of concerned State Government Departments (Agricultural Rural Development Power/Energy/Non-Conventional Energy/Additional Sources of Energy/S&T etc.)
5. Khadi and Village Industries Commission, Head Office, Mumbai.
6. Heads, All Biogas Development and Training Centres.
7. CMD, Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), New Delhi.
8. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
9. Heads of State Nodal Departments/Agencies
10. Principal Director of Audit, Scientific Department, DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi-110002.
11. Principal Director (Local Bodies Accounts)/Director (Local Bodies), Office of the Comptroller and Auditor General of India, 9-Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi02.
12. Head of Urban Local Bodies
13. Head of Banks/Financial Institutions

(P M Barik)
Scientist C

CENTRAL SECTOR SCHEME

BIOGAS PROGRAMME

(Detailed Implementation Guidelines)

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of New and Renewable Energy
New Delhi – 110003

November - 2022

BIOGAS PROGRAMME

Introduction:

India is endowed with abundant renewable energy resources and their use should be encouraged in every possible way. Rural India generates enormous quantities of bio-waste including animal waste, kitchen leftovers, crop residue, market waste and faecal sludge. Biogas is an environment friendly fuel and its utilization contributes to reduction of carbon emissions and pollution. Over a period of time, MNRE has fine-tuned the Biogas programme and rationalized the subsidy scheme, strengthened the institutional framework at state and district level, supported new & innovative biogas plant models, supported women empowerment through usage of biogas plants & organic farming and created employment opportunities.

2. Objectives:

The objectives of the Biogas Programme are as follows:

i. Setting up of biogas plants for clean cooking fuel, lighting, meeting thermal and small power needs of users which results in GHG reduction, improved sanitation, women empowerment and creation of rural employment.
ii. Organic enriched Bio-manure: The digested slurry from biogas plants, a rich source of manure, shall benefit farmers in supplementing / reducing of use of chemical fertilizers.

3. Scope of Biogas Programme:

To attain the above mentioned objectives and for popularization of biogas sector, this scheme covers setting up of small and medium biogas plants ranging from 1 M^3 to 2500 M^3 biogas generation per day for individual user, farmers, poultry, goshalas, slaughter house, diaries/ co-operatives, industries/ organizations and others.

4. Implementation Mechanism:

The following two implementation models under the Biogas Programme shall be eligible for CFA/Incentive.

(i) **Implementation through State PIAs:** The biogas programme will be implemented by the designated Programme Implementing Agency (PIA) of the State/ Union Territory / Khadi Village and Industry Commission (KVIC), Mumbai, National Dairy Development Board (NDDB) Anand/ Biogas Development and Training Centres(BDTC).

(ii) **Implementation through Financial Institutions:** Financing Organizations/ Institutions / Banks/ Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), NABARD/ RBI approved Financial Institutions may also implement the Biogas Programme in consultation with PIAs.

5. The Programme Implementing Agency shall implement the biogas (1 M^3 to 25 M^3) programme through the following mechanisms: -

(i) Installation of biogas through biogas turnkey workers / renewable energy technicians registered with respective PIA of the State/ UT.

(ii) Installation of biogas through MNRE approved Original Equipment Manufacturers(OEMs) and their certified service providers.

6. Central Financial Assistance:

(i) CFA for Biogas Plants 1 M^3 to 25 M^3 Biogas generation per day: The Central Financial Assistance (CFA) for different approved components under the Biogas Programme for Biogas plants of size ranging from 1 M^3 to 25 M^3 of biogas generation per day are as given below in the Table-I.

Table-I

Sr. No	Particulars of Central Financial Assistance (CFA) and States / UTs, regions & categories of beneficiaries	Biogas Plants under Biogas Programme ranging from size 1 to 25 cubic Metre biogas per day (In ₹per plant)					
A	CFA Applicable	1 M^3	2-4 M^3	6 M^3	8-10 M^3	15 M^3	20-25 M^3
	(i) Hilly/NER States (Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ladakh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Uttarakhand) (ii) Island; and (iii)Scheduled Castes (SC)/ Scheduled Tribes(ST).	17,000	22,000	29,250	34,500	63,250	70,400
	(iv) All other States and Categories	9,800	14,350	22,750	23,000	37,950	52,800
B	**Additional fixed Subsidy for** (i) Biogas plant if linked with sanitary toilet	1,600	1,600	1,600	1,600	NA	NA
	(ii) Biogas plant if linked with MNRE approved Biogas slurry filter Unit.	1600	1600	1600	1600	1600	1600
C	**Turn-Key Job Fee** for construction, supervision, commissioning, and free O&M warranty for 5 years trouble free operations.	₹ 3,000/- per biogas plant for size ranging from 1 to 10 M^3 and ₹ 5,000/- per plant for size ranging from 15 to 25 M^3. This turn key job fee is applicable only for plants involving onsite construction such as fixed dome design Deenbandhu Model, floating gasholder KVIC Model. Turnkey job fee will not be eligible for pre-fabricated/ manufactured biogas plants.					

D.	**Administrative Charges payable to PIA for physical target achievement range of biogas plants**	**(Amount in ₹)**
	100 - 1,999 nos. of Biogas Plants.	₹ 1,00,000^
	2,000 - 5,000 nos. of Biogas plants	₹ 10,50,000^^
	Above 5,000 nos. of Biogas plants	₹ 24,50,000 *

E	**Support for Training courses**	**(Amount in ₹ per course)**
	(i) Users Course	₹ 4,000
	(ii) Staff Course	₹ 10,000
	(iii)Construction-cum Maintenance /Refresher Course	₹ 50,000
	(iv)Turn-key Workers Course / Skill Development Course	₹ 75,000

F	**Support for BDTCs.**	Financial support for set functions and roles of BDTCs would be provided towards staff, conducting training courses, skill development courses, pilot plant demonstration, TA/DA, consumables and contingency as per allocated targets.
G	**Incentive for saving fossil fuels & electricity.**	An additional incentive of ₹10,000/- per Biogas based Generator set / Biogas engine water Pumping System (BPS) for meeting small farm power needs and water pumping from the biogas plant of 10 to 25 M^3. CFA will be eligible only if the Generator set / BPS will run on 100% Biogas.

Additional incentive to PIAs for implementation of Biogas Program for biogas plants ranging from 1 to 25 M^3 (under the component A above)

^ Extra Rs. 500 per plant in excess of 100 biogas plants installed.
^^ Extra Rs. 450 per plant in excess of 2000 biogas plants.
* Extra Rs. 400 per plant in excess of 5,000 biogas plants subject to maximum of ₹ 60.00 lakh.

(ii) CFA for Medium size biogas plants: The CFA for biogas plants of size above 25 M^3 to 2500 M^3 biogas generation per day are as given below in the Table-II.

Table-II

Power generating Capacity (kW)	Requirement of DPR	CFA** limited to the following ceiling limit		Administrative Charges for PIA*	
		Power Generation	Thermal Application	Power Generation	Thermal application
3 kW – 50 kW	No	₹ 45,000 per kW	₹ 22,500 per kWeq thermal/ cooling	10% of the CFA	5% of the CFA
>50 kW – 200 kW	Yes	₹ 40,000 per kW	₹ 20,000/- per kWeq thermal/ cooling	₹2,00,000/- (fixed)	₹1,00,000/- (fixed)
>200 kW – 250 kW	Yes	₹ 35,000 per kW	₹ 17,500/- per kWeq thermal/ cooling	₹2,50,000/- (fixed)	₹1,00,000/- (fixed)

***Administrative Charges for PIA** shall be provided for technical supervision, submission of project completion & commissioning reports and monitoring of projects.

**** Special Incentives for NER, Island, Registered Gaushalas; and SC/ST**: An incentive of 20% over and above the CFA mentioned in Table-II.

7. Proposal Submission under Biogas Programme:

(i) For Small Biogas Plants (1 M^3 to 25 M^3): The individual beneficiary can submit their application with requisite details for installation of biogas plants through MNRE biogas web portal/android mobile app. The PIA will process such applications only after allocation of targets and then take action for the installation of biogas plants at the beneficiary site. The PIAs shall raise the consolidated annual demand of biogas plants at the beginning of the financial year by 15th April. The annual physical targets of a particular financial year may

be revised to make the programme more effective after conducting a midterm review of the physical achievements. The targets to BDTCs for conducting various types of training courses and new pilot demonstration projects shall be fixed on annual basis; and

(ii) **For Medium Size Biogas Plants (above 25 M^3 to 2500 M^3):** The proposals for such projects shall be submitted by the PIAs to MNRE round the year through MNRE Biogas web-portal.

8. Project Approval Mechanism:

(i) MNRE will allocate the annual physical targets for setting up of biogas plants (size ranging from 1 M^3 to 25 $M^{3)}$ to the designated PIAs; and

(ii) Each biogas plant (above 25 M^3 to 2500 M^3 biogas) proposal will be examined by the MNRE on case-to-case basis and an Administrative Sanction / in-principle approval shall be issued.

9. Project Completion and Commissioning:

(i) **For small biogas plants (1 M^3 to 25 M^3)** the installation work of the biogas plants should be started immediately after allocation of annual targets. The scheduled deadline for the completion of the work will be the end of the particular financial year unless prior approval for extension of the completion period is approved by the competent authority of MNRE; and

(ii) **For medium size biogas plants (above 25 M^3 to 2500 M^3)** the completion and commissioning of projects in all respects should be completed within 12 months from the date of Sanction of project and in any case not more than 24 months from the date of the issue of MNRE's Administrative Sanction/ in-principle approval of the project.

10. Release of Funds:

i. **For Small Biogas Plants (1 M^3 to 25 M^3):** The CFA for approved components as mentioned under Table-I under Para 6 (i) will be released quarterly to PIAs on reimbursement basis corresponding to actual achievements reported against the allocated annual targets; and

ii. **For medium size biogas plants (above 25 M^3 to 2500 M^3):** The CFA as given in Table-II under 6 (ii) would be released on re-imbursement basis after successful commissioning of the biogas plant directly to the beneficiaries account. The eligible administrative charges of the PIA will be disbursed separately.

11. Roles and Responsibilities of Implementation Agency:

The Programme Implementing Agencies will be responsible for the following activities:

i. Demand aggregation and submission of proposals on the Biogas web portal of MNRE.
ii. Assessing the Biogas user's application and take action for installation of biogas plants at the beneficiary site.
iii. Mandatory submission of monthly progress reports and updating all the information of the installed biogas plants on MNRE Biogas Portal
iv. Review of installation, inspection and monitoring of installed biogas plants.
v. Ensure project completion within the given timelines and compliance of MNRE Guidelines and Standards.

vi. Submission of financial documents of expenditure and disbursement of CFA to the end users.
vii. Ensure compliance of Annual Maintenance Contract and training of biogas users / technicians by the BDTCs; and
viii. Any other activity to ensure successful implementation of the programme.

12. Biogas Development and Training Centres:

MNRE has designated eight (8) centres at technical institutions/IIT/universities in different states for providing technical support to different stake holders towards promotion of bioenergy in the country. The list of BDTC's is as follows:

S.N.	Address of BDTC
1.	Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology, Guwahati, North Guwahati, Guwahati (Assam)
2	Department of Agricultural Engineering, University of Agricultural Sciences, GKVK, Bangalore Karnataka
3.	Centre of Energy Studies and Research (CESR), Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Khandwa Road, Indore, Madhya Pradesh
4.	Department of Civil Engg. Punjab Agricultural University, Ludhiana, Punjab
5.	Department of Renewable Energy Engineering College of Technology & Agricultural Engineering, Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur (Rajasthan)
6.	School of Biotechnology, Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Odisha
7.	Agricultural Engineering and Research Institute, Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu.
8.	Centre for Rural Development & Technology, (CRDT), IIT Delhi, Hauz Khas, New Delhi

Role and Functions:

i. To provide technical assistance and conduct trainings as per MNRE approved courses for effective implementation of Biogas Programme in the country;
ii. Preparation of technical booklets / guidelines / training & publicity material, conduct field seminars/webinars
iii. Research & Development in the field of biogas technology and it application, setting up pilot demonstrations of new design and models of the Biogas Plants, Testing & performance evaluation of biogas plants, Field Inspection of Biogas plants

The targets of conducting various types of activities by the eight BDTCs as mentioned above shall be fixed on annual basis and each BDTC would be supported for engaging contractual manpower for same. The funds for BDTCs shall be released at the beginning of each financial year for taking up all activities under the Biogas Programme.

13. Monitoring and Review of Biogas Programme:

The PIAs will set up an arrangement to closely monitor the implementation of their projects covered under this scheme. The PIA would be responsible for monitoring of installation work being carried out by the corporates entities and parameters such as end-use verification and compilation of statistical information and reporting to MNRE. MNRE will review the progress of implementation under the biogas programme on half yearly basis.

14. Award Scheme under Biogas Programme:

Under the Biogas Programme, MNRE would award three Certificates of merit by appreciating the best i.e. 1st, 2nd & 3rd to the PIAs for overall performance and achieving highest annual targets allocated under the Scheme. This is for motivating all the PIAs to achieve their physical targets under the Biogas Programme. MNRE will not provide any financial support for this purpose.

The aforesaid Biogas programme is subject to change(s) and modification(s) as may be decided by the MNRE, Govt. of India from time to time, and subject to availability of funds. The Ministry shall in no way be liable for expenditure incurred by users/promoters for pre-project preparation or other activities, merely on the basis of this circular and / or related announcement by the Ministry. In case of any ambiguity on interpretation of any provisions of the scheme, the decision of the Ministry shall be final and binding.

*****

OPERATIONAL GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF BIOGAS PROGRAMME

(I) Guidelines for Submission of Application by Biogas beneficiary:

The individual beneficiary / user shall register their application / interest for installation of biogas plant for through MNRE's biogas portal (available at https://biogas.mnre.gov.in). The beneficiary shall be available for verification with details/ documents as registered at the time of application for faster installation.

(II) Guidelines for Payment of Subsidy for Biogas Plants (1 to 25 M^3):

(a) The CFA / subsidy will be disbursed to the beneficiaries of biogas plants by crediting to their Bank Accounts after **completion and commissioning of biogas plants**.

(b) Commissioning of Biogas plant includes laying of quality biogas pipeline, water remover, installation of standard biogas stoves/burner, and generation of biogas from the biogas plants for its use by the beneficiary concerned and duly issuing the Completion Certificate (CC) of the Biogas Plant.

(c) The applicable CFA amount would be disbursed to the beneficiaries of biogas plants in the following manner-

i. In case, a biogas plant beneficiary has taken loan for setting up of biogas plant from Banks /Financial Institutions, the CFA/subsidy amount would be disbursed directly to his Biogas Loan Account of the beneficiaries by following DBT route, after commissioning of Biogas plant.

ii. In case the entire expenditure of construction and commissioning of a biogas plant is borne by the beneficiary himself, the payment of eligible Subsidy/ CFA amount will be paid directly through DBT mode by crediting to the beneficiary's bank account by following DBT route so that this would help him in recouping funds spent by him.

iii. Apart from admissible CFA from MNRE, the remaining balance fund on actual cost of biogas plant may be shared/borne by beneficiary/ State etc.

(d) **Priorities of coverage of areas and communities:** The designated PIAs/BDTC should cover maximum number of users including the beneficiaries under Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Forest Areas and forest fringe villages and left wing affected areas.

(III) Guidelines for Biogas Plant (above 25 M^3 to 2500 M^3)

(a) The PIAs should ensure that sufficient feed stock/ organic biodegradable materials/wastes for proposed biogas plants size and power generation capacity are available on sustainable basis at least for 10 years.

(b) Biogas Plant shall be operated for a period of consecutive 8 days. The daily performance of the biogas plant over an operation of 10 hours shall be recorded. The Biogas plant needs to operate at an average (taking average 10 hrs per day as standard operating hours) of 80% of its rated capacity measured over a period of 8 days.

(c) The performance of the Biogas plant shall also be recorded for a period of three consecutive months. During this period the biogas plant has to operate with an average 70 % of its rated power generation capacity (kWh)/ Biogas generation (M^3) measured over a period of three months.

(d) On completion of the project, the PIA will submit the project completion and commissioning report for seeking MNRE CFA on re-imbursement basis.

(e) A third party inspection report by the agency/organization selected by MNRE.

(f) Photographs of the project site including biogas digester, generator, slurry pit, other accessories along with name of beneficiary, site address, date of commissioning, PIA details, project cost along with the MNRE CFA to be written on the display board.

(IV) Guidelines for Selection of Models of Biogas Plants and Appliances

(a) **Approved Models of Small Biogas Plants:** Appropriate size and models of biogas plants would be selected on the basis of preference / choice of the beneficiaries and shall be installed keeping in view the

technical requirements such as location, distance between kitchen and cattle-shed, availability of water and feed-stock (cattle dung, biodegradable organic wastes) and sanitary toilets. The following MNRE approved models of biogas plants are available for 1 M^3 to 25 M^3 per day capacities given as under:

SN	Biogas Plant Models*	Specifications/ Ministry's letter Nos .and date and date of approval.
1	**Fixed Dome / Gasholder Biogas Plants:**	
	Deenbandhu fixed dome model with brick masonry construction.	-Ministry's letter No.13-10/96-BG dated 10-1-2002.
	Deenbandhu ferro-cement model with in-situ technique.	-Code of Practices (Second Revision), IS 9478:1989 of the BIS, New Delhi.
	Prefabricated RCC fixed dome model.	-Ministry's letter No.13-11/99-BG dated 5-3-1999
	Solid-state Deenbandhu Fixed Dome	-Ministry's O.M.No.13-5/2016-BG(NBMMP) , Dated 07.11.2016
2	**Floating Dome Design Biogas Plants:**	
	KVIC floating steel metal Gasholder with brick masonry digester.	-Code of Practices (Second Revision), IS 9478:1989 of the BIS, New Delhi.
	KVIC floating Gasholder type plant with Ferro- Cement digester.	-Code of practice IS-12986:1990 of BIS, New Delhi. Specifications of FRP Gasholder should be as per IS-12986:1990
	KVIC design Biogas Plant with Fibre Glass Reinforced Plasic (FRP) and Digester.	-Code of Practices (Second Revision), IS 9478:1989 of the BIS, New Delhi.
	Pragati Model Biogas Plants.	
	KVIC design type digester with floating Gasholder, made up of HDPE/PVC/ FRP/RCC etc. material plant	-MNRE O.M.No.18-1/2014-BE(NBMMP) Dated 26.11.2014
	Prefabricated model Biogas Plants: (i) Prefabricated Reinforced Cement Concrete (RCC) digester with KVIC floating drum/ gasholder.	-Ministry's O.M.No.18-1/2014 BE (NBMMP), Dated 26.11.2014
	Bag Type Biogas Plants (Flexi model)	Ministry's letter No.7-39/89-BG dated 14.7.95
	2 M^3 Flexi Domestic PVC coated Biogas Plant	Ministry's O.M. No. No.344/2/2017-BIOGAS dated 21.12.2020.

(b) **Biogas Plant (1 M^3 to 25 M^3) Appliances:** In order to provide safe, efficient and economic utilization of the biogas obtained from the Biogas Plants the specifications given in the **IS - 8749: 2002**, Indian Standard Biogas Stove- Specifications (second revision) shall be followed for manufacturing techniques, materials, design, maintenance and finish. The thermal efficiency shall not be below 55% for each burner of the Biogas Stove. Only ISI Marked, double burner biogas stoves / chulhas should be provided under the BIOGAS irrespective of the size of Biogas Plant.

(c) The Biogas Turn Key Workers/ RETs/ BMs working for PIA/NDDB/KVIC should ensure availability of spare parts of the biogas stoves/burners and other appliances for providing trouble free and

continuous long period operations of biogas plants.

(d) Innovative, cost effective and high efficiency new designs models of biogas plants will continue to be added following MNRE approval procedure/ policy for approval of new design / material based biogas plants. The approval of such new designs of biogas plants would be based on the specific feedstock(s) and combinations of organic wastes/ feed-stocks, the innovations, technology development, their field evaluations and worthiness brought out through laboratory / pilot field trials/ demonstrations & verifications as well as satisfaction and acceptance of the same by the potential beneficiaries of biogas plants in the country.

(e) **Biogas plant (above 25 M^3 to 2500 M^3) Machinery and Equipment**: The equipment for the projects should conform to the existing Standards applicable for biogas plants, biogas engines, generator sets, gas scrubbers, energy meters, biogas flow meters including biogas plants as per BIS/ISO etc. and shall be compliant to meet the requirements of pollution control boards and other applicable rules & regulations.

(i) Biogas flow meter: All biogas plants for thermal applications will necessarily deploy a biogas flow meter for measuring biogas generated from the biogas plants and log daily biogas generation and corresponding quantity of feedstock.

(ii) All biogas power generating projects above 12 kW (Biogas plant with capacity of above 100 M^3) capacity power generation shall be equipped necessarily with energy meters and biogas flowmeter for logging of daily performance data.

(V) Guidelines for Turn-Key Job Fee (TKJF) for Biogas Plant (1 M^3 to 25 M^3) Installation

(a) Turn-Key Job Fee: The Turn-key Job Fee would be linked with five years' free warranty for trouble-free functioning of biogas plants setup on **Turn-Key Work Contract basis**. Under this scheme the approved and applicable rate of Turn-Key Job Fee per biogas plant according to the size(s) of biogas plants as given in **Table-1** under para 6 of the scheme guidelines.

i. the registered Biogas Turn Key Workers (BTKWs) / Biogas Rural Energy Technicians (BRETs)/ Biogas Mitras /MSMEs as identified by the PIA following the transparent procedure of "Award of Work";

ii. Registered Societies, registered corporate organizations/bodies identified by the State Governments Departments / PIA; following the transparent procedure of "Award of Work";

iii. Registered trained entrepreneurs BTKW/RETs /SHGs/ Biogas Small & Medium Enterprises (BSMEs); and

iv. Recognized categories of A&B class contractors of PWD in the field of Biogas Plants construction, commission and supervision & maintenance as found to be successful for implementation of the scheme and their subsequent recognition and registration under the designated State PIA.

(b) Procedure for release of payment: The PIA should disburse the payment of the Turn-Key Job Fee to their approved Turnkey Worker/ Agencies/ Biogas Mitra/ RETS/Energy technicians in two instalments for biogas plants up to 10 M^3 capacity. The total Turnkey Job fee of Rs. 3000/- per plant is to be paid in two instalments. The **1st instalment of Rs. 1500/-** is to be released after proper construction, completion and successful commissioning date and after issue of Completion Certificate of the biogas plant by the concerned authorities; and The **2nd instalment of Rs. 1500/-** is to be paid to the respective TKW/RET at the end of fifth year from the date of commissioning of the biogas plant on satisfactorily compliance to the service warranty based on the physical inspection of the biogas plant.

(c) For biogas plants of size more than 10 Cubic meter and up to 25 Cubic meter the 1st instalment of Rs. **2500/-** per plant is to be released after proper construction, completion and successful commissioning of the biogas plant and on getting beneficiary's consent and issue of completion certificate and the 2nd instalment of **₹ 2500/-** would be paid after verification/inspection of Biogas Plant by the Officers of PIA

and upon meeting the functional/operational requirements of Biogas Plants in their optimal usage shall be payable after five years and following the checks and documents as mentioned above for smaller plants.

(d) Each beneficiary of a Biogas Plant will be provided a Biogas User's Service-cum-Warranty Card for compliance/adhering and providing Five Year's Free Warranty Services to the beneficiaries of Biogas plants. The complaints lodged by the beneficiaries are to be attended within the specified time period of within a week. MNRE will not provide any financial assistance for repair for non-functional Biogas. Alternately, the beneficiary can report their complaint on the Biogas web-portal.

(e) Warranty: The manufacturers / biogas developers of pre-fabricated/ manufactured biogas plants shall provide a free warranty including O&M Services for **five years** to the beneficiaries. In case the RET/TKW defaults on the warranty before the period of 5 years, the State PIA/ BDTC may decide to blacklist the concerned agencies, entrepreneurs/ Turn Key Worker /RET.

(VI) Guidelines for selection of approved OEMs and their authorized service providers for setting up of biogas plants (1 M^3 to 25 M^3):

(a) Keeping in view of interest of beneficiary and emerging cost effective designs of biogas plants, the PIA may devise a suitable mechanism for selection and registration of OEMs/ **and their authorized service providers** for installation of biogas plants under the Biogas Programme.

(b) Only MNRE approved models of prefabricated biogas plants shall be eligible for the selection.

(c) The manufacturers / developers of pre-fabricated/ manufactured biogas plants shall provide a free warranty and O&M services of five years' period to the biogas beneficiaries.

(d) The manufacturers shall ensure the useful life of the biogas plants should not less than 10 years.

(VII) Guidelines for Record Management of Biogas Plants by PIAs:

(a) The Detailed Information/ Database of Beneficiaries of Biogas Plants (1 M^3 to 2500 M^3): should mandatorily be uploaded on PIA's websites. This detailed information should be readily available for post verifications / inspection of the Officers of MNRE / State Govt. Officials / Independent Evaluators and also for post Audit Verification purposes by the Statutory Auditors and by the Audit from the Offices of the Accountant General of the respective State.

(b) Geo-tagging and Identification Mark on the Biogas Plants: Each Biogas plant should be assigned a unique GPS Coordinates (latitude and longitudes). In order to avoid duplication / wrong reporting and false / fake claims, the unique ID of each biogas plant should be recorded with following details:

(i)	***Unique Biogas ID as per PIA's record:***
(ii)	***Date, month and year of commissioning:***
(iii)	***Name of Biogas Beneficiary Village, Block / Taluka & District:***
(iv)	***Name of Installer /PIA :***

All these details should also match correspondingly with the Office records/documents of biogas plants.

(c) On prefabricated biogas plants the make/ model and serial number along with year of manufacturing are to be mentioned.

(d) Besides information uploading on the PIA's website, all the multiple PIAs of the state/UT should share the lists of the beneficiaries of biogas plants with each other before sending the final reports of the year to MNRE.

(e) The details of TKJF payments should be maintained by the PIA for post verification purpose.

(f) The dates of visits made by the TKWs/RETs/Biogas Mitras under the warranty period of 5 years, for providing post installation services should be maintained by the PIAs.

(VIII) Guidelines for Biogas Development Training Centres (BDTC):

(a) BDTC Manpower: The details of manpower to be engaged on contract basis for the year at 8 BDTC under biogas programme is as under: -

No.	Name of the post	No. of post	Qualification	Emoluments per month
1	Project Coordinator / Investigator (PC / PI)	1	Regular Faculty of Universities/ IITs / Institutes having vast experience in the field of Biogas Technology, working experience in BDTCs / as per university norms in the field of Biogas Technology to be designated as PC of BDTC	Rs. 5000/- fixed
2	Project Officer/ Project Manager	1	M.Tech in Agricultural Engineering / Renewable Energy Engineering with minimum CGPA of 6.50/10.00 or 65% or equivalent Master's Degree with first class division. Should have Metric level certificate of Local/ Regional Language from any recognized Board of Education.	Rs. 42000/- +HRA (as per Govt. norms)
3	Senior Technical Assistant (STA)	1	M. Tech. in Agricultural Engineering / Renewable Energy Engineering/ M.Sc in Natural Sciences or equivalent Master's degree with minimum OGPA of 6.50/10.00 or At least 2nd class Bachelor's degree in Agricultural engineering or equivalent degree with three year's experience in biogas technology sector Should have Metric level certificate of Local/ Regional Language from any recognized Board of Education.	Rs. 35400/- +HRA (as per Govt. norms)
4	Master Mason	1	Middle class passed or experienced Skilled Biogas Technician / Biogas mason having experience of Biogas plant construction, commissioning and O & M work. Should have completed construction cum maintenance training course on biogas from BDTC's.	Rs. 20000/- +HRA (as per Govt. norms)
5	Plumber/ Biogas Technician/ Junior Project Assistant /	1	Middle class passed or experienced Skilled Biogas Technician or Turnkey Training Certificate or Biogas Mason Training Certificate issued by the BDTCs having experience of Biogas plant construction, commissioning and Operation and Maintenance work.	Rs. 20000/- +HRA (as per Govt. norms)
6	Multi-Tasking Assistant (MTA)	1	Any Degree in relevant subject at least in Second Division with experience of 3 years in handling multiple tasks including office and accounts related work and skilful in computer operations. Knowledge of English and Hindi / Local language.	Rs. 20000/- +HRA (as per Govt. norms)

Training & publicity: The trainings will be conducted in consultation with the PIAs /related stakeholders implementing the biogas programme. The BDTCs will also bring out technical booklets on Biogas Plants and success stories and work actively for effective promotion of biogas including technology development by way of increasing efficiency improvements, cost reduction by development of new designs of biogas plant being disseminated under Biogas Programme or to be inducted in future implementation and maintain optimal level of functionality of biogas plants. The BDTCs will submit progress reports with complete details of all activities as assigned by MNRE. Any BDTC may be consulted by the PIA of State/ UT for their services. BDTC's assistance for the State/UT's will be on first-come, first-serve" basis for achieving maximum number of trainings targets of the particular FY.

(b) Field Inspections by BDTCs: BDTCs will also conduct random inspections of the biogas plants as per their assigned targets. PIAs should extend full help and co-operation to BDTC's Staff in carrying out

the above inspections on a regular basis. The manpower engaged PIAs and BDTCs or Banks for that matter or by any other Programme Implementing Agencies will not be deemed to be employees of MNRE, Government of India.

(IX) Guidelines for Monitoring and Physical Inspections

(a) In order to ensure that incomplete, un-commissioned, bogus/false reporting of biogas plants are not included for reporting and for claiming CFA, it is mandatory that All the newly completed and commissioned biogas plants would be inspected/ verified physically on 100% basis by the PIA's Officials.

(b) The Administrative Charges given to PIA may be utilized for the purpose of monitoring, strengthening outreach of the Scheme and extension of the Biogas Programme

(c) Monitoring of the Biogas plants (above 25 to 2500 M^3) would be done by the respective PIA. After receiving the project completion and commissioning report from the designated PIA, the MNRE will assign the work of monitoring and inspection to a third party.

(X) Guidelines for Submission of Progress Reports and Settlement of Claims and Accounts

(a) A monthly progress report (MPR) should be sent to MNRE by the 5th of the following month.

(b) The flow of funds for the scheme will be through PFMS only. Timely settlement of accounts is a must for smooth flow of further funds under the Biogas scheme. The CFA (Beneficiary's subsidy and Turnkey fee) will be released corresponding to the reported achievements on quarterly basis to the PIAs on production of Claim in prescribed format, list of beneficiaries, UC and SoE.

(c) The administrative charges and support for trainings to PIA will be reimbursed at the end of FY corresponding to the final achievements reported against the allocated annual targets upon receipt of the Utilization Certificate (UC); and ASoE in respect of the previous funds released.

(d) The PIAs and BDTC should submit audited statement of expenditure as early as possible after the close of the financial year, latest by 30th September of the year, following the closure of the implementation year (Financial Year).

(e) The firm figures of physical achievements of a year with complete details of all the biogas plants shall be reported to MNRE by 30th June of the year following the closing of the Financial Year.

(f) Completion Certificates (CCs) in respect of all the commissioned biogas plants and reported as achievements of the year to the MNRE will be maintained and kept safe in the records/plant documentation for Post – Audit verifications and plant inspection purposes.

(g) Similarly, the monitoring of the biogas plants (above 25 to 2500 M^3) shall be done by the respective PIA. After receiving the project completion and commissioning report from the designated PIA, the MNRE will assign the work of monitoring and inspection to a third party. The following documents shall be submitted before CFA release by the MNRE for biogas plants (above **25** M^3 to – 2500 M^3) :

(i) Joint Project Commissioning report of the Project;
(ii) Performance data as per clause III;
(iii) Photographs with Name, Address & Display Board;
(iv) Inspection report by Third Party/ BDTC;
(v) Audited statement of expenditure; and
(vi) Bank mandate form

(h) In case if any irregularity is brought to the notice of Government of India and including fraudulent claim(s) is detected subsequently at any point of time even after the final settlement of the accounts the CFA / Subsidy paid will be recovered in full along with penal interest and the decision of Secretary, MNRE, Government of India, in such matters would be final and binding on the PIAs.

(XI) Annual targets for installation of small biogas plants under Biogas Programme for FY 2022-23.

Sr. No.	State	State PIA	Nos. of Biogas Plants Target for 2022-23 (Category – wise)				Target for sanitary Toilet's linked Biogas Plant	Nos. of Biogas Training Courses			
			General	SC	ST	**Total**		CCMs	TKWT	STC	Users
1	Andhra Pradesh	NREDCAP	1500	400	100	**2000**	400	4	1	1	20
2	Arunachal Pradesh	APEDA	30	10	10	**50**	10	2	1	1	10
3	Assam	FDA	700	300	200	**1200**	300	2	2	1	30
4	Bihar	RDD	75	50	25	**150**	50	1	1	1	10
5	Chhattisgarh	CREDA	500	200	100	**800**	200	2	2	1	25
6	Goa	Agri. Dept.	30	10	10	**50**	10	1	1	0	5
7	Gujarat	RDD	200	75	25	**300**	150	2	1	1	15
8	Haryana	RDD,	70	20	10	**100**	50	1	0	1	10
9	Haryana	Agri Deptt.	300	80	20	**400**	120	1	1	1	10
10	Himachal Pradesh	RDD	30	10	10	**50**	10	1	1	1	5
11	Jammu & Kashmir	RDD	30	10	10	**50**	10	2	1	1	5
12	Jharkhand	RDD	20	15	15	**50**	10	2	2	1	5
13	Karnataka	RDPRD	1000	400	200	**1600**	800	2	2	2	20
14	Kerala	Agri Deptt.	250	100	50	**400**	200	1	1	1	10
15	Kerala	RDD	150	25	25	**200**	50	2	1	1	15
16	Madhya Pradesh	MPSAIDC	2000	500	400	**2900**	400	4	1	1	30
17	Maharashtra	RDD	4500	1000	500	**6000**	2500	4	2	1	20
18	Manipur	RDD	20	20	10	**50**	10	1	1	1	10
19	Meghalaya	MNREDA	20	20	10	**50**	10	1	1	1	5
20	Mizoram	DA&V	20	15	15	**50**	10	2	1	1	5
21	Nagaland	RDD	20	15	15	**50**	10	2	1	1	5
22	Odisha	OREDA	80	50	20	**150**	50	3	1	1	20
23	Punjab	PEDA	700	250	50	**1000**	400	4	2	1	25
24	Puducherry	RDD	30	10	10	**50**	10	1	1	-	5
25	Rajasthan	RDD, BFA	150	100	50	**300**	150	2	1	1	10
26	Sikkim	SREDA	30	10	10	**50**	10	1	0	-	5
27	Tamil Nadu	RDPRD	120	50	30	**200**	70	1	1	1	5
28	Telangana	RDD	50	30	20	**100**	50	1	1	-	10
29	Tripura	TREDA	60	25	15	**100**	20	1	1	1	10
30	Uttar Pradesh	UPNEDA	175	50	25	**250**	80	2	1	1	15
31	Uttarakhand	UREDA	50	30	20	**100**	30	1	1	-	10
32	Uttarakhand	RDD, Pauri	60	30	10	**100**	30	1	1	1	10
33	West Bengal	RDD	70	20	10	**100**	20	2	0	-	10
34	A&N Islands	RDPRD	30	10	10	**50**	10	-	-	-	5
35	D & N Haveli	RDPRD	30	10	10	**50**	10	1	0	-	5
36	KVIC, Mumbai	KVIC*#	1500	700	300	**2500**	700	10	6	2	30
37	NDDB, Anand	NDDB#	700	150	50	**900**	250	2	2	2	15
Total			**15300**	**4800**	**2400**	**22500**	**7200**	**73**	**44**	**32**	**460**

* Including 250 Plants for NER states. # All India basis for KVIC and NDDB.

Note: *Overall achievements (General+ SC+ ST) for each PIA are allowed to exceed by 10% of the total annual allocated targets.*

****

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

दिशा-निर्देश

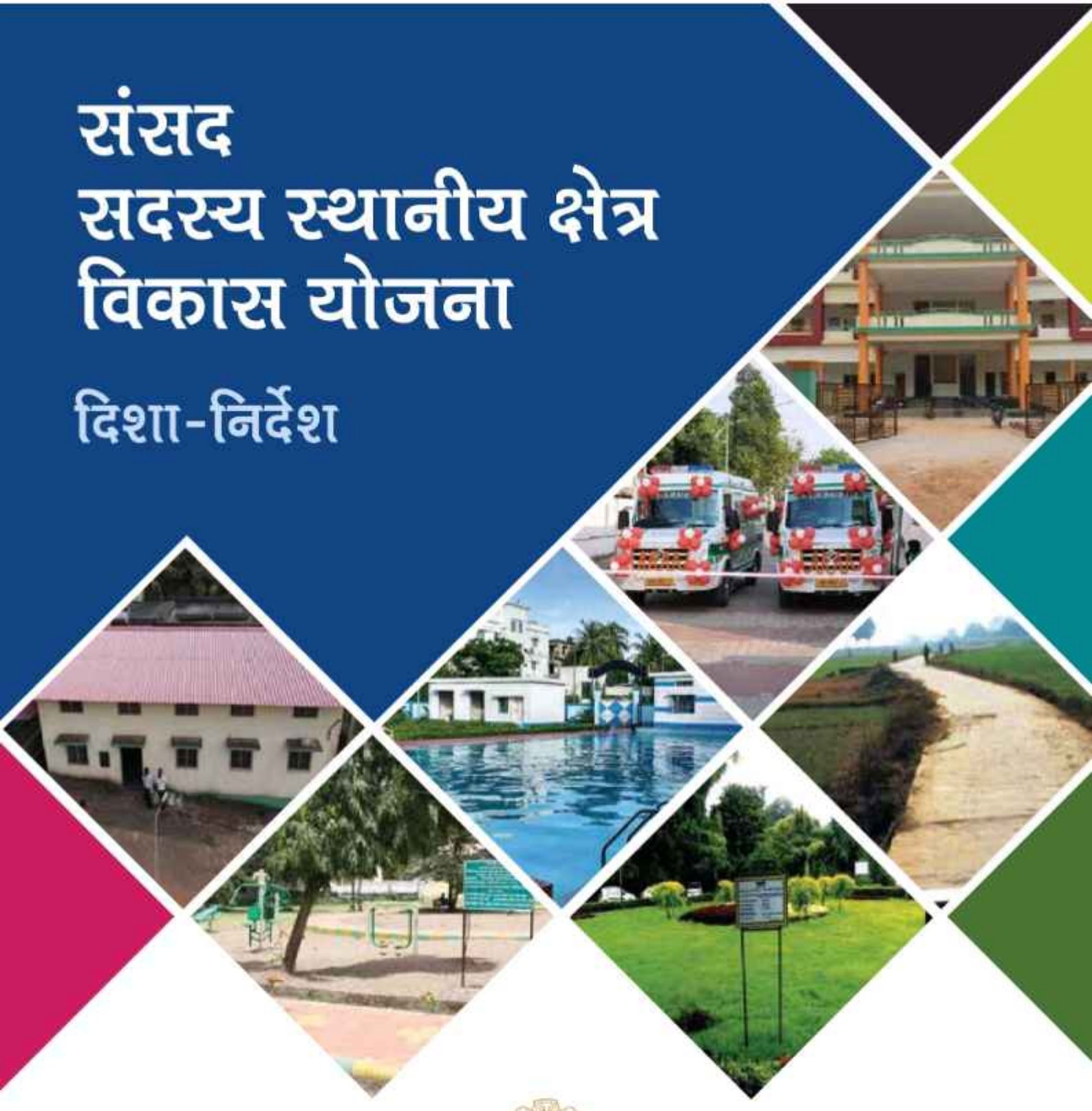

1 अप्रैल, 2023
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार
www.mplads.gov.in

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

दिशा-निर्देश

1 अप्रैल, 2023
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार
www.mplads.gov.in

संस्करण

1. प्रथम संस्करण, 22 फरवरी, 2023

2. द्वितीय संस्करण, 14 मार्च, 2023

सारणी

माननीय मंत्री महोदय का संदेश i

सचिव द्वारा प्राक्कथन ii

अपर सचिव द्वारा प्रस्तावना iii

परिभाषाएँ 1

अध्याय 1: क्रियान्वयन 3

अध्याय 2: पृष्ठभूमि 4

अध्याय 3: कार्यान्वयन 6

3.1 नोडल जिले का चयन व कार्यो की अनुशंसा 6

3.2 अनुशंसित कार्यो की स्वीकृति व निष्पादन 7

अध्याय 4: निगरानी 11

4.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका 11

4.2 केंद्रीय नोडल एजेंसी की भूमिका 11

4.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भूमिका 12

4.4 राज्य नोडल प्राधिकरण की भूमिका 13

4.5 जिला प्राधिकरण की भूमिका 14

4.6 कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका 15

अध्याय 5: एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्य 16

5.1 अनुमत कार्य 16

5.2 कार्य जो अनुमत नहीं हैं 18

5.3 दिव्यांग जनों के लिए सुलभता 19

5.4 अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों का विकास 20

अध्याय 6: पंजीकृत समितियों और न्यासों, सहकारी समितियों और बार संघों को सहायता 21

6.2 पंजीकृत समितियों/न्यासों को सहायता 21

6.3 सहकारी समितियों को सहायता 23

6.4 बार संघों को सहायता 24

अध्याय 7: एमपीलैड्स निधि का अन्य योजनाओं के साथ संमिलन 25

7.2 एमपीलैड्स निधि का मनरेगा के साथ संमिलन 25

7.3 एमपीलैड्स निधि का खेलो इंडिया: राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ संमिलन 26

7.4 केंद्र प्रायोजित योजना की बढ़ोतरी हेतु एमपीलैड्स निधि 26

7.5 स्वच्छ भारत अभियान 27

अध्याय 8: आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स कार्य 28

8.12 कार्यान्वयन प्रक्रिया 29

अध्याय 9: प्रशासनिक व्यय 31

9.5 नोडल जिलों में सुविधा केंद्र 34

अध्याय 10: निधि प्रवाह प्रबंधन 36

10.2 बैंक खाते 36

10.3 पीएफएमएस में खातों की मैपिंग 37

10.4 आहरण सीमाएं 38

10.5 केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा पूर्व सांसद की बची हुई राशि (अप्रयुक्त आहरण सीमा) का वितरण 40

10.6 पूर्व सांसदों के कार्यों को पूरा करना और खातों का समायोजन 41

10.7 भुगतान का निपटान 41

10.8 सभी मौजूदा खातों का स्थानन्तरण....42
10.9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की भूमिका....42

अध्याय 11: लेखांकन प्रक्रिया....43
11.4 लेखापरीक्षा और उपयोगिता प्रमाणपत्र....43

अनुबंध

अनुबंध–I नोडल जिले के चयन हेतु फार्म....45
अनुबंध–II कार्यों की अनुशंसा हेतु फार्मेट....46
अनुबंध–III एमपीलैड्स कार्यों के बारे में पट्टिका का प्रतिरूप....47
अनुबंध–IV करार प्रपत्र....48
अनुबंध–V प्राकृतिक आपदा के लिए सहमति पत्र....52
अनुबंध–VI उपयोग प्रमाणपत्र....53
अनुबंध–VII लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र....55
अनुबंध–VIII एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूची....57

दिशानिर्देशों के संशोधन में शामिल एमपीलैड्स की टीम....62

राव इन्द्रजीत सिंह
RAO INDERJIT SINGH

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय तथा
राज्य मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Minister of State (Independent Charge) of the
Ministry of Statistics and Programme Implementation;
MOS (I/C) of the Ministry of Planning and
MOS in the Ministry of Corporate Affairs
Government of India

संदेश

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(एमपीलैड्स) का संचालन करता है जो माननीय सांसदों को स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों पर आधारित टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाती है।

2. यह मंत्रालय, माननीय सांसदों, संसदीय समितियों, मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हितधारकों से प्राप्त सुझावों/इनपुट और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद, एमपीलैड्स पर दिशानिर्देशों का एक संशोधित सेट लेकर आया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, इसे समझने में सरल, अस्पष्टता से मुक्त और लागू करने में आसान बनाना है।

3. यह योजना एक गतिशील वातावरण में संचालित की जाती है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानीय समुदाय की विकास की जरूरतें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य परिस्थितियों के कारण भिन्न होती हैं तथा यह लगातार बदलती रहती हैं। तदनुसार, संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, माननीय सांसदों को इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को चुनने में अधिक छूट दी गई है, ताकि इससे समाज के बड़े सार्वजनिक हित के लिए टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण हो। इसके अतिरिक्त , कुछ शर्तों के अधीन, अचल परिसंपत्तियों की मरम्मत और नवीनीकरण की भी अनुमति दी गई है।

4. नए दिशानिर्देशों के तहत, निधि प्रवाह तंत्र में भी संशोधन किया गया है । माननीय सांसदों को नई परियोजनाओं की अनुशंसा करने से पहले मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले वास्तविक निधियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आहरण सीमा आवंटित की जाएगी। जिला प्राधिकारी भी आहरण सीमा प्राप्त होने पर कार्यों के कार्यान्वयन की शुरुआत कर सकते हैं। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भुगतान अधिकृत किए जाने के बाद वास्तविक निधि अब सीधे वेंडरों के पास जाएगी।

5. मुझे एमपीलैड्स संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए खुशी हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस योजना की क्षमता और प्रभावशीलता में सुधार लाने में काफी मददगार साबित होंगे।

(इन्द्रजीत सिंह)

101, Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-110001
Tel. : 011-23340739, 23340884, 23367245, Fax : 011-23340138

Residence : 6, Lodhi Estate, New Delhi - 110003
Telefax : 011-24643255, 24643266

डॉ. जी.पी. सामंता
सचिव एवं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
DR. G.P. SAMANTA
Secretary & Chief Statistician of India

भारत सरकार
Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics and Programme Implementation
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
Khurshid Lal Bhawan, Janpath,
New Delhi-110001
फोन Tel. : 011-23742150/23344689
फैक्स/Fax : 011-23742067
ईमेल/E-mail : secretary@mospi.gov.in

प्राक्कथन

एमपीलैड योजना पर संशोधित दिशानिर्देशों के जारी होने पर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर अनुभव की गई आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों के लिए एक प्रणाली प्रदान करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क आदि। इस योजना की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण माननीय संसद सदस्यों को शासकीय पहलों में कमियों को दूर करने में और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लघु स्तरीय और समयबद्ध परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता मिली है।

2. योजना को और अधिक परिवर्तनीय, सक्षम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से और इसे समुदाय की बदलती विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए, इसमें दिशानिर्देशों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी और सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया है। एक सक्रिय वातावरण में समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है और कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया है।

3. मैं, यहाँ श्री आलोक शेखर, अपर सचिव और श्री अरिन्दम मोदक, उप महानिदेशक, के अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सक्रिय नेतृत्व में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतने कम समय में ऐसा बेहतरीन दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का उत्कृष्ट कार्य किया है और जिसके लिए मैं हृदय से इन्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित दिशानिर्देशों से एमपीलैड योजना की कार्यशैली, कार्यान्वयन और निगरानी में और अधिक सुधार आएगा।

जी. पी. सामंता
(जी.पी सामंता)

आलोक शेखर
अपर सचिव
Alok Shekhar
Additional Secretary
Email : as-mospi@nic.in
Tel. : 23742567

भारत सरकार
Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics & Programme Implementation
कमरा नंबर 311, खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली-110001
Room No. 311, Khurshid Lal Bhawan, Janpath,
New Delhi-110001

आजादी का अमृत महोत्सव

प्रस्तावना

23 दिसंबर, 1993 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू होने के बाद से, पिछले 30 वर्षों से अधिक समयावधि में, एमपीलैड्स ने स्थानीय स्तर पर अनुभव की गयी आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. यह योजना नियमित दिशानिर्देशों द्वारा शासित की जाती है, जो पहली बार फरवरी, 1994 में जारी किए गए थे और तब से इन्हे समय-समय पर संशोधित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों का अंतिम वृहत पुनरीक्षण जून, 2016 में किया गया था। इसके वृहत संशोधन के वर्तमान कार्य में, दिशा-निर्देशों को सरल, लचीला और गतिशील बनाने का प्रयास किया गया है।

3. नए दिशा-निर्देशों के तहत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया एक आईटी प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी, जिस पर माननीय संसद सदस्य, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, जिला अधिकारी, आदि, सहित सभी हितधारक निधि और कार्यों की स्थिति की निगरानी वास्तविक समय आधार पर कर सकेंगे। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

4. अंत में, मैं राव इंद्रजीत सिंह, माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री और डॉ. जी. पी. सामंता, सीएसआई और सचिव को इन दिशानिर्देशों के संशोधन के दौरान उनके सतत मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं इस कार्य के दौरान एमपीलैड्स प्रभाग, एकीकृत वित प्रभाग और इस मंत्रालय की एनआईसी टीम के सभी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। मैं वित मंत्रालय (व्यय विभाग), वित मंत्रालय के पीएफएमएस प्रभाग और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के समर्थन के लिए भी आभारी हूं।

आलोक शेखर

(आलोक शेखर)

परिभाषाएँ

1. **केंद्रीय नोडल एजेंसी:** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के एमपीलैड्स प्रभाग के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, जिसे इसके बाद पीएमयू–एमपीलैड्स कहा जाएगा, केंद्रीय नोडल एजेंसी होगी।

2. **राज्य नोडल प्राधिकरण:** प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए अपने एक विभाग को राज्य नोडल विभाग के रूप में नामित करेगी। उस विभाग के प्रशासनिक सचिव को राज्य नोडल प्राधिकरण कहा जाएगा।

3. **नोडल जिला प्राधिकरण:** इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य को एक जिले का चयन करना आवश्यक है, जिसे एमपीलैड्स के तहत निधियों के आवंटन और कार्यों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के रूप में जाना जाएगा। चयनित नोडल जिले के प्रशासनिक प्रमुख अर्थात जिले के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को नोडल जिला प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता नगर निगमों के आयुक्त भी नोडल जिला प्राधिकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं।

4. **कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण:** इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, एक संसद सदस्य अपने नोडल जिले के अलावा अन्य जिलों में भी कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। कार्यान्वयन करने वाले जिले का प्रशासनिक प्रमुख, जो या तो नोडल जिला या कोई अन्य जिला हो सकता है, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

5. **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक:** व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 में निहित निदेशों के अनुसार

एमपीलैड्स के तहत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करने हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चयनित वाणिज्यिक बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

6. **कार्यान्वयन एजेंसीः** एमपीलैड्स के अनुशंसित और स्वीकृत कार्य का निष्पादन करने के लिए, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा चयनित, उन्हें आवंटित निधियों के संबंध में स्थानीय सरकार, और न्यास, समितियों और सहकारी समितियों सहित सरकार के विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

7. **उपयोगकर्ता एजेंसीः** वह एजेंसी, जिसे एमपीलैड्स के तहत सृजित चल और अचल संपत्ति, सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंपी जाती है, और जो ऐसी संपत्ति की संरक्षक होगी, और स्वयं की लागत पर उनके संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी, को उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

8. **वर्षः** जहां कहीं भी दिशानिर्देशों में "वर्ष" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है वित्तीय वर्ष।

अध्याय 1

क्रियान्वयन

1.1 ये दिशानिर्देश दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे, और एमपीलैड्स पर पिछले सभी दिशानिर्देशों और इसके तहत जारी किए गए निर्देशों का स्थान लेंगे।

1.2 ये दिशानिर्देश संसद सदस्यों सहित सभी हितधारकों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर लागू होंगे।

1.3 इन दिशानिर्देशों, या इसके किसी भी खंड, या इसके किसी प्रावधान की व्याख्या पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 2

पृष्ठभूमि

2.1 एमपीलैड योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की घोषणा 23 दिसम्बर, 1993 को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा संसद में की गई थी।

2.2 इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य को लोगों की स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाना है।

2.3 आरम्भ में एमपीलैड्स का प्रशासन–तंत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास था। तथापि, अक्टूबर, 1994 से, योजना का प्रशासन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास निहित है।

2.4 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना को कैसे लागू किया जाएगा और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कैसे निगरानी की जाएगी, इसके सम्बंध में दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.5 योजना संबंधी प्रथम दिशानिर्देश फरवरी, 1994 में जारी किए गए थे। बाद में इन्हें दिसंबर 1994, फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012, मई 2014 और जून 2016 में संशोधित किया गया था।

2.6 दिशानिर्देशों का वर्तमान व्यापक संशोधन 30 वर्षों में प्राप्त अनुभव और लोकसभा और राज्य सभा दोनों के सांसदों और समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित तृतीय–पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

2.7 वर्ष 1993–94 में, जब योजना शुरू की गई थी, प्रत्येक संसद सदस्य को 5 (पांच) लाख रुपये प्रति वर्ष की राशि आवंटित की गई थी, जिसे 1994–95 में बढ़ाकर 1 (एक) करोड़

रुपये प्रति वर्ष और आगे 1998–99 में प्रति वर्ष 2 (दो) करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 5 (पांच) करोड़ रुपये प्रति वर्ष नियत है।

2.8 वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए, एमपीलैड्स को 6 अप्रैल, 2020 से 9 नवंबर, 2021 तक निलंबित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए इस योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। वित्त वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के लिए अर्थात 10 नवंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक इस योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

अध्याय 3

कार्यान्वयन

3.1 नोडल जिले का चयन व कार्यों की अनुशंसा

3.1.1 कार्यकाल की शुरुआत में, प्रत्येक सांसद को इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–I में दिए गए प्रारूप में, एक नोडल जिले का अपना विकल्प सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी को देना अनिवार्य है। इसके बाद प्रत्येक संसद सदस्य इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–II में दिए गए प्रारूप के अनुसार वेब पोर्टल के माध्यम से पात्र कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। नोडल जिले का चयन और उस क्षेत्र का चयन जिसमें एमपीलैड्स के तहत कार्यों को प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है, का चयन निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगाः

क्रम सं.	संसद सदस्य	नोडल जिले का चयन		क्षेत्र जिसमें कार्यों की अनुशंसा की जा सकती है
1.	लोकसभा के लिए चुने गए	यदि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक जिले के अधिकार क्षेत्र में है।	संबंधित जिला	निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर, पैरा 3.1.2 में दिए गए उपबंधो को छोड़कर
		यदि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों के अधिकार क्षेत्र में फैला हुआ है।	इन जिलों में से कोई एक	
2.	राज्यसभा के लिए चुने गए	उसके चुनाव के राज्य में कोई भी जिला		चुनाव के राज्य के भीतर, पैरा 3.1.2 में दिए गए उपबंधो को छोड़कर
3.	राज्यसभा के लिए मनोनीत	देश का कोई भी जिला		देश में कहीं भी

3.1.2 उपरोक्त पैरा 3.1.1 के तहत व निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एक निर्वाचित संसद सदस्य सामान्य क्षेत्र के बाहर देश में कहीं भी काम की अनुशंसा कर सकता है:

3.1.2.1 एक वित्तीय वर्ष में प्रति संसद सदस्य के लिए आपदा की स्थिति को छोड़कर, ऐसी सभी अनुशंसाओ के लिए, 25 लाख रुपये की उच्चतम सीमा होगी।

3.1.2.2 आपदा की स्थिति में, संसद सदस्य इन दिशानिर्देशों के अध्याय 8 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अपनी एमपीलैड निधि का अंशदान कर सकते हैं।

3.1.2.3 यदि अनुशंसित कार्य नोडल जिला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले किसी कार्यान्वयन जिले से संबंधित है, तो प्रस्तावित कार्य की एक प्रति संसद सदस्यों द्वारा ऐसे जिला प्राधिकरणों को भी भेजी जाएगी।

3.2 अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति व निष्पादन

3.2.1 प्रत्येक कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण "परियोजनाओं की सूची" बनाएगा और इसे सांसदो को उपलब्ध कराएगा। परियोजनाओं की सूची केवल सांकेतिक होगी, और इन दिशानिर्देशों के अध्याय 5 के अध्यधीन संसद सदस्य लोगों की महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए सूची के अतिरिक्त भी कार्य कि अनुंशंसा दे सकते हैं।

3.2.2 जहां कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को महसूस हो कि अनुशंसित कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता, वह केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण और नोडल जिला प्राधिकरण को यथाशीघ्र सूचित करते हुए संबंधित संसद सदस्य को कारणों से अवगत कराएगा।

3.2.3 यदि अनुमानित लागत माननीय संसद सदस्य द्वारा उल्लिखित धनराशि से अधिक है, तो कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा कार्य तभी स्वीकृत किया जाएगा जब माननीय संसद सदस्य ने कार्य की सहमति प्रदान करते हुए कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत का आवंटन कर दिया हो।

3.2.4 संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

3.2.5 किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संसद सदस्य के सभी स्वीकृत कार्यों की कुल अनुमानित राशि ब्याज की राशि और पुनर्वितरण की राशि, यदि कोई है, सहित उस वित्तीय वर्ष तक उसकी पात्रता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2.6 निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के संचालन की अवधि, किसी विशिष्ट कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लागू है, तो उपरोक्त पैरा में उल्लिखित समय सीमा की गणना में शामिल नहीं कि जाएगी।

3.2.7 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को, किसी भी कार्य को स्वीकृति देने से पहले, संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से अपने स्वयं के संसाधनों से प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव की लागत को वहन करने की अपनी इच्छा के संबंध में लिखित में एक वचनबद्धता प्राप्त करनी चाहिए।

3.2.8 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, कार्य को स्वीकृति देने से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों के लिए सभी वैधानिक और नियामक मंजूरी सक्षम प्राधिकरणों से प्राप्त कर ली गई है और कार्य इन दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

3.2.9 किसी भी एक कार्य के लिए एमपीलैड योजना के तहत स्वीकृत न्यूनतम धनराशि सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपये से कम नहीं होगी। तथापि, यदि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण का यह सुविचारित विचार है कि कम राशि का कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए लाभकारी होगा, तो वह स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इसे स्वीकृत कर सकता है।

3.2.10 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण एक उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करेगा जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट कार्य निष्पादित किया जाना है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन इस उद्देश्य के लिए लागू राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी आदि को भी एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आदि) को उनके डोमेन से संबंधित कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुनना अनिवार्य होगा।

3.2.11 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण अनुशंसित कार्यों के लिए उचित लेखा रखेगा, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की स्थापित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित कार्यों के आकलन, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करेगा, तथा नोडल जिला प्राधिकरण को ऐसे कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा (जहां लागू हो), नोडल जिला प्राधिकरण प्रत्येक संसद सदस्य के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण और केंद्रीय नोडल एजेंसी को समेकित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

3.2.12 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए दुर्गम/पहाड़ी इलाकों आदि में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, इसके लिए विशिष्ट औचित्य को स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा। स्वीकृति पत्र की एक प्रति संबंधित संसद सदस्य को भी भेजी जाएगी।

3.2.13 कार्यान्वयन एजेंसियां कार्यों को निष्पादित करते समय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की स्थापित कार्य संवीक्षा प्रक्रिया और प्रणाली का पालन करेंगी, तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेंगी, दरों की अनुसूची के अनुसार कार्य का वित्तीय आकलन करेंगी, कार्य के निष्पादन के लिए एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से वेंडर की पहचान करेंगी और ऐसे कार्यों के समय पर कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी।

3.2.14 सभी कार्य, जिनके लिए संसद सदस्य के कार्यकाल की अंतिम तिथि तक नोडल जिला प्राधिकरण/कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के कार्यालय में अनुशंसाएँ प्राप्त होती हैं, निष्पादित की जाएंगी, बशर्ते कि ये एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हों, और एमपीलैड योजना के तहत उस संसद सदस्य को आवंटित राशि के भीतर हों।

3.2.15 कार्य और कार्य निष्पादन के लिए चयनित स्थल को कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा केवल संबंधित संसद सदस्य की सहमति से ही बदला जाएगा। साथ ही, संबंधित संसद सदस्य कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा कार्य को मंजूरी देने से पूर्व कार्य ओर स्थल में परिवर्तन/रद्द कर सकता है। तथापि, एक बार कार्य प्रारंभ हो जाने और व्यय की देयता सृजित हो जाने के बाद किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, एक संसद सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद, उस अवधि के दौरान उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों के किसी भी कार्य या स्थल को नहीं बदल सकता है।

3.2.16 संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों को उत्तराधिकारी संसद सदस्य द्वारा नहीं बदला जा सकता है, भले ही वही व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हो जाता है, या फिर से नामांकन पर नोडल जिले के रूप में उसी जिले को चुनता है जो उनके पूर्व कार्यकाल में था।

3.2.17 जैसे ही एमपीलैड्स के तहत कोई कार्य पूरा हो जाता है, उसे सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना चाहिए। अधिक से अधिक जन जागरूकता के लिए, 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य' शिलालेख वाली एक पट्टिका (पत्थर/धातु), जिसमें शामिल लागत, प्रारंभ, समापन और उद्घाटन तिथि, और परियोजना को संस्तुत करने वाले संसद सदस्य का नाम स्थायी रूप से परियोजना स्थल पर स्थापित की जानी चाहिए और बेहतर दृश्यता के लिए देखे जाने वाले स्तर पर रखी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो पट्टिका की लागत को कार्य की स्वीकृत लागत में शामिल किया जा सकता है। पट्टिका का एक प्रतिरूप इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–III में दिया गया है।

3.2.18 संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों अर्थात नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, तहसीलों, उप–तहसील, नगर निगमों और समितियों, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, आदि के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक संसद सदस्य के लिए एमपीलैड्स निधि से किए गए सभी कार्यों की सूची, जो पूर्ण और चालू दोनों हैं, को उनके कार्यालय में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और साथ ही उनकी वेबसाइटों पर पोस्ट किया जाना चाहिए, जहां लागू हो।

3.2.19 यदि किसी कारणवश किसी कार्य को रोकना/छोड़ना अपरिहार्य हो जाता है, तो मामले को राज्य नोडल प्राधिकरण को पूर्ण औचित्य के साथ, केंद्रीय नोडल एजेंसी को सूचित करते हुए और संबंधित संसद सदस्य को निर्णय के लिए भेजा जाना चा. हिए। यदि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवश्यक हो, तो राज्य सरकार जिम्मेदारी तय करेगी और दाषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। ऐसे सभी मामलों में, राज्य सरकारें रुके हुए/छोड़े गए कार्यों को अपने खर्चे पर पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होंगी।

3.2.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सभी नागरिकों को एमपीलैड योजना के किसी भी पहलू और इसके तहत अनुशंसित, स्वीकृत या निष्पादित कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों, स्वीकृत या स्वीकृत नहीं किए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों की लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों, उपयोगकर्ता एजेंसी आदि के बारे में कोई भी सूचना शामिल हो सकती है। कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवश्यकतानुसार तरीके से जनता को इस प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अध्याय–4

निगरानी

4.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका

4.1.1 यह जारी निधियों की समग्र स्थिति, स्वीकृत कार्यों की लागत, उपयोग की गई निधि आदि सहित एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करेगा।

4.1.2 यह एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ बैठक करेगा।

4.1.3 यह एमपीलैड्स के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

4.2 केंद्रीय नोडल एजेंसी की भूमिका

4.2.1 यह समय–समय पर एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी और एमपीलैड्स कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए मामले को राज्य नोडल प्राधिकारि, नोडल जिला प्राधिकरण या कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के साथ उठाएगी।

4.2.2 यह इन दिशानिर्देशों के अध्याय 10 में यथावर्णित संशोधित निधि प्रवाह प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

4.2.3 यह जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों से संपरीक्षा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों की निगरानी करेगी।

4.2.4 यह एमपीलैड योजना के केंद्रीय नोडल लेखा और इसके प्रशासनिक लेखा की संपरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से एक लेखापरीक्षक नियुक्त करेगा। निरंतरता के उद्देश्य से, एक ही लेखा परीक्षक तीन साल तक नियुक्त रह सकता है, और कोई भी नई नियुक्ति अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए एक कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह तक की जानी चाहिए।

4.2.5 यह समय–समय पर पूर्ण किए गए और चल रहे कार्यों के लिए प्रतिदर्श जिलों में स्वतंत्र तृतीय–पक्ष मूल्यांकन करेगी ।

4.2.6 यह एमपीलैड्स पर जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करेगी जब कभी ये राज्य नोडल प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

4.2.7 यह एमपीलैड्स पोर्टल और दिशानिर्देशों पर हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और संसद सदस्यों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, राज्य नोडल विभाग, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन एजेंसियों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, आदि के क्षमता विकास के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण), संगोष्ठियों/वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करेगी।

4.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भूमिका

4.3.1 यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एक विभाग को राज्य नोडल विभाग और उस विभाग के प्रशासनिक सचिव को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित करेगा।

4.3.2 एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन जिला प्राधिकारि को सौंपे जाएंगे, ताकि वे तकनीकी रूप से मूल्यांकन कर सकें, सक्षम जिला पदाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय अनुमान प्राप्त कर सकें और अंतिम प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर सकें।

4.3.3 यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य निगरानी समिति का गठन करेगा। इस समिति को वर्ष में कम से कम एक बार नोडल और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और संसद सदस्यों के साथ एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का काम सौंपा जाएगा, जिसमें धन का उपयोग शामिल है। सभी संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव को ऐसी बैठकों में भाग लेना चाहिए।

4.3.4 किसी भी संबंधित व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के किसी भी भौतिक उल्लंघन की स्थिति में, वह अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार भौतिक उल्लंघन और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के जानबूझकर गैर–अनुपालन अर्थात गैर–अनुमेय कार्य, धन का डायवर्जन, अत्यधिक

देरी, लापरवाही, जानबूझकर चूक के साथ घोटाले आदि के ऐसे सभी मामलों में दोषी/अपराधी अधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, विक्रेताओं आदि के खिलाफ जिम्मेदारी तय करेगी और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।

4.4 राज्य नोडल प्राधिकरण की भूमिका

4.4.1 यह अपने अधिकारियों को, जो उप सचिव/अधिशासी अभियंता के पद से नीचे के न हों, नियमित क्षेत्र का दौरा करके एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करेगा। राज्य नोडल विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में कम से कम 1% मूल्य के एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। राज्य स्तर पर एक निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए और उन निरीक्षणों के दौरान निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वे जिला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए एमपीलैड्स कार्यों की संख्या की जांच और समीक्षा भी कर सकते हैं।

4.4.2 अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अलावा, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार राज्य नोडल विभाग प्रत्येक वर्ष अपने राज्यों के प्रत्येक जिले में एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता जांच सहित, तृतीय–पक्ष निरीक्षण भी कराना होगाः रु. 25 लाख और अधिक की लागत वाले सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए; प्रत्येक जिले में रु. 15 से रु 25 के बीच लागत वाले सभी कार्यों का 50 प्रतिशत शामिल किया जाना चाहिए; और शेष कार्यों के लिए, कम से कम 50 कार्यों का एक प्रतिदर्श तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे लागत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुख्य रूप से बसे हुए क्षेत्र में कार्य, समितियों, न्यासों और सहकारी समितियों और बार संघों के कार्यों का विवेकपूर्ण संतुलन शामिल हों। ऐसी सभी निरीक्षण रिपोर्टों की एक प्रति अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर से पहले वार्षिक आधार पर केंद्रीय नोडल एजेंसी में प्रस्तुत की जाएगी।

4.4.3 राज्य नोडल विभाग प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में पुनर्वास कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। यह अपनी वेबसाइटों पर राज्य में एमपीलैड्स कार्यान्वयन पर डेटा भी पोस्ट करेगा।

4.4.4 यह राज्य नोडल प्राधिकरण के प्रशासनिक लेखा और आपदा लेखा, यदि कोई है, की लेखापरीक्षा के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा। निरंतरता के उद्देश्य

से, एक ही लेखा परीक्षक तीन साल तक नियुक्त रह सकता है, और कोई भी नई नियुक्ति अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए एक कैलेंडर वर्ष के जनवरी माह तक की जानी चाहिए।

4.4.5 पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जारी की गई एमपीलैड्स की सभी निधियों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी और इसके संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र राज्य नोडल प्राधिकरण की टिप्पणियों, यदि कोई है, के साथ प्रत्येक वर्ष की 30 सितंबर तक केंद्रीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित नोडल जिला प्राधिकरण इस संबंध में सभी लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों/टिप्पणियों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.4.6 यह एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

4.4.7 यह केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई सभी प्रकार की सूचनाओं/स्पष्टीकरणों को उचित समय अवधि के भीतर उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

4.5 जिला प्राधिकरण की भूमिका

4.5.1 वे जिला स्तर पर योजना के तहत कार्यों की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.5.2 वे प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करेंगे, और जहां तक संभव हो, ऐसे निरीक्षणों में संबंधित संसद सदस्य को शामिल करेंगे।

4.5.3 वे प्रत्येक संसद सदस्य के लिए और उनके प्रत्येक कार्यकाल के लिए कार्य–पंजिकाओं को बनाए रखेंगे, जिसमें उनके द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्य की स्थिति का विवरण होगा। इस कार्य पंजिका में कार्य पूर्ण होने पर कार्य संबंधी फोटोग्राफ भी होंगे।

4.5.4 वे एमपीलैड्स के अंतर्गत समितियों और न्यासों के लिए निष्पादित सभी कार्यों का नि. रीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि करारनामे की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। उन्हें करारनामे की शर्तों के उल्लंघन, यदि कोई हो, के मामले में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

4.5.5 वे इन दिशा निर्देशों के अध्याय 6 के प्रावधानों के अनुसार न्यासों और समितियों के लिए संचालित किए गए कार्यों हेतु अनिवार्य रूप से निरिक्षण पंजिकाओं का रखरखाव करेंगे।

4.5.6 इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के महालेखाकार द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल से एक लेखा परीक्षक शामिल होगा जो, जिलों के प्रशासनिक लेखो और आपदा लेखो, प्रत्येक कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के तहत सभी न्यासों, समितियों, सहकारी समितियों और बार संघ के लेखों जिनके लिए निधियां एमपीलैड्स के तहत जारी की जाती है का लेखा परीक्षण करेगा। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के लेखा की प्रत्येक वर्ष इस शर्त पर लेखा परीक्षा की जाएगी कि इस प्रकार की लेखा परीक्षा में सभी कार्यान्वयी एंजेसियो के उन सभी लेखाओं की लेखा परीक्षा शामिल की जाएंगी जिनके लिए उस वर्ष में अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी। निरन्तरता को बनाए रखने के लिए तीन वर्ष तक समान लेखा परीक्षक में बनाए रखा जा सकता है और अगले तीन वित्तिय वर्षो के लिए एक कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह तक नयी नियुक्तियां की जानी चाहिए।

4.5.7 पूर्ववती वर्ष के दौरान जारी एमपीलैड्स निधियों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी और इससे संबंधित ऑडिट प्रमाणपत्र कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण की टिप्पणीयो सहित, यदि कोई है तो, प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर तक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण इस संबंध में सभी लेखा संबंधी आपरियों/टिप्पणीयों को हटाने के लिए जिम्मेदार होगा।

4.5.8 वे एमपीलैड्स निधियों द्वारा सृजित और उसके पश्चात उपयोगकर्ता एजेंसियों या लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई सभी परिसंपत्तियों का एक परिसंपत्ति रजिस्टर भी बनाए रखेंगे और सार्वजनिक डोमेन में इन आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे।

4.5.9 वे कम से कम एक बार प्रत्येक माह कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे, जहां संबंधित संसद सदस्य भी आमंत्रित किए जाएंगे। ऐसी बैठकों पर एक रिपोर्ट विधिवत केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेजी जानी चाहिए।

4.6 कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका

4.6.1 कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्य स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया, विनिर्देशों और समय सारिणी के अनुसार संतोषजनक ढंग से प्रगति हो रही है।

4.6.2 उन्हें उनके द्वारा शुरू किए जा रहे परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के विवरण को दर्शाने के लिए कार्य पंजिका भी बनाए रखना चाहिए। इस पंजिका में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए स्थल के दौरे का विवरण भी शामिल होना चाहिए। उन्हें आवश्यक रूप से कार्यों का शत–प्रतिशत निरीक्षण करना चाहिए।

अध्याय 5

एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्य

5.1 अनुमत कार्य

5.1.1 सांसदों, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एमपीलैड्स कार्यों की अनुशंसा और स्वीकृति देते समय पालन किया जाने वाला मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि इससे समाज की बड़े स्तर पर जनता की भलाई के लिए टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता हो, और समाज के किसी भी वर्ग के लिए इसकी पहुंच और इसके उपयोग में कोई प्रतिबंध नहीं हो।

*5.1.2 एमपीलैड्स निधि का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अचल सार्वजनिक संपत्ति और केवल सरकारी स्वामित्व वाली और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों, यानी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय सरकारों के लिए चल सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

5.1.3 एमपीलैड्स निधि से खरीदी गई सभी चल संपत्तियां संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभाग की संपत्ति होंगी। समस्त चल सम्पत्तियों के क्रय की स्वीकृति समिति द्वारा की जाएगी जिसमें उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में, संबंधित सरकारी विभाग के एक प्रतिनिधि और उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर सदस्य के रूप में, द्वारा नामित अन्य सदस्य होगें। ऐसी चल संपत्ति के लिए लाभार्थीयों द्वारा भुगतान किये जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क, यदि कोई हो, भी उसी समिति द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए।

5.1.4 इन समग्र सिद्धांतों के तहत, एमपीलैड्स निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

5.1.4.1 सार्वजनिक और सामुदायिक भवन

5.1.4.2 सार्वजनिक सुविधाएं, बचाव और सुरक्षा

*पैरा 5.1.2 को सां. एवं का. का. मंत्रालय के परिपत्र सं. E-4/2020-MPLADS (Part-I) दिनांक 14.03.2023 के द्वारा संशोधित किया गया है।

5.1.4.3 शिक्षा

5.1.4.4 सार्वजनिक स्वास्थ्य

5.1.4.5 पेयजल और स्वच्छता

5.1.4.6 सिंचाई प्रणाली, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली

5.1.4.7 पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

5.1.4.8 कृषि और किसान कल्याण

5.1.4.9 ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली

5.1.4.10 रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते

5.1.4.11 पर्यावरण, जंगली जानवर, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन

5.1.4.12 जन मनोरंजन सुविधाएं, खेल और पार्क

5.1.5 उपरोक्त पैरा 5.1.4 में सूचीबद्ध किए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त एमपीलैड्स के अन्तर्गत संचालित किए जा सकने वाले कार्यों की एक निर्देशात्मक सूची अनुबंध–VIII में दी गई है। तथापि, यह सूची पूर्ण नहीं है और इसमें संसद सदस्य की अनुशंसाओं पर नए कार्य केवल तभी जोड़े जा सकते हैं, जब वे उपर्युक्त उल्लिखित योजना के समग्र सिद्धान्तों के अनुरूप हो। जब एक संसद सदस्य सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए एक नए कार्य की अनुशंसा करेगा, कार्यन्वयी जिला प्राधिकरण प्रस्ताव की जांच करेगा और अपनी अनुशंसाएं केन्द्रीय नोडल एजेंसी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा जो एमपीलैड्स के अन्तर्गत कार्यों की सूची में इसके समावेशन का अनुमोदन करेगा।

5.1.6 उपरोक्त पैरा 5.1.1 से पैरा 5.1.5 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अलग–अलग दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल (मैनुअल या मोटर चालित), इलेक्ट्रिक स्कूटी, श्रवण सम्बन्धी उपकरण और ऐसे अन्य उपकरण दिए जा सकते हैं बशर्ते कि ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जाती है और जिले के मुख्य चिकित्सा

अधिकारी के अधीन एक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और एक सार्वजनिक समारोह में पहचाने किए गए लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए जाते हैं। उक्त समिति दरों के औचित्य को भी प्रमाणित करेगी। कोई आवर्ती व्यय या नकद अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। एक व्यक्ति को दिए जाने वाले उपकरणों के लिए विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा अनुदानों की क्लबिंग की भी अनुमति नहीं होगी।

5.1.7 एमपीलैड्स निधि से सृजित प्रत्येक चल संपत्ति पर, जहां तक संभव हो, "श्री/श्रीमती....., संसद सदस्य द्वारा योगदान किए गए एमपीलैड्स फंड के साथ भारत सरकार द्वारा प्राप्त/निर्मित.....(संपत्ति)।" मोटे अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। ऐसी सभी संपत्तियों का विवरण संबंधित सरकारी संस्थानों के स्टॉक रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाएगा।

5.1.8 जिला प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों और संस्थानों आदि में प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी अचल संपत्तियों के प्रावधान के साथ–साथ ऐसी संपत्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के बारे में जानकारी के साथ, सार्वजनिक यदि कोई मामला हो तो शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाएं आदि की सार्वजनिक नोटिस देगा।

5.1.9 एमपीलैड्स निधियाँ अचल संपत्तियो की मरम्मत और उनके नवीनीकरण के लिए उपयोग की जा सकती है यह इस शर्त के अधीन होगा कि एक संसद सदस्य ऐसी सभी मरम्मतों और नवीनीकरण के लिए केवल 50 लाख रुपए तक की राशि की अनुशंसा कर सकता है, बशर्ते कि संपति का नवीनीकरण इसके वास्तविक निर्माण या अन्तिम मरम्मत से समय के उपयुक्त अन्तराल के बाद ही किया जा सकता है।

5.2 कार्य जो अनुमत नहीं हैं

5.2.1 एमपीलैड्स निधियां किसी भी प्रकार के संचालन और रखरखाव के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।

5.2.2 सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्यथा के लिए आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.3 वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों से जुड़े सभी कार्य।

5.2.4 किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम पर एमपीलैड्स निधि के अतंर्गत सृजित परिसंपत्तयों के नामकरण की अनुमति नहीं जाएगी।

5.2.5 कोई अनुदान और ऋण।

5.2.6 किसी केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राहत कोष में योगदान।

5.2.7 भूमि का अधिग्रहण या अधिग्रहित भूमि के लिए कोई मुआवजा।

5.2.8 पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्यों के लिए, या चल वस्तुओं की खरीद या अपूर्ण/चल रही परियोजनाओं/परित्यक्त कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति।

5.2.9 व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभों के लिए परिसंपत्ति, इन दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.6 में उल्लिखित को छोड़कर।

5.2.10 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निधियों को एमपीलैड्स निधियों के साथ पूल करना।

5.2.11 धार्मिक प्रकृति के कार्य, या धार्मिक पूजा के स्थानों/परिसरों के भीतर, और धार्मिक आस्था/समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर।

5.2.12 स्वागत द्वार का निर्माण।

5.2.13 अनाधिकृत कालोनी में कार्य।

5.2.14 किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय।

5.3 विकलांग व्यक्तियों तक पहुंच प्रदान करना

5.3.1 यह अनिवार्य होगा कि एमपीलैड्स के तहत सृजित सभी चल और अचल संपत्ति जहां भी संभव हो विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल हो। एमपीलैड्स के तहत सृजित मौजूदा परिसंपत्तियों को विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए उनमें रेट्रोफिटिंग की अनुमति होगी।

5.4 अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों का विकास

*5.4.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर उचित ध्यान देने के लिए, संसद सदस्य अनुसूचित जाति के आबादी वाले क्षेत्रों में एक वर्ष की कुल एमपीलैड्स पात्रता से कम से कम 15 प्रतिशत की लागत वाले कार्यों और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष की कुल एमपीलैड्स पात्रता के कम से कम 7.5 प्रतिशत कार्यों की प्रतिवर्ष अनुशंसा करेगें।

5.4.2 यदि किसी लोकसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अपर्याप्त है, तो ऐसी निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां निवास करती हैं और इसके विपरीत स्थिति में भी ऐसा ही होगा।

5.4.3 जनजातीय क्षेत्रों और अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां भूमि स्वामित्व का हस्तांतरण संभव नहीं है, सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के लिए एमपीलैड्स कार्यों को उसी प्रथा द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जिसके माध्यम से राज्य सरकार अन्य सभी सार्वजनिक कार्यों का निर्माण करती है, जैसे अन्य केंद्र/राज्य सरकार विकास योजना के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि। हालांकि, यह इन शर्तों के अधीन होगा कि भूमि मालिक द्वारा एक वचनबद्धता दी जाएगी कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार को भूमि दिए जाने के बाद वह ऐसी भूमि या उस पर बनाई गई संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेगा और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अलावा समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा संपत्ति के प्रयोग की निर्बाध पहुंच होगी।

5.4.4 कार्यन्वयन जिला प्राधिकरण मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी और डेटा बनाए रखेंगे, और राज्य नोडल प्राधिकरण को तिमाही आधार पर विवरण प्रस्तुत करेंगे।

*पैरा 5.4.1 को सां. एवं का. का. मंत्रालय के परिपत्र सं. E-4/2020-MPLADS (Part-I) दिनांक 14.03.2023 के द्वारा संशोधित किया गया है।

अध्याय 6

पंजीकृत समितियों और न्यासों, सहकारी समितियों और बार संघों को सहायता

6.1 इन दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.2 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, एमपीलैड्स निधि का उपयोग बार संघों, पंजीकृत समितियों तथा न्यासों और सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जिन शर्तों के तहत इस तरह के अनुदान जारी किए जा सकते हैं, वे निम्नलिखित पैरा में दिए गए हैं।

6.2 पंजीकृत समितियों/न्यासों को सहायता

6.2.1 एमपीलैड्स के तहत, पंजीकृत समिति/न्यास के लिए केवल सामुदायिक बुनियादी ढांचे और गैर–व्यावसायिक प्रकृति के सार्वजनिक उपयोगिता भवन के कार्यों की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी समिति/न्यास सामाजिक सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगी हो और यह पिछले तीन साल से अस्तित्व में रही हो।

6.2.2 समिति/न्यास के अस्तित्व की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से इसने क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को शुरू किया था, या प्रासंगिक पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण की तारीख, जो भी बाद में हो।

6.2.3 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी न्यास/समिति नीति आयोग द्वारा बनाए जा रहे दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकृत हो और गैर–सरकारी संगठनों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता संख्या हो।

6.2.4 कार्यान्वयी जिला प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करें कि एमपीलैड्स के तहत लाभार्थी न्यास/समिति को दिए गए अनुदान वास्तविक समय आधार पर दर्पण पोर्टल पर

अद्यतित किए जाते है। इस प्रावधान का किसी भी प्रकार का उल्लंघन न्यास/समिति को एमपीलैड्स के अंतर्गत भविष्य में दिए जाने वाले किसी भी अनुदान से वंचित करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा।

6.2.5 लाभार्थी समिति/न्यास एक सुस्थापित, लोकप्रिय, निर्लाभ इकाई होगी जिसे सम्बन्धित क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऐसी समिति/न्यास प्रतिष्ठित है या नही, इसका निर्णय कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, प्रासंगिक कारकों को जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, कल्याण गतिविधियां, उसकी गतिविधियों का निर्लाभ अर्जन की ओर रुझान, उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तिय स्थीति, के आधार पर करेगा।

6.2.6 कार्यों को न्यास/समिति के लिए पैरा 6.2.6.1 से 6.2.6.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है।

6.2.6.1 भूमि का स्वामित्व समिति/न्यास के पास रह सकता है, लेकिन एमपीलैड्स निधि से निर्मित संरचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी। समिति/न्यास एमपीलैड्स के तहत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन, रख–रखाव और रख–रखाव का दायित्व अपनी लागत पर करेगा। यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि एमपीलैड्स निधि से सृजित परिसंपत्ति का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए परिसंपत्ति का वित्त पोषण किया गया था, तो राज्य/संघ राज्य सरकार संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है और समिति/न्यास से वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इस तरह के काम के लिए कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति जारी करने की तारीख से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संपत्ति के निर्माण के लिए एमपीलैड्स से खर्च की गई लागत सहित इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा हेतु समिति/न्यास द्वारा कार्यान्वयी जिला प्राधिकरण की सहायता से एक औपचारिक समझौता (एक प्रतिरूप समझौता फॉर्म अनुबंध–IV में दिया गया है) पहले से तैयार किया गया जाऐगा। यह समझौता 10 रुपए या उससे अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जैसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू है, उचित पंजिकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

6.2.6.2 एक संसद सदस्य सभी समितियों/न्यासों को एक साथ मिलाकर केवल रुपये 50 लाख प्रति वर्ष तक की धनराशि की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते कि संसद सदस्य किसी विशेष

समिति/न्यास के लिए अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के कार्यों की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपये की सीमा, उनके संसद सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन/मनोनयन के उपरान्त नए कार्यकाल के प्रारम्भ होने पर पुनः शुरू होगी।

6.2.6.3 किसी समिति/न्यास के लिए एमपीलैड्स फंडिंग की अनुमति नहीं है, यदि अनुशंसा करने वाला संसद सदस्य या अन्य कोई पदेन संसद सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य संबंधित पंजीकृत समिति/न्यास का अध्यक्ष/सभापति प्रबंध समिति का सदस्य या ट्रस्टी है। परिवार के सदस्यों में संसद सदस्य, उनकी पत्नी/पति, उनके माता–पिता, भाई–बहन, बच्चे, नाती–पोते और उनके पति/पत्नी और उनके ससुराल वाले शामिल होंगे। संसद सदस्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्यासों/समितियों के परिपत्र या पारस्परिक वित्त पोषण से बचकर दिशानिर्देशों की भावना को बनाए रखा जाए।

6.2.6.4 इसके अलावा, जब किसी संसद सदस्य द्वारा किसी समिति/न्यास के लिए निधियों की अनुशंसा की गई हो, और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा मंजूरी से पहले जांच के लिए दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण/दस्तावेजों का अनुरोध किया जाता है, तो उक्त समिति/न्यास को अपेक्षित दस्तावेज, जिला प्रशासन से पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक माह की अवधि तक प्रदान करें। यदि एक माह की अवधि के भीतर दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस समिति/न्यास के लिए संसद सदस्य की अनुशंसा को जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसा करने वाले संसद सदस्य को सूचित करते हुए रद्द कर दिया जाएगा।

6.3 सहकारी समितियों को सहायता

*6.3.1 सहकारी समितियाँ, सहकारी आवासन समितियों को छोड़कर, एमपीलैड्स के तहत पंजीकृत न्यासों/समितियों के समान केवल सामुदायिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता भवनों हेतु सहायता के लिए पात्र होंगी।

6.3.2 सहकारी समिति पिछले 3 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए और जिला प्राधिकरण की राय में, प्रदर्शन और रिकॉर्ड आदि के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर, प्रतिष्ठित और समुदाय/सार्वजनिक कल्याण के लिए समर्पित होनी चाहिए।

*पैरा 6.3.1 को सां. एवं का. का. मंत्रालय के परिपत्र सं. E-4/2020-MPLADS (Part-I) दिनांक 14.03.2023 के द्वारा संशोधित किया गया है।

6.3.3 एमपीलैड्स निधि से सृजित परिसंपत्ति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी (दिशानिर्देशों का पैरा 6.2.6 यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा)।

6.3.4 न्यासों/समितियों को सहायता के लिए लागू होने वाली अधिकतम सीमा (एक वित्तीय वर्ष में एक संसद सदस्य द्वारा 50 लाख रुपये) यथावश्यक परिवर्तनों सहित सहकारी समितियों पर लागू होगी (दिशानिर्देशों का पैरा 6.2.6.2)।

6.3.5 अनुशंसा करने वाले संसद सदस्य या अन्य कोई पदेन संसद सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य सहकारी समिति का पदाधिकारी या सदस्य या संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य द्वारा म्युचुअल फंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी (दिशानिर्देशों के पैरा 6.2.6.3 यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे)।

6.4 बार संघों को सहायता

6.4.1 संसद सदस्य बार संघ के नए भवन के निर्माण हेतु तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर पर बार संघ के लिए अपने एमपीलैड्स फंड की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए भूमि संबंधित अदालत परिसर के भीतर हो और केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय स्वशासन या बार संघ संबंधित हो। बार संघ के किसी भी आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किसी भी एमपीलैड्स फंड की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.4.2 संसद सदस्य निचली और जिला न्यायालयों के लिए (तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर पर न्यायालय) बार संघ पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की खरीद के लिए एमपीलैड्स निधि से रुपये 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) प्रति वर्ष की अनुशंसा कर सकते हैं।

6.4.3 संसद सदस्य की ऐसी सभी अनुशंसाओं की जांच/अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें जिला के उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिले के कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में होंगे, और जिला अटॉर्नी, जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित एक अधीनस्थ न्यायाधीश और सदस्य के रूप में बार काउंसिल द्वारा मनोनीत दो प्रख्यात वकील होंगे।

अध्याय 7

एमपीलैड्स निधि का अन्य योजनाओं के साथ संमिलन

7.1 एमपीलैड्स निधियों, न्यास, समिति और सहकारी समितियों के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को शामिल करते हुए, को अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ–साथ स्थानीय निकायों की व्यक्तिगत/स्टैंड–अलोन परियोजनाओं के साथ पूल किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हों। जहां कहीं भी ऐसी पूलिंग की जाती है, वहां पहले अन्य योजनाओं के धन का उपयोग किया जाना चाहिए और परियोजना को पूरा करने हेतु अंतराल को भरने के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल अंत में किया जाना चाहिए।

7.2 एमपीलैड्स निधि का मनरेगा के साथ संमिलन

7.2.1 एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के लिए सामग्री घटक खरीद हेतु किया जाएगा जिन्हें सक्षम प्राधिकरण द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए जिले की वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया है।

7.2.2 एक बार संसद सदस्य द्वारा मनरेगा के लिए किसी कार्य की अनुशंसा करने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

7.2.3 ग्राम पंचायत ऐसी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

7.2.4 चूंकि ऐसी परियोजनाओं में सामग्री और श्रम घटकों के एक साथ प्रवाहित होने की उम्मीद है, ऐसे पूलिंग में यह आवश्यक नहीं होगा कि एमपीलैड्स निधि का उपयोग केवल अंत में किया जाए।

7.2.5 एमपीलैड्स और मनरेगा दोनों के लिए व्यय का लेखा अलग से रखा जाएगा।

7.2.6 परियोजना स्थल पर एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) जिसमें शामिल लागत, एमपीलैड्स और मनरेगा से योगदान, प्रारंभ, समापन और उद्घाटन तिथि, और एमपीलैड्स के तहत काम को अनुशंसित करने वाले संसद सदस्य के नाम को दर्शाते हुए स्थायी रूप से स्थापित कि जानी चाहिए।

7.3 एमपीलैड्स निधि का खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ संमिलन

7.3.1 एक संसद सदस्य खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की परियोजना सूची में से गांवों और ब्लॉकों के पहाड़ी क्षेत्रों में खेल के मैदानों को समतल करने, चारदीवारी के निर्माण आदि सहित खेल के मैदानों के विकास जैसे कार्यों की अनुशंसा कर सकता है बशर्ते ऐसी परियोजनाएं एमपीलैड्स के तहत अन्यथा पात्र हों।

7.3.2 इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के प्रावधान के अधीन टिकाऊ खेल संपत्ति, जैसे बहुउद्देश्यीय खेल हॉल, एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी टर्फ, आदि के निर्माण के लिए अभिसरण की भी अनुमति होगी।

7.3.3 एमपीलैड्स और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम दोनों के लिए व्यय का लेखा अलग से रखा जाएगा।

7.3.4 परियोजना स्थल पर एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) जिसमें शामिल लागत, एमपीलैड्स और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम से योगदान, प्रारम्भ, समापन और उद्घाटन की तिथि, और एमपीलैड्स के तहत काम को अनुशंसित करने वाले संसद सदस्य के नाम को दर्शाते हुए स्थायी रूप से स्थापित कि जानी चाहिए।

7.4 केंद्र प्रायोजित योजना की बढ़ोतरी के लिए एमपीलैड्स निधि

7.4.1 संसद सदस्य अपनी एमपीलैड्स निधि में से एक निश्चित राशि से केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य के हिस्से के ऊपर और उस भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाते हुए, जहां बढ़ी हुई राशि को खर्च किया जाना है, अनुशंसा कर सकते हैं।

7.4.2 हालांकि, संसद सदस्य केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इस तरह की बढ़ी हुई राशि के लिए लाभार्थियों को इंगित नहीं कर सकते हैं। कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा पहले से तैयार की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार लाभार्थी बने रहेंगे, और सूची को संसद सदस्य के अनुरोध पर नहीं बदला जाएगा।

7.5 स्वच्छ भारत अभियान

7.5.1 इन दिशानिर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, एक संसद सदस्य स्वच्छ भारत अभियान के लिए निधियों में वृद्धि की अनुशंसा कर सकता है, जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है।

7.5.2 तथापि, ऐसी सभी अनुशंसाएं इन दिशानिर्देशों के पैरा 7.1 और पैरा 7.4 में निहित प्रावधानों के अधीन होंगी।

7.6 एमपीलैड्स निधि का उपयोग केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रम/योजना में सार्वजनिक और सामुदायिक योगदान के स्थान पर नहीं किया जाएगा, जो ऐसे अशंदान प्रदान करता है।

7.7 संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों में सार्वजनिक और सामुदायिक अंशदान की अनुमति है। ऐसे मामलों में एमपीलैड्स निधियां, अनुमानित राशि में से सार्वजनिक और सामुदायिक अंशदान घटाकर, सीमित कर दी जाएंगी।

अध्याय 8

आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स कार्य

8.1 कोई भी संसद सदस्य देश में कहीं से भी इन दिशानिर्देशों के अन्य प्रावधानों के अधीन, देश के किसी भी हिस्से में भारत सरकार द्वारा घोषित 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और निर्माण कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए तक के अपने एमपीलैड्स निधियों की सहमति दे सकते हैं।

8.2 उपरोक्त पैरा 8.1 के प्रावधानों के अतिरिक्त, जब 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से घोषित की गई है, न कि भारत सरकार द्वारा, उस राज्य में से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा संसद सदस्य और उस राज्य के कोई भी राज्य सभा सदस्य उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सहमति दे सकते हैं।

8.3 प्रत्येक संसद सदस्य केन्द्रीय नोडल एजेंसी/राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा आपदा की घोषणा की तिथि से 90 दिन के भीतर वांछनीय रूप से इन दिशा निर्देशों के अनुबंध–V में दिए गए प्रारूप में अपने नोडल जिला प्राधिकरण को अपनी सहमति देंगे। यदि सहमति प्राधिकार का हस्तांतरण किसी वैध कारण की वजह से संभव नही हुआ, यह नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा संबंधित संसद सदस्य को उसकी सहमति की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर बताया जाना चाहिए।

8.4 भारत सरकार द्वारा घोषित 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' की स्थिति में केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा आपदा प्रभावित राज्यों के लिए एक पृथक सहायक खाता खोला जाएगा ताकि सहमत राशि से संबंधित प्राधिकार प्राप्त की जा सके। राज्य सरकार द्वारा घोषित 'गंभीर प्राकृतिक आपदा' की स्थिति में राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा एक पृथक सहायता खाता खोला जाएगा ताकि सहमत राशि से संबंधित अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सके।

8.5 इसी प्रकार, आपदा प्रभावित जिलों के लिए उस जिले के संबंध में राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए एक पृथक सहायक खाता खोला जाएगा।

8.6 संसद सदस्य के नोडल जिला प्राधिकरण से पुष्टि होने पर, केंद्रीय नोडल एजेंसी प्रभावित राज्यों के राज्य नोडल प्राधिकरण के आपदा राहत खाते की आहरण सीमा को बढ़ाएगी, साथ ही साथ उस नोडल जिला प्राधिकरण की आहरण सीमा को कम करेगी।

8.7 राज्य नोडल प्राधिकरण एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत कार्यों की सूची तैयार करेगें और राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करेगें। हालांकि, कार्यों के इस तरह के अनुमोदन को एक बार की गतिविधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह निधि की उपलब्धता के साथ–साथ होना चाहिए।

8.8 आपदा प्रभावित राज्य नोडल प्राधिकरण आहरण सीमा की उपलब्धता के अधिकतम 45 दिनों के भीतर आपदा राहत कार्यों को स्वीकृत कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.9 राज्य नोडल विभाग संसद सदस्यों और केंद्रीय नोडल एजेंसी को आपदा निधि से शुरू किए जा रहे अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की सूची से अवगत कराएगा।

8.10 कार्यान्वयन जिलों के आपदा खातों की आहरण सीमा आपदा प्रभावित राज्य के राज्य नोडल प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत कार्यों के सत्यापन के बाद तय की जाएगी, और केंद्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त कुल प्राधिकार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.11 राज्य नोडल प्राधिकरण कम से कम भारत सरकार के निदेशक के पद या वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा, जो नियमित रूप से चल रहे पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा।

8.12 कार्यान्वयन प्रक्रिया

8.12.1 सभी पुनर्वास कार्य उनके अनुमोदन के 18 महीने के भीतर पूरे किए जाएंगे।

8.12.2 यदि स्वीकृत आहरण सीमा की उपलब्धता के बावजूद 18 माह के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो राज्य नोडल प्राधिकरण राज्य के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्र

के प्रशासक के अनुमोदन से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

8.12.3 यदि कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण नहीं किया जाता है तथा समस्त स्वीकृत आहरण सीमाओं का भी उपयोग कर लिया गया है, तो इस मामले में कार्यों को "छोड़े गए/ निलंबित कार्यों" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इन दिशानिर्देशों के पैरा 3.2.19 में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

8.12.4 किसी विशिष्ट आपदा का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को उस आपदा के लिए स्वीकृत आहरण सीमा उपलब्ध होने के 21 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

8.12.5 किसी विशिष्ट आपदा का अस्वीकृत शेष, यदि यह राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा आहरण सीमा प्राप्त करने की तिथि से 12 महीने से अधिक अस्वीकृत रहता है, तो इसे आपदा प्रभावित राज्य के राज्य आपदा राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8.12.6 कार्यों के पूरा होने के बाद, आहरण सीमा में सभी अव्ययित शेष राशि को आपदा प्रभावित राज्य के राज्य आपदा राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अध्याय 9

प्रशासनिक व्यय

9.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण एमपीलैड्स के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए निधियों के लिए पात्र होंगे। ऐसे खातों की आहरण सीमा यथा उल्लिखित के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

प्राधिकरण	**प्रशासनिक व्यय के लिए निधियों का आवंटन**
केंद्रीय नोडल एजेंसी	नोडल जिला प्राधिकरणों को जारी किए गए कुल प्राधिकार का 0.1%
राज्य नोडल प्राधिकरण	उस राज्य में प्राप्त कुल प्राधिकार का 0.1%
नोडल जिला प्राधिकरण	नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कुल प्राधिकार का 0.8%
कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण	नोडल जिला प्राधिकरण से आहरण सीमा के रूप में प्राप्त प्रत्येक प्राधिकार का 1.0%

9.2 राज्य नोडल प्राधिकरण और नोडल जिला प्राधिकरण के पास ऐसे खातों की आहरण सीमा केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी। हालांकि, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के साथ खाते की निकासी सीमा नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा एक कार्यान्वयन जिले के विकास कार्य के लिए अनुशंसित राशि के 1.0% के रूप में तय की जाएगी।

9.3 ऐसे प्रशासनिक खातों के तहत उपलब्ध आहरण सीमा का उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:

9.3.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी

9.3.1.1 सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा एमपीलैड्स कार्यान्वयन की निगरानी।

9.3.1.2 तृतीय पक्ष निरीक्षण–एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता जांच।

9.3.1.3 एमपीलैड्स की योजना/निगरानी के लिए कार्यालय, बैठक हॉल, वीसी हॉल, कार्यालय फर्नीचर, वाहन, आईटी सिस्टम (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), आदि सहित आधारभूत संरचना का निर्माण करना।

9.3.1.4 इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आईटी सिस्टम और पोर्टल के विकास और प्रबंधन के लिए श्रमबल की भर्ती।

9.3.1.5 एमपीलैड योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहे एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी का प्रसार करना।

9.3.1.6 एमपीलैड्स पर जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना जब भी राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है।

9.3.1.7 एमपीलैड्स पोर्टल और दिशानिर्देशों पर हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और संसद सदस्यों, सीएनए के अधिकारी और कर्मचारी, मंत्रालय, राज्य नोडल विभाग, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसियां, उपयोगकर्ता एजेंसियां, आदि के क्षमता विकास के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण), सेमिनार/वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करना।

9.3.1.8 पूरे किए गए लेखों की संपरीक्षा करवाने तथा लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किया गया व्यय।

9.3.1.9 अदालती मामलों के लिए किया गया व्यय।

9.3.2 राज्य नोडल प्राधिकरण

9.3.2.1 तृतीय पक्ष निरीक्षण–एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता जांच।

9.3.2.2 एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी और केंद्रीय नोडल एजेंसी की सहायता करना।

9.3.2.3 एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद और मुद्रण।

9.3.2.4 निम्न श्रेणियों से तकनीकी कार्मिकों को पूरी तरह आकस्मिक आधार पर भर्ती करनाः लेखापाल/प्रोग्रामर/परामर्शदाता/निगरानी अधिकारी।

9.3.2.5 योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहें एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी का प्रसार करना।

9.3.2.6 आईटी सिस्टम सहित कार्यालय फर्नीचर, स्टेशनरी, उपकरण की खरीद।

9.3.2.7 टेलीफोन, इन्टरनेट, फैक्स, डाक शुल्क आदि पर आवर्ती व्यय।

9.3.2.8 निरीक्षण करने के लिए वाहनों को किराए पर लेना, इस शर्त के साथ कि इस खाते पर कुल लागत केवल 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की अनुमति होगी।

9.3.2.9 अदालती मामलों के लिए किया गया व्यय।

9.3.3 नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण

9.3.3.1 इन दिशानिर्देशों के पैरा 9.5 में बताए गए अनुसार सुविधा केंद्र की स्थापना और उसके बाद के पूंजीगत व्यय।

9.3.3.2 निम्न श्रेणियों से तकनीकी कार्मिकों को पूरी तरह आकस्मिक आधार पर भर्ती करनाः लेखापाल/प्रोग्रामर/परामर्शदाता/निगरानी अधिकारी।

9.3.3.3 विशिष्ट मामलों में, जहां आवश्यक हो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वास्तुकार और परामर्शदाता की भर्ती।

9.3.3.4 एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में जिला स्तर पर कार्यों की निगरानी और केंद्रीय और राज्य नोडल एजेंसी की सहायता करना।

9.3.3.5 योजना के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और चल रहें एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी का प्रसार करना।

9.3.3.6 आईटी सिस्टम सहित स्टेशनरी, कार्यालय फर्नीचर और उपकरण की खरीद

9.3.3.7 टेलीफोन, इन्टरनेट, फैक्स, डाक शुल्क आदि पर आवर्ती व्यय।

9.3.3.8 पूरे किए गए लेखों की संपरीक्षा करवाने तथा लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किया गया व्यय।

9.3.3.9 निरीक्षण करने के लिए वाहनों को किराए पर लेना, इस शर्त के साथ कि इस खाते पर कुल लागत केवल 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की अनुमति होगी।

9.4 राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण या इसकी कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के तहत कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में इस अध्याय के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रदान की गई राशि के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं उदग्रहण नहीं करेगी।

9.5 नोडल जिलों में सुविधा केंद्र

9.5.1 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एमपीलैड्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नोडल जिलों में एक एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

9.5.2 सुविधा केंद्र जिले में चल रहे एमपीलैड्स कार्यों के बारे में सभी जानकारी, सभी पूरे किए गए कार्यों की जानकारी, अद्यतन वित्तीय जानकारी और अद्यतित एमपीलैड्स दिशानिर्देश और परिपत्र, दोनों भौतिक और साथ ही डिजिटल रूप में सभी जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए। इसे परियोजनाओं की सूची, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों का विवरण, लंबित परीक्षण, अपात्र और अस्वीकृत पाए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों और लंबित स्वीकृति पर कारणों के साथ विवरण भी बनाए रखना चाहिए।

9.5.3 ऐसे सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए स्थान नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा अधिमानतः डीआरडीए के परिसर या सीडीओ के कार्यालय/सीईओ जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

9.5.4 यदि किसी जिले को एक से अधिक संसद सदस्यों द्वारा अपने नोडल जिले के रूप में चुना गया है तो वही सुविधा केंद्र ऐसे सभी संसद सदस्यों की एमपीलैड्स निधि के लिए सेवा प्रदान करेगा।

9.5.5 यह सुविधा केंद्र नोडल जिला प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण में और एमपीलैड्स के लिए नोडल अधिकारी की देखरेख में काम करेगा।

9.5.6 सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय, अर्थात उपकरण फर्नीचर आदि पर व्यय (जनबल को छोड़कर) नोडल जिला प्राधिकरण के पास प्रशासनिक व्यय के लिए उपलब्ध एमपीलैड्स निधि पर प्रभारित किया जाएगा बशर्ते कि एक सुविधा केंद्र पर कुल पूंजीगत व्यय 5 लाख रुपये से अधिक न हो। सुविधा केंद्र पर बाद में पूंजीगत व्यय पांच साल के अंतराल के बाद ही किया जा सकता है।

9.5.7 तकनीकी जनबल, यदि आवश्यक हो, प्रत्येक सुविधा केंद्र के लिए नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते इस तरह की नियुक्तियां पूरी तरह से आकस्मिक आधार पर होंगी, और यह किसी भी पद के बदले नहीं होगा और किसी भी रूप में, सरकारी रोजगार के रूप में नहीं माना जाएगा। जनबल को काम पर रखने की लागत को एमपीलैड्स पर प्रशासनिक व्यय के रूप में लिया जा सकता है ।

9.5.8 सुविधा केंद्र का अपना ई–मेल पता होना चाहिए, जिसे एमपीलैड्स से संबंधित कोई भी सार्वजनिक प्रश्न प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। इस ई–मेल पते पर प्राप्त सभी प्रश्नों का उचित अवधि के भीतर विधिवत उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो जिला प्राधिकरण को आईटी सहायता और सुविधा केंद्र के लिए ईमेल आईडी आदि की स्थापना के लिए जिला एनआईसी सेल की सहायता लेनी चाहिए।

अध्याय 10

निधि प्रवाह प्रबंधन

10.1 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स प्रभाग के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू–एमपीलैड्स) को योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है। वास्तविक निधि केवल केंद्रीय नोडल खाते में होगी और जब कभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मांग की जाती है तो निधि सीधे विक्रेता के खाते में जमा की जाएगी।

10.2 बैंक खाते

10.2.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक बचत खाता खोलेगी जिसे विशेष रूप से एमपीलैड्स के अंतर्गत धन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय नोडल खाता कहा जाएगा।

10.2.2 केंद्रीय नोडल खाता एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी निधियां सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संगत बजट शीर्ष से केंद्रीय रूप से प्राप्त करेगा, बशर्ते कि पिछले वर्ष से पहले के वर्ष में जारी सभी निधियों के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही केंद्रीय नोडल एजेंसी को नई धनराशि जारी की जाएगी ।

10.2.3 केंद्रीय नोडल खाते में अंतरित निधि को वित्तीय वर्ष के अंत में भारत की संचित निधि में वापस नहीं किया जाएगा और इस खाते में शेष राशि का उपयोग आगामी वित्तीय वर्षों में एमपीलैड्स के लिए किया जा सकता है।

10.2.4 केंद्रीय नोडल एजेंसी/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक न तो एमपीलैड्स निधियों को किसी अन्य खाते में अंतरित करेगी और न ही निधि को सावधि जमा/फ्लेक्सी–खाता/बहुविकल्पी जमा खाते/कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा खाते, आदि में हस्तांतरित करेगी।

10.2.5 प्रत्येक पदेन और पूर्व संसद सदस्य, यदि पूर्व सांसदों की एमपीलैड्स निधि का उपयोग अभी भी किया जाना है तो इसके लिए एक अलग सहायक खाता खोला जाएगा।

10.2.6 इसी तरह, प्रत्येक कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों के लिए सहायक खाते खोले जाएंगे।

10.2.7 प्रत्येक नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के अंतर्गत, एमपीलैड्स कार्यों को निष्पादित करने हेतु उनके द्वारा सौंपे गए प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सहायक खाते खोले जाएंगे।

10.2.8 इन दिशानिर्देशों के अध्याय 9 में उल्लिखित प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए उनके हिस्से के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों, प्रत्येक के लिए एक अलग सहायक खाता खोला जाना चाहिए।

10.2.9 जैसा कि इन दिशानिर्देशों के पैरा 8.4 और पैरा 8.5 में उल्लेख किया गया है, आपदा प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य नोडल प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण भी आपदा राहत के लिए प्रतिबद्ध निधियों के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए एक अलग सहायक खाता खोलेंगे।

10.2.10 केंद्रीय नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संख्या में सहायक खाते खोले जा सकते हैं। यदि ऐसे खाते कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खोले जाने की आवश्यकता है, तो केवल नोडल जिला प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

10.2.11 कर कटौती स्रोत (टीडीएस) के संग्रह के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण प्रत्येक के लिए होलडिंग खाते खोले जाने चाहिए।

10.3 पीएफएमएस में खातों की मैपिंग

10.3.1 संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए खोले गए सभी खातों, जिनमें केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन एजेंसियां, विक्रेता आदि के खाते शामिल हैं, को अनिवार्य रूप से पीएफएमएस में मैप किया जाएगा।

10.3.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इन खातों में निधि का प्रवाह शुरू होने से पहले ये सभी खाते पीएफएमएस पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत हैं। उन्हें यह भी

सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएफएमएस के साथ एकीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के वेब पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस की जानकारी वास्तविक समय के आधार पर अपडेट की जाती है।

10.4 आहरण सीमाएं

10.4.1 केंद्रीय नोडल एजेंसी को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स प्रभाग से प्राप्त निर्देशों/स्वीकृति के अनुसार संसद सदस्य के प्रत्येक खाते के लिए खर्च करने हेतु नोडल जिला प्राधिकरणों के लिए आहरण सीमा तय करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।

10.4.2 नोडल जिला प्राधिकरण में प्रत्येक सहायक खाते की आहरण सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में या संसद सदस्य के कार्यकाल की शुरुआत में, जैसा भी मामला हो, तय की जाएगी।

10.4.3 किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए, संसद सदस्य के लिए आवंटन उस वर्ष संसद सदस्य के रूप में उसकी अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष में संसद सदस्य के रूप में अवधि	आवंटन
3 महीने से कम	शून्य
3 से 9 महीने	वार्षिक आवंटन का 50%
9 महीने से अधिक	वार्षिक आवंटन का 100%

10.4.4 किसी विशिष्ट संसद सदस्य के वार्षिक आवंटन में से कोई भी अव्ययित शेष आगे ले जाया जाएगा और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए उस संसद सदस्य के वार्षिक आवंटन में जोड़ा जाएगा, और नोडल जिला प्राधिकरण के साथ उसके खाते की निकासी सीमा तदनुसार तय की जाएगी।

10.4.5 जारी की गई धनराशि का कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सीधे केंद्रीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

10.4.6 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय, केंद्रीय नोडल एजेंसी के खाते में अर्जित ब्याज संसद के सभी मौजूदा सदस्यों (राज्य सभा और लोकसभा दोनों) के बीच समान रूप

से वितरित किया जाएगा, जिन्होंने उस वित्तीय वर्ष में 9 महीने से अधिक की सेवा की है। वर्ष और संबंधित खातों की आहरण सीमा तदनुसार बढ़ाई जाएगी। यह प्रावधान केवल सितंबर 2023 तक लागू होगा, जब तक कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ाया या संशोधित न किया जाए।

10.4.7 संसद सदस्य की अचानक मृत्यु या इस्तीफे के मामले में, उपरोक्त पैरा 10.4.3 में आवंटन नियम के बावजूद, उस संसद सदस्य की मूल पात्रता के अनुसार कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा विधिवत स्वीकृत किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा। नए आने वाले संसद सदस्यों के लिए पात्रता उक्त फॉर्मूले के अनुसार नए सिरे से शुरू होगी।

10.4.8 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों की आहरण सीमा नोडल जिला प्राधिकरणों द्वारा संबंधित संसद सदस्य की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों को सौंपे गए कार्यों के लिए जारी की गई स्वीकृतियों के आधार पर तय की जाएगी।

10.4.9 इसी प्रकार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यान्वयन एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों के लिए स्वीकृत राशि के आधार पर आहरण सीमा निर्धारित करेंगे।

10.4.10 आपदा राहत निधि प्राप्त करने के लिए राज्य नोडल प्राधिकरणों और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों की आहरण सीमा इन दिशानिर्देशों के अध्याय 8 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

10.4.11 नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आहरण सीमा तदनुसार गतिशील होगी और समय–समय पर जारी की गई नई स्वीकृतियों और विक्रेताओं को जारी भुगतान की सीमा के आधार पर बदल जाएगी।

10.4.12 किसी भी स्तर पर आहरण सीमा में वृद्धि के लिए दी जाने वाली कोई विशेष छूट, जो इस दिशा–निर्देशों में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं है, का निर्णय मामले–दर–मामले आधार पर केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

10.5 केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा पूर्व सांसद की बची हुई राशि (अप्रयुक्त आहरण सीमा) का वितरण

10.5.1 लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, एमपीलैड्स निधि की शेष राशि जिसका पूर्ववर्ती संसद सदस्य के कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है, उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती सांसद को हस्तांतरित की जाएगी। नए परिसीमन के मामले में, केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। ।

10.5.2 राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य के संबंध में, कार्यों में उपयोग नहीं की गई और किसी विशिष्ट राज्य में पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा अपने पद छोड़ने पर नोडल जिलों के पास छोड़ी गई शेष राशि, उस राज्य के सभी पदेन निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। हालांकि, उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पिछले कार्यकाल की निरंतरता में फिर से चुने गए राज्यसभा सदस्यों के अनुशंसित कार्यों के लिए उपयोग नहीं की गई धनराशि को उसके नए चुने गए नोडल जिले में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

10.5.3 शेष राशि, अर्थात नोडल जिले में राज्य सभा के पूर्ववर्ती मनोनीत सदस्यों के कार्यों के लिए उपयोग नहीं की गई निधियाँ, राज्य सभा के सभी पदेन मनोनीत सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी।

10.5.4 उपरोक्त पैरा 10.5.1 से 10.5.3 में यथा उल्लिखित एमपीलैड्स निधियों का वितरण केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित जिला प्राधिकरणों से पूर्व संसद सदस्य के खाते को बंद करने की लिखित रूप में पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि, कार्यों के लिए अप्रतिबद्ध निधियों को उपरोक्त पैरा 10.5.1 से 10.5.3 में यथा उल्लिखित संसद सदस्यों के खातों में तुरंत हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, संसद के मौजूदा सदस्य, जो बढ़ी हुई निधि प्राप्त करने के पात्र हैं, के खाते की आहरण सीमा को उस सीमा तक अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी।

10.5.5 सामान्यतः, एक निर्वाचित/मनोनीत संसद सदस्य के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण समय से पहले हुई रिक्ति को सीट खाली करने वाले संसद सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव/नामांकन द्वारा भरा जाता है। संसद के नए सदस्य को समय से पहले सीट खाली

करने वाले संसद सदस्य के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाएगा और शेष राशि संसद के अन्य सदस्यों के बीच वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि संसद के उत्तरवर्ती सांसद के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

10.6 पूर्व संसद सदस्यों के कार्यों को पूरा करना और खातों का समायोजन

10.6.1 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य, जो सम्यक रूप से स्वीकृत हैं, सांसद के पद छोड़ने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरे हो गए हैं और उसके बाद खाता बंद करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। अतः, नोडल जिला प्राधिकरण पूर्व सांसदों के ऐसे खातों को उनके पद छोड़ने की तारीख से अधिकतम 21 महीने की अवधि के भीतर समायोजित और बंद करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

10.6.2 पूर्व सांसद के पद छोड़ने की तारीख से 21 महीने की अवधि के बाद, जैसा कि ऊपर पैरा 10.6.1 में उल्लेख किया गया है, बचे हुए स्वीकृत कार्यों, यदि कोई हों, को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के खर्च पर पूरा किया जाएगा चूंकि निधियों के उपयोग में विलंब पूर्ण रूप से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए उत्तरदायी है।

10.7 भुगतान का निपटान

10.7.1 एमपीलैड्स के तहत सभी भुगतान केंद्रीय नोडल खाते से विक्रेताओं को वास्तविक समय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे, और धन का प्रवाह तभी शुरू होगा जब ऐसे भुगतान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अधिकृत किए जाएंगे।

10.7.2 राज्य नोडल प्राधिकरणों, नोडल जिला प्राधिकरणों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों के सहायक शून्य शेष खातों का उपयोग केवल खातों के प्रभाव के अंतरण के रूप में किया जाएगा।

10.7.3 सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर, कार्यान्वयन एजेंसियां बचत की राशि, यदि कोई हो, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के एमपीलैड्स खाते में भेज देंगी, जो इसे आगे नोडल जिला प्राधिकरण को भेज देंगे।

10.8 सभी मौजूदा खातों का स्थानन्तरण

10.8.1 राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों के लागू होने के तुरंत बाद एमपीलैड्स के तहत सभी मौजूदा खातों को बंद करने के लिए जिम्मेदार होंगे और एमपीलैड्स की सभी अव्ययित राशि को व्यय विभाग, वित्तीय मंत्रालय के कार्यलय ज्ञापन संख्या नं. F. No. 1 (18)/PFMS/FCD/2021, दिनांक 9 मार्च, 2022 के तहत केंद्रीय नोडल खाते में हस्तांतरित करना होगा।

10.8.2 सहायक खाते खोले जाने के बाद, केंद्रीय नोडल एजेंसी एकमुश्त पद्धति के रूप में वापस की गई अव्ययित शेष राशि के समतुल्य आहरण अधिकार देगी।

10.8.3 केंद्रीय नोडल एजेंसी इन दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल जिला प्राधिकरणों के किसी भी आहरण अधिकार को तब तक निर्धारित नहीं करेगी जब तक कि वे सभी अस्वीकृत शेष राशि को केंद्रीय नोडल खाते में हस्तांतरित नहीं कर देते हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

10.9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की भूमिका

10.9.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एमपीलैड्स निधि के निर्बाध प्रवाह के लिए प्रणाली और पदानुक्रम विकसित करेगा और इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सहायक खाते खोलने और निधियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.9.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने एमआईएस को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आईटी सिस्टम/वेब पोर्टल, पीएफएमएस के साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के एकीकृत करेगा।

10.9.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय नोडल एजेंसी के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों, राज्य नोडल प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

अध्याय 11

लेखांकन प्रक्रिया

11.1 एमपीलैड्स से निकलने वाली निधियों का संचालन करने वाले सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्रक्रिया के अनुसार लेखा बही रखेंगी।

11.2 किसी कार्य के पूरा होने पर, कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण उस कार्य के लिए खातों को शीघ्र अंतिम रूप देगें और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगें।

11.3 इसके बाद, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसी बिना किसी देरी के उपयोगकर्ता एजेंसी को संपत्ति हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी को परिसंपत्ति का अधिग्रहण करना होगा और इस बारे में अपने स्वयं के संपत्ति रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि करनी होगी।

11.4 लेखापरीक्षा और उपयोगिता प्रमाणपत्र

11.4.1 जब भी वेंडर को कोई भी भुगतान किया जाता है, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–VI में निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

11.4.2 केन्द्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसी के प्रशासनिक खातों सहित सभी खातों और उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखाकार की सिफारिश पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स या स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों या किसी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। प्रत्येक वर्ष, ऐसी सभी लेखापरीक्षा विविरण नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को इन दिशा–निर्देशों के तहत दिए गए समयबद्धता के अनुसार प्रस्तुत किए जाएगें।

11.4.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट इन दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में निर्धारित प्रारुप के अनुसार अपने लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

11.4.4 किसी भी वर्ष में जारी की गई निधियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिला प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी को अगले वर्ष 30 सितम्बर से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

11.4.5 कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा कि वह सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करे।

11.4.6 इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा का परीक्षण करेंगे और जिला प्राधिकरणों, राज्य सरकार और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे।

अनुबंध-I

नोडल जिले के चयन हेतु फार्म
(समस्त संसद सदस्यों के लिए)

मैं (दिनांक/माह/वर्ष) से राज्य सभा/लोक सभा का निर्वाचित/मनोनीत सदस्य हूँ । एमपीलैड्स कार्य के कार्यान्वयन के लिए मेरी पसंद का नोडल जिला है
चयनित जिला : ——————————— राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: ———————————

(संसद सदस्य का हस्ताक्षर) दिनांक:——————

पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ——————————————————————
स्थाई पता : ————————————————————————————
————————————————————————————————
———————————————————————— पिन : ————————
दिल्ली का पता : ——————————————————————————
————————————————————————————————
———————————————————————— पिन : ————————

संपर्क विवरण:
मोबाईल संख्या ————————————
लैंडलाइन : (एसटीडी कोड सहित) —————— (संख्या) ————————————
ई मेल: ——————————————————————————————
(पते में कोई बदलाव हो तो निम्नलिखित प्राधिकरण को तुरंत सूचित करें)

सेवा में,
निदेशक (पीएमयू–एमपीलैड्स)
सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार,
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ,
नई दिल्ली–110001

प्रतिलिपि:

1. सचिव,——————————(नोडल विभाग), राज्य सरकार————————————
2. ——————————————————के जिला क्लेक्टर/जिलाधिकारी/क्लेक्टर

टिप्पणी:

1. एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट प्राप्त करने के लिए सभी फील्ड अनिवार्य हैं।
2. यह जानकारी ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।

अनुबंध-II

कार्यों की अनुशंसा हेतु फार्मेट
(अनुशंसाएं केवल संसद सदस्यों के द्वारा की जाएगी)

स्थानः
दिनांकः
प्रेषकः

श्री / श्रीमती / सुश्री——————————————————————
संसद सदस्य (लोक सभा / राज्य सभा)
अवधि / कार्यकाल——————————————————————

सेवा में,
जिला कलेक्टर / उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट / नगर निगम आयुक्त——————————————

विषयः एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत कार्यों की अनुशंसा ।

महोदय,
मैं अनुशंसा करता हूं कि निम्नलिखित कार्यों की संवीक्षा की जाए और एमपीलैड्स निधि से स्वीकृत किए जाएं:

प्राथमिकता सं.	कार्य का स्वरूप	स्थान	अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

उपर्युक्त कार्यों के लिए तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी उनकी विधिवत संवीक्षा के बाद जारी की जाए। स्वीकृत कार्यों को एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार शुरु किया जाना चाहिए और शीघ्र पूरा किया जाए। कृपया मुझे स्वीकृति और कार्य के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से अवगत कराते रहें।

भवदीय,

(संसद सदस्य का नाम)

अनुबंध-III

एमपीलैड्स कार्यों के बारे में पट्टिका का प्रतिरूप

श्री / श्रीमती / सुश्रीः————————(संसद सदस्य का नाम)————————द्वारा अनुशंसित संसद सदस्य (लोकसभा / राज्यसभा)

अवधि / कार्यकालः————————————————————————————

कार्य का नाम : ————————————————————————————

आरंभ करने की तिथि :————————————————————————

पूरा करने की तिथि :————————————————————————

उद्घाटन की तिथि : ————————————————————————

कार्य की कुल लागत :————————————————————————

एमपीलैड्स / अन्य स्रोत से वित्तपोषण का विवरण :————————————————

अनुबंध-IV

करार प्रपत्र

यह करार ———————————————————— को ————————— ——————————————————————— के राज्यपाल जो ————————— (पदनाम एवं पता) जिला प्राधिकरण जिन्हें आगे पहले भाग का प्रथम पक्ष;

तथा

—————————————————— (पंजीकृत सोसाईटी / पंजीकृत न्यास का नाम एवं पता) के मुख्य अधिशासी, जिन्हें आगे दूसरे भाग का द्वितीय पक्ष कहा गया है, के बीच किया गया है ।

जबकि प्रथम पक्ष, जिला प्राधिकरण के रूप में सांसदों द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुशंसित विकासात्मक कार्यों को ———————————— जिला में कार्यान्वित करवाने के लिए एक मात्र प्राधिकरण है ।

और

जबकि द्वितीय पक्ष, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या किसी राज्य के किसी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में ————————(तिथि, माह, वर्ष) से ————————वर्ष से अधिक समय से समाज सेवा / कल्याण गतिविधियों में लगा है तथा गैर लाभ अर्जित प्रचालन और अच्छी वित्तीय स्थिति के साथ समाज सेवा / कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में सुस्थापित और ख्याति प्राप्त है।

इसलिए अब दोनों पक्षों में इस करार पर सहमति हुई है और वे अपने आप को निम्नलिखित शर्तों से बाध्य मानते हैं:–

1. प्रथम पक्ष उपरोक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समय–समय पर संशोधित दिशा–निर्देशों (इसके पश्चात् एमपीलैड्स योजना के नाम से संबंधित) के अनुसार सांसदों द्वारा की गई अनुशंसा पर ————————के निर्माण का कार्य करेगा ।

2. द्वितीय पक्ष, दिशा–निर्देशों के अनुसार आम जनता के लाभार्थ जनता द्वारा प्रयोग के लिए विषय पर प्रथम पक्ष द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सृजित परिसम्पतियों को प्राप्त करने तथा इसका रख–रखाव करने के लिए पात्र होगा ।

3. एक कार्य ——————————————(स्थान का नाम, जिला तथा पिन कोड) में ——————————————————(कार्य का नाम) के निर्माण के लिए, जिसकी लागत पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई है और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत——————————————————(संबंधित सांसद का नाम) द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित किया गया है, जो निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् दूसरे पक्ष को सौंपने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा कराया जाएगा ।

4. प्रथम पक्ष, सोसाइटी/न्यास से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के खंड 13 के विशेष संदर्भ में सोसाइटी के संस्था ज्ञापन तथा न्यास अधिनियम के धारा–77 तथा धारा 78 के विशेश संदर्भ के रूप में न्यास विलेख तथा संगठन के अस्तित्व एवं प्रतिष्ठा से तथा एक गैर लाभ संस्था के रूप में उसकी कार्य प्रणाली, निष्पादन की पारदर्शिता, अच्छी वित्तीय स्थिति लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा से अपने आपको संतुष्ट करने के लिए आवश्यक रिकार्ड मंगा सकता है ।

5. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को इस आशय का ब्यौरा देगा कि जिस संगठन का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है वह एक क्रियाशील संगठन है तथा पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहा है और सामाजिक सेवा तथा/अथवा कल्याण गतिविधियों में कार्यरत है ।

6. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह भी ब्यौरा देगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रथम पक्ष को दी गई भूमि तथा स्थाई संपति सभी तरह की बाधाओं से मुक्त है, लंबित मुकदमेबाजी से मुक्त है तथा शहरी भूमि (हदबंदी तथा नियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित नहीं है ।

7. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह ब्यौरा भी देगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सोसाइटी—————————————— अथवा ट्रस्ट के लिए बनाई गई परिसम्पतियां हर तरह की बाधा से, सिवाय इस कार्य/परियोजना के उद्देश्य के लिए अग्रिम के मुक्त हैं ।

8. द्वितीय पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निर्मित स्थाई परिसम्पतियां जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई संपत्तियों पर निर्मित की

गई हैं, आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध होंगी । यदि यह पाया जाता है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसंपतियों का जिस उद्देश्य से इस का निर्माण किया गया था, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है और आम जनता की उक्त आधारी संरचना तक पहुंच नहीं है, तो प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को आवश्यक सूचना जारी करेगा तथा दूसरे पक्ष की राय पर विचार करने के बाद, यदि प्रथम पक्ष आवश्यक समझे तो उस परिसम्पति का अधिग्रहण कर लेगा एवं 18 प्रतिशत ब्याज की दर से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के बराबर लागत वसूल करेगा।

9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसम्पतियों का संपूर्ण स्वामित्व हमेशा के लिए राज्य/केंद्रीय सरकार के पास निहित रहेगा।

10. द्वितीय पक्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित ऐसी परिसम्पतियों को बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन के विक्रय/हस्तांतरण/अन्यथा उसके किसी हिस्से का निपटान नहीं करेगा। सरकार के लिखित अनुमोदन के पश्चात् सभी परिस्थितियों में परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति जो कि 18 प्रतिशत ब्याज की दर से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए निवेश की सीमा तक, हमेशा प्रथम पक्ष के पास निहित एवं उनसे संबंधित रहेगी।

11. द्वितीय पक्ष, एतद्वारा परिसंपत्तियों के प्रचालन, रख–रखाव एवं व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व लेता है बशर्ते, जिसका प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी प्रतिनिधि/उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत नामित व्यक्ति द्वारा आवधिक रूप से लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण किया जाएगा।

12. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को नियमित रूप से तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर–अंदर वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेगा।

13. चूंकि इस करारनामे से अचल संपति पर 100/–रूपए से अधिक का ब्याज भविष्य में अर्जित होता है, इस करारनामे को संबंधित जिले में पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

14. इस करारनामे में जहां भी करारनामे में शामिल शर्तों के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव की पूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होगा, जिला प्राधिकरण तथा सोसाइटी अथवा न्यास पद अपने उत्तरवर्ती अथवा अनुमत समनुदेशिती (समनुदेशितों) को शामिल करेगा ।

साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों द्वारा अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करारनामे को यहां उपरोक्त लिखे गए दिवस तथा वर्ष को कार्यान्वित किया गया है ।

———(राज्य) के राज्यपाल के लिए तथा
उनकी ओर से जिला प्राधिकरण द्वारा निष्पादित

सोसाइटी/न्यास/द्वितीय पक्ष, जिसे
————————के संकल्प दिनांक
————————के द्वारा हस्ताक्षर करने
तथा इस करारनामे को निष्पादित करने
का प्राधिकार है, के लिए तथा उसकी
ओर से ————————द्वारा निष्पादित

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में:
साक्षी:

1. ————————————————

2. ————————————————

अनुबंध-V

प्राकृतिक आपदा के लिए सहमति पत्र

दिनांकः————————

सेवा में,

————————————————————

(नोडल जिला प्राधिकरण,————————————)

राज्य ————————————————————

मैं श्री / श्रीमती / सुश्री————————————, संसद सदस्य (लोकसभा / राज्यसभा) इसके द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में————————————(राज्य / राज्य संघ क्षेत्र सरकार) के ———————— (आपदा का नाम) के कारण राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अपने एमपीलैड्स फंड से ————————————रुपये जारी करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

2. मैं आपदा के लिए मेरी एमपीलैड्स निधियों की अप्रतिबद्ध / अव्ययित शेष राशि से आवंटित निधियों को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए भी अपनी सहमति देता हूं।

(————————————)

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

श्री / श्रीमती / सुश्री————————————

सांसद (लोक सभा / राज्य सभा)

अवधि / कार्यकालः————————————

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक , पीएमयू–एमपीलैड्स, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2. राज्य नोडल विभाग ————————————(आपदा से प्रभावित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र)

अनुबंध-VI

उपयोग प्रमाण पत्र

(नोटः केवल वही कॉलम भरें जो लागू हों)

कार्य की प्रकृति (विकासात्मक/आपदा/प्रशासनिक)
संसद सदस्य का नामः
लोकसभा/राज्य सभाः
अवधि/कार्यकालः
राज्यः ----------
नोडल जिला प्राधिकरणः ----------
कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणः----------
क्रियान्वयन एजेंसीः ----------
कार्य का नामः----------
कार्य का स्थानः----------
कार्य स्वीकृति तिथि (अनुमोदन तिथि) (दिन/माह/वर्ष)----------
कार्य के लिए कुल स्वीकृत राशि----------
विक्रेता विवरणः (विक्रेता का नाम, यूनीक कोड और खाता संख्या)

विक्रेता का नाम	विक्रेता यूनीक कोड	खाता संख्या

कार्य की स्थितिः (पूर्ण/प्रगति में)----------
भुगतान स्वीकृति दिनांकः----------
स्वीकृत राशिः----------
यूटीआर संख्या (वर्तमान):----------
पहले जारी किए गए भुगतान का विवरण, यदि लागू हो (राशि/तारीख):----------

किए गए आंशिक भुगतानों की संख्या	भुगतान स्वीकृति दिनांक	भुगतान स्वीकृति राशि	यूटीआर सं.

☐ 1. प्रमाणित किया जाता है कि <CNA/SNA/NDA/IDA> द्वारा <दिन/माह/वर्ष> को स्वीकृत कार्य/गतिविधि का नाम के लिए एमपीलैड्स निधियों के रु.<₹₹₹> का ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

☐ 2. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूं कि जिन शर्तों पर फंड स्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरी तरह से पूरा किया गया है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच का प्रयोग किया है कि पैसा वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था, उसके लिए उपयोग किया गया।

- ☐ मैंने सृजित/प्राप्त की गई संपत्ति का भौतिक निरीक्षण किया है और मैं इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता से संतुष्ट हूं।
- ☐ मैंने किए गए व्यय को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर लिया है और इसकी तर्कसंगतता से संतुष्ट हूं।
- ☐ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक नियमों और एमपीलैड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हो।

(यदि संपत्ति निर्माण के लिए अंतिम भुगतान किया गया है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त वचनबद्धता दी जानी चाहिए)

☐ 3. पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूं कि जिन शर्तों पर फंड स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत पूरा किया गया है और एमपीलैड योजना के तहत बनाई गई संपत्ति विधिवत रूप से उपयोगकर्ता एजेंसी <उपयोगकर्ता एजेंसी का नाम> को सौंप दी गई है। .

☐ 4. <₹₹₹>रुपये के अव्ययित प्राधिकार को कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण <आईडीए का नाम> के एमपीलैड्स खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वापस भेज दिया गया है।

स्थानः कार्यान्वयन एजेंसी का नामः

दिनांकः पदनामः

कार्यालय का पताः

ईमेलः

टेलीफोनः

अनुबंध-VII

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

संसद सदस्य का नामः ——————————————————————————

लोकसभा / राज्य सभाः——————————————————————————

अवधि / कार्यकालः——————————————————————————

राज्यः ——————————————————————————

नोडल जिला प्राधिकरणः——————————————————————————

कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणः——————————————————————————

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने 31 मार्च ——— (वर्ष) को <एजेंसी का नाम (CNA/SNA/NDA/IDA)> के <खाते के उद्देश्य> के लिए जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए खातों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के लिए 31 मार्च ———(वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलनपत्र, खातों, प्राप्ती एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय का ऑडिट किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं किः

(क) तुलनपत्र को नोट्स के साथ पढ़ा गया, जो 31 मार्च ————— (वर्ष) तक एमपीलैड्स की स्थिति और मामलों के बारे में सही और सटीक जानकारी देता है।

(ख) प्राप्ति एवं भुगतान खाते 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए योजना के लेन–देन का सही और सटीक जानकारी देते हैं।

(ग) आय एवं व्यय खाते में दिखाया गया व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र में उचित रूप से दर्शाया गया है।

(घ) निधियों के विपथन और व्यय की अस्वीकार्य मदों का कोई मामला नहीं है।

(ङ) जिला प्राधिकरणों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संपत्ति रजिस्टरों को ठीक से अनुरक्षित किया गया है।

(च) जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का हिस्सा है:

i) 31 मार्च ————————(वर्ष) को समाप्त वर्ष के लिए भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

ii) 31 मार्च ———————— (वर्ष) तक संचयी भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट। लोक सभा के मामले में, संसद के सदस्यों की स्थापना के समय से और राज्यसभा के सदस्यों के लिए उनके कार्यकाल की अवधि के लिए)।

iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 31 मार्च————————(वर्ष) तक के कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय विवरण :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कार्यों का भौतिक और वित्तीय विवरण	**भौतिक (कार्यों की संख्या)**		**वित्तीय (कार्यों की लागत)**	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
अनुसूचित जाति क्षेत्र				
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र				

iv) एमपीलैड्स उपयोगिता प्रमाण पत्र

(छ) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित उक्त खातों पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है। (यदि वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान कोई लेखापरीक्षा आपत्ति और आपत्तियां लंबित हैं, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इंगित लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, इसे इस प्रमाणपत्र में इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर संबंधित अधिकारियों की टिप्पणियों के साथ सील और हस्ताक्षर के साथ संलग्न किया जाएगा)।

(ज) 31 मार्च————————(वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष में एमपीलैड्स के तहत धन प्राप्त करने वाले सभी ट्रस्टों/सोसायटियों द्वारा एमपीलैड्स के तहत किए गए सभी कार्यों का लेखापरीक्षा किया गया है और उन्हें सही पाया गया है।

(प्रमाणपत्र ऑडिटिंग फर्म के लेटर हेड पर दिया जायेगा जिसमे स्पष्ट रूप से मुहर के साथ लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर, नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स और ईमेल होगा।)

अनुबंध-VIII

एमपीलैड्स के तहत अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूची

1. सार्वजनिक और सामुदायिक भवन

1.1 सामुदायिक केन्द्रों एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण
1.2 सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं रीडिंग कक्षों का निर्माण
1.3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद
1.4. जन सुविधा के लिए शमशान घाट/शमशान घाट पर ढाँचा
1.5. बेघरों के लिए रैन बसेरों का निर्माण
1.6. कारीगरों के लिए सामान्य कार्य शेड
1.7. सामुदायिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भवनों का निर्माण
1.8. आवश्यक जीवनरेखा भवनों में रेट्रोफिटिंग
1.9. सरकारी कार्यालय भवनों का निर्माण (डाक कार्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी आदि)
1.10. मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कमरों और हॉल का निर्माण
1.11. मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक भवनों की चारदीवारी का निर्माण
1.12. विरासत और पुरातात्विक स्मारकों और इमारतों का रेट्रोफिटिंग, संरक्षण या बचाव

2. सार्वजनिक सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षा

2.1. बाढ़ और चक्रवात संभावित क्षेत्रों के लिए मोटर बोट की खरीद
2.2. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना
2.3. साइकिल ट्रैक और अलग–अलग गैर–मोटर चालित वाहन (एनएमवी) लेन का निर्माण
2.4. बस–शेड या बस–स्टॉप का निर्माण
2.5. सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के लिए फायर टेंडर की खरीद
2.6. सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम उपलब्ध कराना

3. शिक्षा

3.1. स्कूल और कॉलेजों में कमरों और हॉल का निर्माण
3.2. शौचालय ब्लॉकों का निर्माण
3.3. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी सिस्टम की खरीद
3.4. स्मार्ट बोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रोजेक्टर की खरीद

3.5. प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद
3.6. प्रयोगशालाओं की स्थापना
3.7. रसोई और पेंट्री की स्थापना
3.8. स्कूल वैन और बसों की खरीद (चार और तिपहिया वाहन)
3.9. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद
3.10. खेल के मैदान का विकास
3.11. खेल उपकरणों की खरीद
3.12. सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनिरेटर की खरीद
3.13. मोबाइल पुस्तकालयों के लिए वाहनों की खरीद
3.14. पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद
3.15. क्रेच और आंगनवाड़ी के लिए भवनों का निर्माण
3.16. क्रेच और आंगनवाड़ी के लिए उपकरणों की खरीद

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य

4.1. अस्पतालों, परिवार कल्याण केन्द्रों, जन स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों एवं ए.एन.एम. केन्द्रों के लिए कमरों एवं सुविधाओं का निर्माण
4.2. अस्पताल उपकरणों की खरीद
4.3. एंबुलेंस की खरीद (चार, तीन और दो पहिया वाहन)
4.4. हियर्स वाहन की खरीद
4.5. मोबाइल औषधालयों के लिए वाहन की खरीद (चार, तीन और दो पहिया वाहन)
4.6. प्रोस्थेटिक्स, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल (मैनुअल या मोटराइज्ड), इलेक्ट्रिक स्कूटी, श्रवण यंत्र की खरीद
4.7. विकलांग पात्र व्यक्तियों के लिए शारीरिक/मानसिक/दृष्टि/श्रवण बाधितों के लिए आवश्यक अन्य सहायक उपकरणों/उपकरणों की खरीद

5. पीने का पानी और स्वच्छता

5.1. ट्यूब वेल व बोरवेल लगाना
5.2. हैंडपंप लगवाना
5.3. पानी की टंकियों का निर्माण
5.4. पानी के वाहन टैंकरों की खरीद

5.5. सामुदायिक पेयजल संयंत्रों की स्थापना
5.6. पीने के पानी के लिए आपूर्ति पाइपलाइन बनाना
5.7. सार्वजनिक जल निकासी के लिए नालियां और गटर बनाना
5.8. सार्वजनिक शौचालयों एवं स्नानगारों का निर्माण
5.9. कचरा संग्रह और निपटान प्रणाली प्रदान करना
5.10. मल संग्रह और निपटान प्रणाली प्रदान करना
5.11. मोबाइल स्वच्छता उपकरण की खरीद
5.12. सामुदायिक बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना

6. सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली

6.1. सार्वजनिक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण
6.2 सार्वजनिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना
6.3 सार्वजनिक भूजल पुनर्भरण सुविधाओं की स्थापना
6.4 बाढ़ नियंत्रण तटबंधों का निर्माण
6.5 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

7. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

7.1 पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों का निर्माण
7.2 बीमार और घायल पशुओं को ले जाने के लिए एंबुलेंस की खरीद
7.3 पशु चिकित्सा सहायता केन्द्रों के लिए भवन निर्माण
7.4 कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण
7.5 वीर्य बैंकों के लिए भवनों का निर्माण और अचल संपत्ति उपलब्ध कराना
7.6 पशुओं के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण
7.7 पशुओं के लिए मोबाइल लैब और क्लीनिक स्थापित करना
7.8 सामुदायिक उपयोग के लिए मछली और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण संयंत्रों, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्रों, फ्रीजिंग और पैकिंग संयंत्रों की स्थापना करना

8. कृषि और किसान कल्याण

8.1 कृषक प्रशिक्षण एवं सहायता केन्द्रों की स्थापना
8.2 मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

8.3 कृषि एवं हॉर्टिकल्चर उत्पादों के लिए नियत तौल मशीन की स्थापना

8.4 सामुदायिक उपयोग के लिए पराली की सफाई और सुपर सीडर मशीनों की खरीद

9. ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली

9.1 स्ट्रीट लाइट

9.2 सार्वजनिक स्थानों की रोशनी

9.3 बिजली वितरण अवसंरचना में सुधार

9.4 सार्वजनिक गैर–पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

9.5 सामुदायिक गोबर–गैस संयंत्र की स्थापना

9.6 सामुदायिक उपयोग के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली और उपकरणों की खरीद

10. रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते

10.1 सड़कों, संपर्क सड़कों, लिंक सड़कों और पाथवे का निर्माण

10.2 फुटपाथों और पैदल मार्गों का निर्माण

10.3 पुल एवं पुलिया का निर्माण

10.4 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मार्ग का निर्माण

10.5 पुल के नीचे सड़क का निर्माण

10.6 रोड ओवर ब्रिज तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक सीढ़ी का निर्माण

10.7 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण

10.8 सार्वजनिक उपयोग के लिए एस्केलेटर और ट्रैवललेटर्स का प्रावधान

10.9 रेलवे हॉल्ट स्टेशन का निर्माण

10.10 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और यात्री शेड का निर्माण

10.11 रेलवे स्टेशनों पर पक्की प्रतीक्षा कुर्सियों और बेंचों की स्थापना

11. पर्यावरण, जंगली जानवर, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधन

11.1 नए तालाबों का निर्माण

11.2 समुदाय के लिए वृक्षारोपण

11.3 वन संरक्षण बुनियादी ढांचा

11.4 तालाबों और झीलों का जीर्णोद्धार

11.5 कृत्रिम रीफ का निर्माण

11.6 प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना
11.7 सामुदायिक उपयोग के लिए बायोडाइजेस्टर की खरीद

12. सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाएं, खेलकूद और पार्क

12.1 सार्वजनिक उद्यानों का विकास
12.2 खेल के मैदानों और खेल के मैदानों का विकास
12.3 खेल सुविधाओं के लिए भवनों का निर्माण
12.4 प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण
12.5 मल्टी जिम के लिए भवनों का निर्माण
12.6 स्टेडियमों का निर्माण
12.7 अचल खेल उपकरण की खरीद
12.8 मल्टी–जिम उपकरणों की स्थापना
12.9 फिक्स्ड गार्डन जिम उपकरण की स्थापना
12.10. हॉकी और फुटबॉल के लिए सिंथेटिक टर्फ बिछाना
12.11 उपभोज्य वस्तुओं को छोड़कर, खेल उपकरण प्रदान करना

दिशानिर्देशों के संशोधन में शामिल एमपीलैड्स की टीम

श्री अरिन्दम मोदक	उप महानिदेशक
श्री सुनील कुमार जस्सल	उप सचिव
श्री सुनील कुमार	उप सचिव
सुश्री रेम्या पी.	संयुक्त निदेशक
सुश्री सुधा मीना	उप सचिव
श्री हॉलियनकैप सुआनता	अवर सचिव
श्री विकास निगम	उप निदेशक
सुश्री सुनीता चौधरी	उप निदेशक
सुश्री जसलीन कौर रेखी	उप निदेशक
सुश्री भारती गौतम	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
सुश्री रोली	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री नितिन रंजन	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री राजीव नंदन चौधरी	सहायक अनुभाग अधिकारी
श्री सुनील एब्बोट	सहायक अनुभाग अधिकारी
श्री कुशहाल सिंह मीणा	सहायक अनुभाग अधिकारी
श्री अमित कुमार	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री धीरेन्द्र चौहान	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री विवेक सिंह	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री अमित शुक्ला	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
श्री सत्येंद्र कुमार	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी

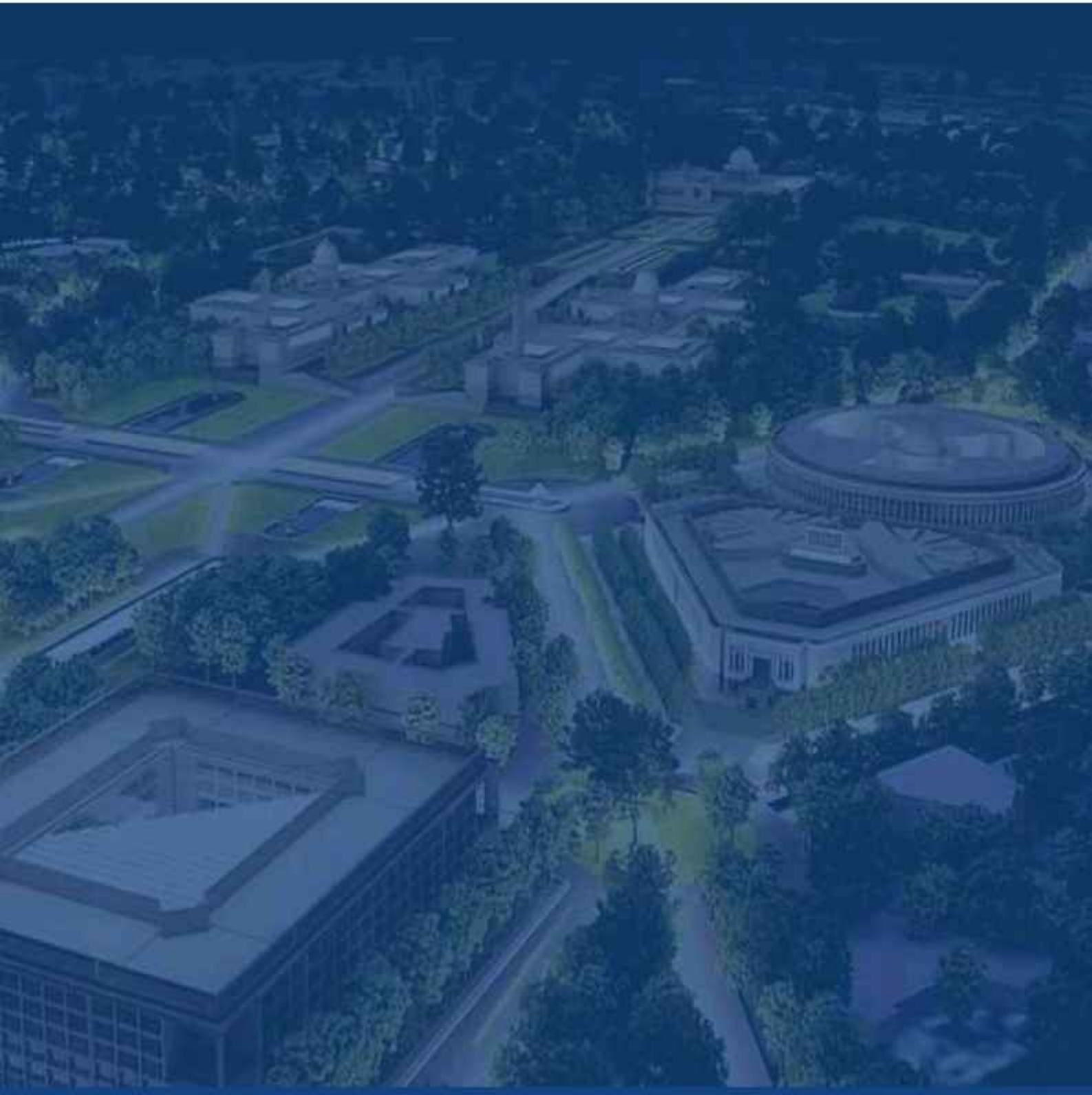

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार
www.mplads.gov.in

QR code for MPLADS portal

विधायक निधि

दिशा निर्देश 2018

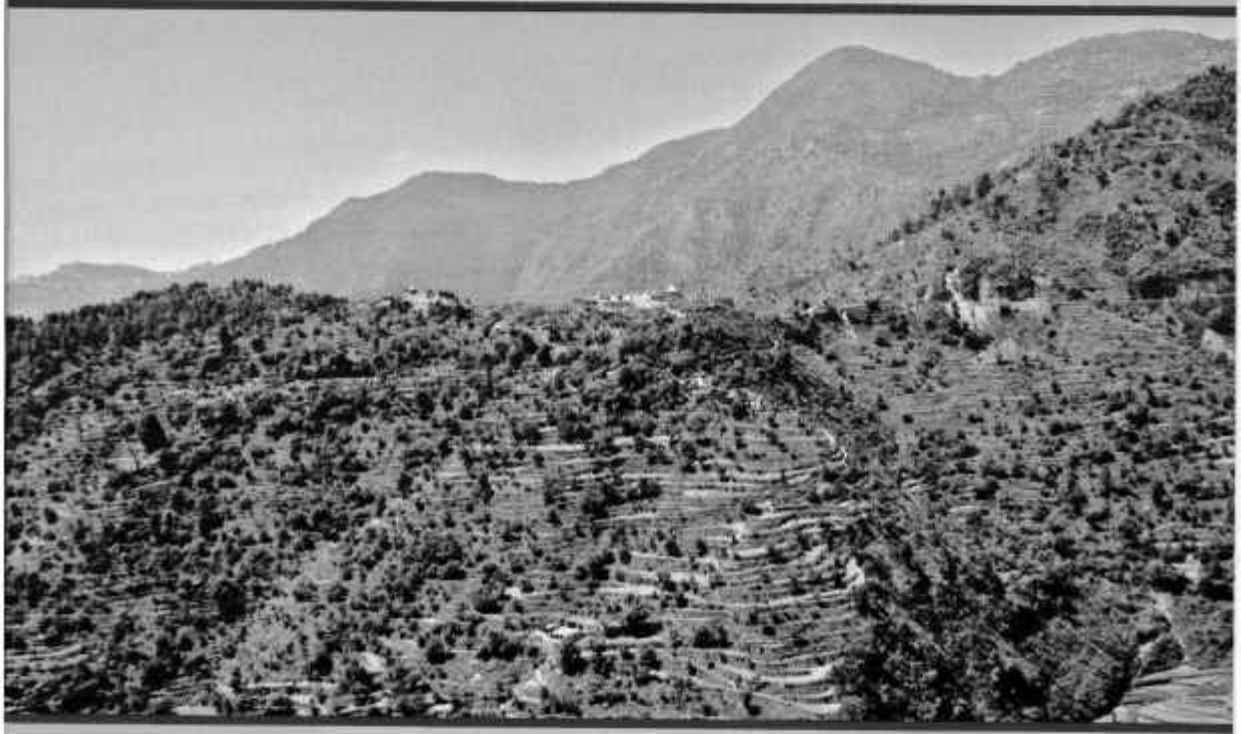

ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन

त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

अभिमत

विधान सभा के मा० सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कार्य सम्पादित किये जाने हेतु विधायक निधि का गठन वर्ष 2002 में किया गया था। तब से दिशा–निर्देशों के विभिन्न उपबन्धों को स्पष्ट करते हुए अनेक परिपत्र जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के कार्यान्वयन में और सुधार लाने तथा विधायक निधि योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ अन्य उपबन्धों में संशोधन की जरूरत थी। फलस्वरूप ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्व में समय–समय पर जारी तद्विषयक आवश्यक संशोधनों/परिपत्रों को सम्मिलित करते हुए विधायक निधि योजना सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का पुनर्गठन किया गया है।

पुनर्गठित दिशा–निर्देशों में विधायक निधि योजनान्तर्गत जिला स्तर पर वित्तीय अनुशासन, कार्यों की मॉनीटरिंग तथा पंचायत, विकासखण्ड, जिला और राज्य स्तर पर कार्यों एवं दायित्वों का सुस्पष्ट निर्धारण किया गया है।

विधायक निधि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए है। इसमें मा० विधानसभा सदस्यों की अनुशंसाकर्ता की भूमिका है तथा जिला स्तरीय अधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य राज्य सरकार के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों के अनुसार किये जाते हैं।

विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के उपरान्त जारी किए गये संशोधनों/परिपत्रों को भी इस नवीनतम जारी दिशा–निर्देशों में सम्मिलित किया गया है। इससे विधायक निधि अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में एक ओर जहाँ सुगमता होगी, वहीं विकास कार्यों की गति में तेजी लाने के साथ–साथ संतुलित एवं आवश्यकतानुसार विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

मुझे आशा है कि विधायक निधि सम्बन्धी पुनर्गठित दिशा–निर्देश योजना के बेहतर और समयबद्ध कार्यान्वयन में सहायक होंगे।

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

मनीषा पंवार
(भा.प्र.से.)

उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

सन्देश

विधान सभा के प्रत्येक मा० सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में लोक कल्याण सम्बन्धी विकासात्मक कार्यों को सम्पादित किये जाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 में विधायक निधि का गठन करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये थे।

समय की मांग तथा स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी होते रहे। वर्तमान में अन्य सम–सामयिक विषयों/कार्यों को सम्मिलित करने एवं विधायक निधि सम्बन्धी समग्र व्यावहारिक दिशा–निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एकीकृत परिपत्र (Master Circular) जारी किये गये हैं जो निश्चित ही योजना के सफल क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

विधायक निधि के वर्तमान जारी दिशा–निर्देश सरल, स्पष्ट और आम जनमानस की समझ योग्य हैं। विधायक निधि के दिशा–निर्देशों में संशोधन में स्थानीय बुनियादी आवश्यकताओं एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। योजना के नवीन दिशा–निर्देशों से जहाँ एक ओर योजना का क्रियान्वयन जनकल्याण हेतु एवं प्रभावी ढंग से हो सकेगा वहीं बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण एवं मानव विकास सुनिश्चित करने वाली व्यापक ग्राम्य विकास की अन्य योजनाओं को तैयार करने के कार्यों में भी सहायक होंगे।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह दिशा–निर्देश विधायक निधि योजना के समुचित कार्यान्वयन में प्रभावी सिद्ध होंगे।

(मनीषा पंवार)

डॉ० राम बिलास यादव
(भा.प्र.से.)

अपर सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

सन्देश

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 में प्रत्येक मा० विधान सभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास के उद्देश्य से विधायक निधि का गठन कर योजना के सफल संचालन हेतु तद्विषयक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

समय की मांग एवं अन्य आवश्यकताओं के दृष्टिगत विधायक निधि योजना के दिशा–निर्देशों में समय–समय पर यथावश्यक संशोधन किये जाते रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य में स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं, अधिकाधिक विकासपरक योजनाओं के संचालन, कार्यों के सरलीकरण तथा कार्यों में पारदर्शिता जैसे अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए समसामयिक विषयों/कार्यों को सम्मिलित करते हुए विधायक निधि सम्बन्धी एक समग्र व्यावहारिक दिशा–निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसके क्रम में पुनर्गठित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इन दिशा–निर्देशों के प्रभावी होने से योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा जिससे आम जनमानस को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा।

(डॉ० राम विलास यादव)

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय
(भा.प्र.से.)

आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

अभिलेख

विधान सभा के मा० सदस्यों द्वारा समय–समय पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से की गई मांग के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2002 में विधायक निधि का गठन करते हुए तद्विषयक मार्गनिर्देश जारी किये गये थे।

समय–समय पर स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत, योजना के सफल कार्यान्वयन एवं लोकहित में विधायक निधि के मार्ग–निर्देशों में यथावश्यक संशोधन विषयक परिपत्र निर्गत किए गये हैं।

तद्विषयक जारी मार्ग–निर्देशों के सम्बन्ध में समय–समय पर बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत, स्थानीय मूलभूत आवश्यकतानुसार और अधिक विकासपरक कार्यों के संचालन, कार्यों के सरलीकरण आदि को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी संशोधनों को एक साथ संकलित कर पुनर्गठित दिशा–निर्देश निर्गत किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

पुनर्गठित मार्ग–निर्देशों में कुछ नये प्रावधानों का भी समावेश किया गया है जो निश्चित ही आम जनमानस के लिए इस योजना के अन्तर्गत लाभप्रद एवं कल्याणकारी साबित होंगे।

मुझे आशा है कि विधायक निधि सम्बन्धी नवीनतम दिशा–निर्देश योजना के बेहतर, समयानुसार और नियमबद्ध कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

विधायक निधि योजना सम्बंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

पृष्ठभूमि:-

विधान सभा के मा0 सदस्यों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में **"विधायक निधि योजना"** प्रारम्भ की गई तथा शासनादेश दिनांक 07.06.2002 से विधायक निधि का गठन कर योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बनाये गये, उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विभिन्न माध्यमों से मांग एवं औचित्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन भी होते रहे। वर्तमान में विधायक निधि की एक समग्र व्यावहारिक दिशा निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व के विधायक निधि सम्बंधी दिशा–निर्देशों को अवक्रमित करते हुए एकीकृत परिपत्र (Master Circular) के रूप में निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पुनर्गठित किया गया है:–

2. योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1 प्रत्येक विधान सभा के मा0 सदस्य, अनुभव की जा रही स्थानीय आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यों का विवरण देंगे एवं मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उसे कार्यान्वित करायेंगे।

2.2 जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, कार्यों का कार्यान्वयन विधान सभा के मा0 सदस्यों के सुझाव के अनुसार नगर निगमों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसी सरकारी या पंचायतीराज संस्थायें होंगी, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के योग्य समझते हों। विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकदारों को लगाया जा सकता है, लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।

2.3 कार्यों के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है, जो प्रभाग आवश्यक रूप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते बल्कि जो निर्माण कार्यों के लिए सक्षम भी है। मुख्य विकास अधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे, जिसके माध्यम से विधान सभा के मा0 सदस्यों द्वारा संस्तुत कोई विशेष कार्य निष्पादित किया जाना है।

2.4 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे एवं इस हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिये नहीं किया जायेगा। इस निधि का उपयोग सेवा सम्बन्धी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था/प्रयोजनों के लिए किया जा

सकता है लेकिन इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख–रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2.5 इस योजना से सम्बन्धित धनराशि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है; परन्तु ऐसा केवल उसी दशा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस प्रस्तर के अधीन जहां किसी परियोजना का आंशिक व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रूप से पहचान हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

2.6 योजनान्तर्गत किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है। यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय, परन्तु कभी–कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उसके निष्पादन में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है, उन परिस्थितियों में इस योजनान्तर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए धनराशि अग्रिम रूप से अथवा एक से अधिक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है।

2.7 विधायक निधि से आवंटित की जाने वाली धनराशि में से 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु व्यय किये जाने तथा किसी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग यदि निवास नहीं करते हैं तो अनुसूचित जाति के अंश को अनुसूचित जनजाति तथा यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते है तो अनुसूचित जनजाति के अंश को अनुसूचित जाति के लोगों के विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

2.8 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिर्वायतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति द्वारा भूमि अभ्यर्पित की गई है, उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अन्तर्गत हो, जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया हो उसे "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा जायेगा, जब तक अभ्यर्पण कानूनी वैधता प्राप्त न कर लें। साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए ही उपलब्ध होगी, जिसके लिए निर्माण किया गया हो।

2.9 मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किया जाय।

2.10 विधान सभा के मा0 सदस्य द्वारा चयनित कार्य एवं स्थान को मा0 सदस्य की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

3. कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन

3.1 कार्यों को अभिज्ञापित करने उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने से पहले मुख्य विकास अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित मा0 सदस्य की सहमति प्राप्त करें। यदि निर्माण कार्यों को करवाये जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हों तो सामान्यतः विधान सभा के मा0 सदस्यों के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन मामलों में मुख्य विकास अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्य–निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है, उनके सम्बन्ध में वे कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट, सम्बंधित मा0 सदस्यों को भेजेंगे तथा उनकी एक–एक प्रति शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को भी सूचनार्थ भेजेंगे।

3.2 जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों को उनका प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रकिया / शासनादेशों के आधार पर जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने का अधिकार जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिए।

3.4 चूंकि इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और आवास निगम आदि प्रदेश सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जायेगा। अतः सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु समन्वय, अनुश्रवण और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे, उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण, प्रबन्धन सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का सेंटेज चार्जेज आदि नहीं लेंगे।

3.5 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग, जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को सामान्य निर्देश जारी करेंगे, कि वे मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें अग्रसारित किये गये निर्माण कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें, ऐसे निर्देशों की प्रतियां मा0 सदस्य विधान सभा को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3.6 इस योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर सामान्य, वित्तीय और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं इस मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं वित्तीय नियमों आदि को ध्यान में रखते हुए लागू होगी।

3.7 इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुमन्य धनराशि का आवंटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा सदस्य परिवर्तित होते हैं और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहें कुछ भी हों, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखी जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्व और वर्तमान मा0 विधान सभा सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे।

3.8 जब कभी मा0 विधान सभा सदस्य किसी भी कारण परिवर्तित होंगे, कार्यों के क्रियान्वयन में यथा सम्भव निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये जायेंगेः–

(क) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणाधीन है, तो उसे पूरा किया जायेगा।

(ख) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन से अधिक बीत जाने पर भी किसी औचित्यपूर्ण कारणों से लम्बित पड़ा हो तो उसका भी निष्पादन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वह यथोचित मापदण्डों के अनुरूप हो एवं लम्बित रहने के कारणों को अभिलिखित करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के संज्ञान में लाया जायेगा।

(ग) यदि पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य किसी कार्य को चयनित/संस्तुत/ अभिज्ञापित कर चुके हो परन्तु इससे पहले के उप–प्रस्तरों में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा सदस्य उनका अनुमोदन करें, परन्तु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति को वास्तव में कार्य को प्रारम्भ करना माना जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि कार्यारम्भ वास्तविक रूप से धरातल पर दिखना चाहिये। मुख्य विकास अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य की श्रेणी, प्रकृति एवं स्थान में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. धनराशि की अवमुक्तिः–

4.1 मा0 विधान सभा सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पच्चीस लाख रूपये की लागत वाले कार्यो के प्रस्ताव रखे जायेंगें।

4.2 विधायक निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात विभागीय पद्धति (मस्टरौल)/कार्यादेश (work order) के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) रहेगी।

4.3 विधायक निधि से अन्तरित की जाने वाली धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः–

प्रथम त्रैमास में	35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास में	15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास में	35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास में	15 प्रतिशत

यह धनराशि जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और सम्पन्न कराये गये कार्य के वास्तविक व्यय के सापेक्ष उसी सीमा तक अथवा त्रैमास की सीमा जो भी कम हो, पी0एल0ए0 से आहरित की जायेगी। पी0एल0ए0 में रखी जाने वाली धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में होगा। विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर ही किया जायेगा।

4.4 यदि सम्बन्धित मा0 सदस्य विधान सभा, विधायक निधि का उपयोग करने में रूचि नहीं रखते हैं तो वह ग्राम्य विकास विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि निधि के उपयोग के सम्बंध में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

4.5 धनराशि को अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराशि का आंकलन करेगा एवं निर्माणाधीन कार्यों की लागत की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एकमुश्त तथा शीघ्रतिशीघ्र अवमुक्त की जायेगी। कार्यों की प्रकृति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यों के लिए आवंटन पर विचार किया जायेगा।

4.6 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः विधायक निधि में ही प्रत्यावर्तित (वापस) की जायेगी।

4.7 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि अन्य योजनाओं की भांति वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत (Lapse) नहीं होगी अर्थात इसे अग्रेनीत किया जा सकेगा।

4.8 विधायक निधि योजना अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा में राजकोष में जमा किया जाना होगा।

5. अनुश्रवण व्यवस्था:-

5.1 चूकिं इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के कियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, अतः मुख्य विकास अधिकारी इन कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण स्वयं करेगें तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रकिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है। इसी तरह उप–क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों द्वारा भी निर्माण कार्यों के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण/अनुश्रवण भी करना होगा। ऐसे दौरे और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हो, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे इसमें माननीय विधान सभा सदस्यों को भी शामिल करें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार उपर्युक्त निरीक्षण/अनुश्रवण की रिपोर्ट मा0 सदस्य विधान सभा और ग्राम्य विकास विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यों के निरीक्षण हेतु सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अधिकारी/कर्मचारी के लिए पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षण/सत्यापन हेतु न्यूनतम संख्या निर्धारित हो। शासन स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी मुख्य विकास अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट के सत्यापन हेतु समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा।

5.2 ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्येक स्तर योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं अद्यतन स्थिति की सूचना सदैव रखेगा। प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में निर्माण कार्यों की अद्यतन सूचना रहेगी, जिसे संकलित कर प्रतिमाह सॉटकॉपी (ई–मेल) एवं हार्डकॉपी पर शासन एवं आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना कार्यदायी संस्था/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयुक्त/शासन को प्रतिमाह 07 तारीख से पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।

5.3 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। विधायक निधि के अन्तर्गत Geotagging हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5.4 इस योजना से सम्बन्धित निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र तथा अन्य बिन्दु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

5.5 मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति मा0 विधान सभा सदस्यों को भी भेजी जायेंगी।

5.6 इस योजना के कार्यान्वयन में निरन्तर सुधार लाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग समूहों में मुख्य विकास अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगें। जिसमें विधान सभा सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा।

5.7 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. सामान्यः-

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है, मा0 विधानसभा सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवाया जायेगा।

6.2 कभी किसी भी कारणवश मा0 विधान सभा सदस्य परिवर्तित हैं और पूर्ववर्ती मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा कोई भी कार्य चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित नहीं किया गया हो तो उन पूर्ववर्ती मा0 विधानसभा सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मा0 विधान सभा सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित धनराशि से अतिरिक्त उपलब्ध नहीं होगी।

6.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान मा0 विधान सभा सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका उल्लेख इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले शासन के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.4 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में विधायक निधि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु सम्बन्धित विद्यालय की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के अधीन अधिकृत किया जाता है कि कार्य का आगणन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

6.5 विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों के साथ–साथ, विधायक निधि में लिए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़ाते हुए, सांसद निधि के दिशा निर्देशों में दी गई सूची के अनुसार भी यथासम्भव नियमानुसार कार्य कराये जा सकेंगे।

6.6 सांसद निधि के अन्तर्गत अनुमन्य/गैर अनुमन्य कार्य एवं समय–समय पर उनके सम्बंध में संशोधन भी विधायक निधि के अन्तर्गत स्वतः आच्छादित/अनुमन्य होंगे।

6.7 स्थाई परिसम्पत्तियां जो विधायक निधि से निर्मित हैं, के रख रखाव के लिए मा0 विधायक गणों को एक वित्तीय वर्ष में अनुमन्य विधायक निधि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की धनराशि

व्यय करने का प्राविधान किया जा सकता है, जिसे मा0 विधायक गणों के प्रस्ताव पर सम्पादित किया जायेगा, परन्तु Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

7. प्रशासनिक व्यय:-

7.1 विधायक निधि के सफल कियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक सम्प्रेक्षण हेतु नोडल विभाग, नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की धनराशि का 2% वार्षिक व्यय किया जायेगा।

8. अनुमन्य कार्य:-

8.1 विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो, ऐसे भवन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों, तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

8.2 गांवों, कस्बों अथवा नगरों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हो, करायें जा सकेंगे।

8.3 योजनान्तर्गत गांवों, कस्बों तथा नगरों के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कें, पार्ट–सड़कें, सम्पर्क सड़कें/लिंक सड़कें, खड़ंजा मार्ग, कच्चे मार्गों का निर्माण तथा इनसे सम्बंधित पुलियाओं/पुलों, नालियों के निर्माण/मरम्मत, सड़क का चौड़ीकरण/ समतलीकरण/ मरम्मत के कार्य करवाये जा सकते है, जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही जरूरत पूरी करने के लिए सम्बन्धित मा० सदस्य सहमत हों।

8.4 वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रम गृहों का निर्माण भी कराया जा सकता है।

8.5 मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल–कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल–कूद सम्बन्धी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण, व्यायाम केन्द्रों, खेल–कूद संघों, शारीरिक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है।

(स्पष्टीकरण) विधायक विकास निधि के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सांस्कृतिक तथा खेल सामग्री हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को सांस्कृतिक/खेल सामग्री की स्वीकृति जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकती है कि उक्त सामग्री का क्रय वे उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुसार करेंगे तथा क्रय के उपरान्त सम्बन्धित महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

8.6 सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण, जिसमें नलकूपों की नालियां तथा नहरों पर पुलियों/पुल का निर्माण भी सम्मिलित है, का कार्य कराया जा सकता है।

8.7 सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.8 सार्वजनिक शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, सेमेन्ट्री का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.9 सार्वजनिक शौचालयों और स्नानघरों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.10 सार्वजनिक नाले और गटरका निर्माण कराया जा सकेगा।

8.11 सार्वजनिक पैदल पथ, पगडंडियों और पैदल पुलों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.12 शहरों, कस्बों तथा गांवों की गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से बिजली, पानी, पगडंडियों, शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उक्त श्रेणी के कारीगरों हेतु कार्यशाला शेडों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.13 आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.14 सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पडाव/शेडों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.15 राजकीय पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.16 सरकारी अस्पतालों की एक्स–रे मशीन, एम्बुलेन्स जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते–फिरते दवाखानों की व्यवस्था विधायक निधि से की जा सकेगी।

8.17 सार्वजनिक उपयोग के भवन, बारात घर, चौपाल/रैनबसेरे का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.18 सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणाली/साधनों का निर्माण कराया जा सकेगा।

8.19 सार्वजनिक उपयोग की इलैक्ट्रॉनिकी परियोजनायें जैसे सूचना फुटपाथ, उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटरीकरण, सिटीजन बैण्ड रेडियो, गंथ्र सूची/डाटा बेस परियोजना आदि विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगें।

8.20 मा० विधायक की संस्तुति पर शासकीय एवं अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए साज–सज्जा एवं फर्नीचर क्रय तथा कम्प्यूटर के साथ कम्प्यूटर का फर्नीचर क्रय किया जा सकेगा।

8.21 मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों में हैल्थ क्लब की सुविधा अनुमन्य करायी जा सकती है।

8.22 मान्यता प्राप्त संघों के शिक्षक भवन का निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

8.23 राजकीय पशु चिकित्सालयों के लिए पशु एम्बुलेन्स हेतु धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।

8.24 ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो उन्हें खेलकूद एवं सांस्कृतिक क्रिया–कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबंधों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी–

क. प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल रू0 40.00 लाख से अनधिक धनराशि ही अनुमन्य कराई जा सकेगी।

ख. मान्यता प्राप्त ऐसे महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों जिनका ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक एवं विकास कार्यों में कम से कम 03 वर्ष से योगदान रहा हो, उन्हें

उपकरण/फर्नीचर/दरी आदि क्रय करने के लिये विधायक निधि से अधिकतम 1.00 लाख तक की धनराशि दी जा सकेगी, जो इस हेतु अनुमन्य सीमा–अन्तर्गत रहेगी।

ग. विधायक निधि से उपलब्ध करायी गयी धनराशि उसी कार्य में व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन के लिये वह उपलब्ध करायी गयी है।

8.25 विधायक निधि के तहत मा० विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निधि के तहत छोटे–बड़े सांस्कृतिक/कृषि/पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु अधिकतम रू0 20.00 लाख की धनराशि दी जा सकेगी।

8.26 राज्य के किसी भी क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, ओलावृष्टि, हिमस्खलन बादल फटना, कीट–हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं के आने पर तथा राज्य सरकार द्वारा आपदा घोषित किए जाने पर किसी भी विधायक द्वारा उस क्षेत्र में राहत कार्यों के लिए विधायक निधि हेतु वार्षिक रूप से निर्धारित धनराशि में से 10 प्रतिशत वार्षिक की सीमा तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु संस्तुत किए जाने पर व्यय किए जाने की अनुमति विधायक निधि के अन्तर्गत दी जा सकती है।

8.27 ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से रू0 25.00 लाख तक प्रतिवर्ष का व्यय किया जा सकता है।

8.28 किसी भी बड़ी नगर पालिका में प्रत्येक विधायक की प्रत्येक वर्ष की विधायक निधि की धनराशि में से अधिकतम रू0 50.00 लाख की धनराशि से एक पार्क की स्थापना/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा सकता है।

8.29 आबादी क्षेत्र के भवनों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न विभव की विद्युत लाइनों को हटाये जाने में आने वाले कुल व्यय भार का 30 प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्र के मा० विधायक के विधायक निधि से व्यय किया जा सकता है।

8.30 स्मारक या स्मारक भवन के अन्तर्गत मात्र शहीद स्मारकों का निर्माण कराया जा सकता है।

8.31 प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों हेतु बस क्रय की जा सकती है।

8.32 यदि कोई मा0 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग हेतु आई0पी0 कैमरा (सी0सी0टी0वी0) व वाई–फाई सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, तो विधायक निधि से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि इनकी स्थापना के उपरान्त इन पर होने वाला आवर्तक व्यय भी विधायक निधि मद से ही वहन किया जायेगा।

8.33 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा अवस्थापना सुविधाओं हेतु सार्वजनिक कार्य यथा गलियां व मार्ग (सी0सी0/विटुमिन), नाले एवं नालियां, पुलियाएं एवं नाला पार करने हेतु क्रासिंग, रिटेनिंग बॉल/पुश्ता, नदियों के किनारों पर कटाव से बचाव हेतु वायरक्रेट तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है।

8.34 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु किसी भी प्रकार के उपकरण एवं सुविधाएं विधायक निधि में अनुमन्य होगी।

8.35 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्ग प्रकाश हेतु विद्युत पोल एल0ई0डी0/सी0एफ0एल0, फिक्सचर, सोडियम, अन्य उपकरण, वाहन/हाईड्रोलिक वाहन तथा हाई–मास्क लाईट विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

8.36 नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश सम्बंधी देय विद्युत बिलों का भुगतान हेतु यद्यपि उक्त निकाय उत्तरदायी है, परन्तु इन निकायों के बोर्ड द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान, विधायक निधि से किये जाने का प्रस्ताव पारित करने की दशा में ही बिलों का भुगतान विधायक निधि से अनुमन्य होगा।

8.37 गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य समस्त कार्यों को विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा का विधायक निधि के साथ सामग्री अंश हेतु केन्द्राभिसरण किया जायेगा।

8.38 दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मा० विधायक अपनी वार्षिक विधायक निधि से अधिकतम रू0 10.00 लाख तक सिफारिश कर सकते हैं। इसका क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करवाया जायेगा।

8.39 राज्य एवं स्थानीय स्व–शासन निकाय से सम्बन्धित अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल, पेयजल एवं स्वच्छता के उद्देश्य से स्कूल बस/वैन, अर्थ मूवर आदि वाहनों की खरीद वित्तीय नियमों के अन्तर्गत की जा सकती है।

8.40 राज्य एवं स्थानीय स्व–शासन निकाय से सम्बन्धित स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों का कय किया जा सकता है।

8.41 मौजूदा सार्वजनिक खराब हैंडपंप के स्थान पर नये बोर पंप लगाये जा सकते हैं।

8.42 सार्वजनिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जा सकती है।

8.43 बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी प्रतीक्षा कुर्सियों/बैंचों (ओवरहैड शेड सहित) की स्थापना की जा सकती है।

8.44 मान्यता प्राप्त स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में छात्र/छात्राओं के हैन्डवॉश एंव पेयजल हेतु सामूहिक पेयजल सुविधा (common drinking water platform), नये शौचालयों का निर्माण, जल संयोजन, पुराने शौचालयों की मरम्मत, स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में मरम्मत के कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण तथा इसे शौचालयों से जोड़ा जाना एवं व्यर्थ पड़े पानी को लिफ्ट कर निकासी का कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।

8.45 राष्ट्रीय (ग्रामीण/शहरी) आजीविका मिशन (NRLM/NULM) के स्वयं सहायता समूहों हेतु वर्कशेड का निर्माण किया जा सकता है।

8.46 सरकारी अस्पताल हेतु रेफ्रीजरेटर, ऑफिस कम्प्यूटर, आर०ओ० प्लान्ट, गोदरेज स्टील फर्नीचर का क्रय किया जा सकता है।

8.47 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण एवं एकल पेयजल योजना का निर्माण किया जा सकता है।

8.48 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु कलेक्शन सेन्टर के लिए शेड का निर्माण, ग्राम पंचायतों में कूड़ादान, सैनेटरी नैपकिन्स एवं डायपर्स के निस्तारण के लिए इन्सेनेरेटर, कॉम्पेक्टर, कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली, मैकेनिकल एरोविक कम्पोस्टर सम्बन्धी कार्य अनुमन्य होगें।

8.49 योजनान्तर्गत शासकीय शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल एवं सार्वजनिक स्थल पर CCTV कैमरे स्थापित किये जा सकते हैं।

8.50 सरकारी भवनों तथा राज्य एवं स्थानीय स्वायत्त शासन से सम्बन्धित विद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल निकायों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा–जल संचयन प्रणालियों (जल संग्रह एवं भूजल रिचार्जिंग दोनों के लिए) की स्थापना अनुमन्य होगी।

9. विविध:-

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्य:-

10.1 केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से सम्बन्धित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।

10.2 वाणिज्यिक संगठनों, न्यासों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य।

10.3 किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।

10.4 स्मारक या स्मारक भवन (शहीद स्मारकों को छोड़कर)।

10.5 किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार (राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों हेतु बस क्रय को छोड़कर)।

10.6 भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि।

10.7 व्यक्तिगत लाभ की कोई भी योजना।

10.8 धार्मिक क्रियाकलापों से सम्बंधित कार्य (प्रस्तर 8.27 को छोड़कर)।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 97 / XI/18/56)38)2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक 24 जनवरी, 2018**

विषय : विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य धनराशि में प्रति विधायक रु० 1.00 करोड़ की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधायक निधि योजना के अन्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रु० 2.75 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि में रु० 1.00 करोड़ प्रति विधायक की वृद्धि करते हुए कुछ रु० 3.75 करोड़ प्रति विधायक / प्रति वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत (LAPSE) नहीं होगी तथा विधायक निधि की धनराशि की स्वीकृति / व्यय शासनादेश संख्या 2023 / XI/17/56(21) 2007TC-I दिनांक 05.12.2017 द्वारा विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 149 / वित्त–4 / 2018 दिनांक 23.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या /XI/18/56(38) 2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए० एण्ड ई०, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी / मा० ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा० सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
12. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(डा० राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्याः 160 /XI/19/56(68)2018

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांकः 01 जुलाई, 2019

विषयः– विधायक निधि योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यो में जी0एस0टी0 व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2937/कार्य0–7–2(01) विधायक निधि पत्रा0/2018–19/दिनांक 16.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयगत प्रस्ताव के कम में अवगत कराना है कि अन्य विभागों द्वारा जी0एस0टी0 का भुगतान उनके विभागीय बजट से ही किया जाता है, अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विधायक निधि योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु जी0एस0टी0 के भुगतान के लिए पृथक से व्यवस्था किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। अतः उक्त के सम्दंघ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से ही जी0एस0टी0 का भुगतान किये जाने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्याः 1716 /XI/18/56(21)2007 TCI

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 16 जुलाई, 2018

विषयः– रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/2014 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों का विधायक निधि योजनान्तर्गत व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 द्वारा निर्गत विधायक निधि मार्गनिर्देशिका के बिन्दु 9.1 में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है।

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

शासन के उक्त आदेश के उक्त बिन्दु को निम्नानुसार संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है :–

9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (**Solid and liquid waste management**), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना **Solid and liquid waste management plan** बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

उक्त शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

2

संख्याः /XI/18/56(21)2007TCI, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

संख्याः 408/XI/19/56(21)2007TC-1

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 06 फरवरी, 2019

विषयः–विधायक निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/दिनांक 05.12.2017 में संशोधन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 द्वारा विधायक निधि मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये है। शासन के आदेश संख्या 1716/XI/18/56(21)2007 TCI दिनांक 16.07.2018 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिन्दु 9.1 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है–

रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में उक्त आधारभूत अवस्थापना सुविधायें संतृप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

उक्त 10% की धनराशि का उपयोग केवल शासकीय विद्यालयों में ही किया जायेगा।

2– **शासन के उक्त आदेशों के विषय में निम्न व्यवस्था किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :–**

रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201/14 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, जल शोधक यंत्र (Water Purifier), फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Lab Equipment के अभाव को पूर्ण किया जाना है। यह कार्य विधायक निधि से अनुमन्य होंगे। **इस सम्बंध में 10% मात्राकरण की**

व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। इसी प्रकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management), सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नाले के निर्माण सम्बंधी कार्य विधायक निधि से अनुमन्य होगें, जिस हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना Solid and liquid waste management plan बनाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रकिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। **इस सम्बंध में 15% मात्राकरण की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।** उक्त दोनों कार्य मूल शासनादेश संख्या 2023/दिनांक 05.12.2017 के अनुमन्य कार्यों की सूची में यथावत् रहेंगे।

शासन के उक्त आदेश संख्या 2023/XI/17/56(21)2007 TCI दिनांक 05.12.2017 को तदनुसार संशोधित किया जाता है एवं शासनादेश संख्या 1716 /XI/18/56(21)2007 TCI दिनांक 16.07.2018 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः /XI/19/56(21)2007 TC-1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
3. मा0 सदस्य, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

No. RDS-02-COMP/OTH/6/2021-XI-2-Rural Development Department-Part(1) (Computer No. 473
I/109853/2023

I/109853/2023

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2023

विषयः विधायक निधि योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों में संशोधन एवं योजनान्तर्गत प्रति विधायक निर्धारित धनराशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1716 दिनांक 08.10.2021 एवं 2660/कार्य–7–2(01)/विधा0निधि/2022–23 दिनांक 12 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधायक निधि योजना के दिशा–निर्देश, 2018 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित करते हुए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित विधायक निधि की धनराशि के अतिरिक्त जी.एस.टी. की धनराशि अनुमन्य किये जाने के संबंध में भी दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित योजना एवं शासनादेश में स्तम्भ–3 में अंकित वर्तमान दिशा–निर्देश/प्रावधान को स्तम्भ–4 में अंकित दिशा–निर्देश/प्रावधान से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्र. सं.	योजना का प्रस्तर/ उप प्रस्तर/ शासनादेश संख्या	वर्तमान प्रावधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
1	2	3	4
1.	प्रस्तर–8 अनुमन्य कार्य उप प्रस्तर– 8.24	ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो, उन्हें खेलकूद एवं सांस्कृतिक	ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो, उन्हें खेलकूद एवं

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 30/05/2023 10:45 AM

I/109853/2023

		क्रिया–कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी– क प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल रू0 40.00 लाख से अनधिक धनराशि ही अनमुन्य कराई जा सकेगी।	सांस्कृतिक क्रिया–कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी– क प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल रू0 50.00 लाख से अनधिक धनराशि अनमुन्य कराई जा सकेगी।
2.	**प्रस्तर–8 अनुमन्य कार्य उप प्रस्तर– 8.27**	ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़कीरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से **रू0 25.00 लाख** तक प्रतिवर्ष का व्यय किया जा सकता है।	ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़कीरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से **रू0 50.00 लाख** तक प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकता है।
3.	**शासनादेश संख्या–97 दिनांक 24 जनवरी, 2018 द्वारा निर्धारित**	विधायक निधि योजनान्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रू0 2.75 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि में रू0 1.00 करोड़ प्रति विधायक की वृद्धि करते हुये कुल **रू0 3.75 करोड़** प्रति विधायक/प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।	विधायक निधि योजनान्तर्गत प्रति विधायक पूर्व से निर्धारित रू0 3.75 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि में रू0 1.25 करोड़ प्रति विधानसभा/प्रतिवर्ष की वृद्धि करते हुए, कुल **रू0 5.00 करोड़** (जी.एस.टी. को सम्मिलित करते हुए) प्रति विधायक/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 – इस आशय के पूर्व में निर्गत सभी दिशा–निर्देश/शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शेष दिशा–निर्देश/प्रावधान/शर्तें यथावत रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–I/109335/2023 दिनांक 24

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 30/05/2023 10:45 AM

I/109853/2023

मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam
Date: 25-03-2023 13:33:56
(डी0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0, महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. समस्त मा0 सदस्यगण, विधानसभा, उत्तराखण्ड द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
13. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन।
14. अनुभाग अधिकारी, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Anand Swaroop
Date: 29-03-2023 12:56:19
(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव

Generated from eOffice by MEENU RANA, RO-MR, REVIEW OFFICER, Rural Development Department on 30/05/2023 10:45 AM

(36)

संख्या 234/XI/14/56(08)2013

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग। देहरादून, दिनांक 12 मई, 2014

विषय– विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधानसभाओं की बचत/ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 3541/कार्य–7–2/16–वि.नि.पत्रा./2013–14 दिनांक 05 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधानसभाओं की अवधनबद्ध धनराशि, जो अब व्यय की जानी सम्भव नही है, को नियमानुसार राजकोष मे जमा किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधायक निधि के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि निम्नांकित लेखाशीर्षको मे नियमानुसार जमा करने का कष्ट करें–

1. ब्याज से प्राप्त धनराशि–

लेखाशीर्षक–0049–ब्याज प्राप्ति–04–अन्य प्राप्तियां–800–अन्य प्राप्तियां
12–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां–01–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां।

2. ब्याज के अतिरिक्त शेष धनराशि–

लेखाशीर्षक–4000–विविध पूंजीगत प्राप्तियां–01–सिविल–800–अन्य प्राप्तियां।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanne

संख्या– 1475 XI-2/21/56(35)2020

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2– मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषयः विधायक निधि योजनान्तर्गत निर्धारित प्रशासनिक मद की धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संतुलित विकास के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने तथा जनसामान्य से जुड़े विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांगों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में "विधायक निधि योजना" प्रारम्भ करते हुये शासनादेश संख्या–384/1/ग्रा.वि./वि0नि0/2002 दिनांक 07 जून, 2002 द्वारा योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय परिस्थिति को दृष्टिगत समय–समय पर यथावश्यक संशोधन भी किये जाते रहे हैं।

2– इसी क्रम में विधायक निधि योजना के दिशा–निर्देश के प्रस्तर–7 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रशासनिक मद की 2.0 प्रतिशत धनराशि का विभिन्न प्रयोजनों हेतु व्यय किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है–

7. प्रशासनिक व्ययः–
(1) विधायक निधि के सफल, कियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक सम्परीक्षण हेतु नोडल विभाग, नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की धनराशि का 2 प्रतिशत वार्षिक व्यय किया जायेगा। विधायक निधि के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु प्राविधानित 2.0 प्रतिशत धनराशि में से 0.4 प्रतिशत नोडल विभाग (आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड) तथा शेष 1.6 प्रतिशत, नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद (0.6 प्रतिशत जनपद तथा 1.0 प्रतिशत ब्लॉक स्तर पर) द्वारा निम्न प्रयोजनों हेतु व्यय की जायेगी–

I. तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण–वास्तविक लेखा परीक्षा तथा गुणवत्ता जांच।
II. राज्य स्तर/जनपद स्तर पर कार्यों की निगरानी।
III. प्रकाशन एवं अभिलेखीकरण
IV. कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय, वाहन का अनुरक्षण एवं ईंधन आदि पर व्यय, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं एवं तकनीकी सेवाओं पर व्यय, किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व, विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय, प्रशिक्षण व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर क्रय, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय एवं कार्यालय संचालन के हितार्थ तथा योजनाओं के सफल एवं समयान्तर्गत सम्पादन हेतु अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यय।
V. प्रबन्ध सूचना तंत्र का विकास, आंकड़ा प्रविष्टि सम्बन्धी कार्य करने, वेबसाईट का विकास एवं मरम्मत कार्य, आंकड़े अपलोड एवं अद्यतन करने इत्यादि के लिए सेवाओं/परामर्शकों के किराये का भुगतान।
VI. योजनान्तर्गत आवश्यक सेवाओं/परामर्शकों की ऑउटसोर्स से व्यवस्था, उपकरणों एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था।
VII. सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC/ICT) सम्बन्धी गतिविधियां।
VIII. GIS/Geo Tagging की व्यवस्था।

क्रमशः...2

(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नियमित अधिष्ठान एवं इस योजना के कार्यों हेतु व्यय की जानें वाली धनराशि के पृथक्करण (Separation) की व्यवस्था करते हुए, योजनान्तर्गत नोडल विभाग (आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग) नोडल जनपद एवं क्रियान्वयन जनपद के तहत विभाग के अन्तर्गत राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यों का विशिष्ट (Specific) विभाजन किया जाएगा, जिससे कि विभिन्न स्तरों/स्रोतों के कार्यों के साथ दोहराव (Duplicacy) तथा अतिव्यापन (Overlaping) को रोका जा सके एवं धनराशि का अपव्यय न हो।

(3) विधायक निधि हेतु धनराशि निर्गत/अवमुक्त करते समय प्रशासनिक व्यय के लिए प्राविधानित प्रश्नगत 2 प्रतिशत धनराशि को समानुपातिक रूप से पृथक किया जायेगा तथा इसके व्यय का पृथक लेखांकन करते हुये मितव्ययिता एवं धनराशि के प्रभावी उपयोग की दृष्टि से व्यय के सघन अनुश्रवण/ऑडिट की व्यवस्था की जायेगी एवं व्यय की गई धनराशि का सक्षम उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जायेगा।

परन्तुक, वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उससे पूर्व के वर्षों की जनपद स्तर पर अवशेष कन्टीजेन्सी की धनराशि का मात्र 01 प्रतिशत (0.2 प्रतिशत नोडल विभाग तथा शेष 0.8 प्रतिशत नोडल/कार्यान्वयन जनपद) ही उपर्युक्त बिन्दु संख्या(1) के उप प्रस्तर-I-VII में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु व्यय किया जायेगा तथा अवशेष 01 प्रतिशत कन्टीजेन्सी की धनराशि का व्यय विधायक निधि के दिशा-निर्देशानुसार किया जा सकेगा।

परन्तुक, जिन जनपदों द्वारा प्राविधानित कन्टीजेन्सी की धनराशि का व्यय कर लिया गया है, उक्त व्यय को समायोजित मान लिया जायेगा।

3- अतः उक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि योजना के दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7 में निर्धारित प्रशासनिक मद की धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-65/XXVII-4/2021 दिनांक 29.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। इस आशय के पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश/दिशा-निर्देश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय

(मनीषा पवार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. संयुक्त सचिव, गोपन (मन्त्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके अ.शा. पत्र संख्या-4/2/XXI/XXI/2021-सी.एक्स. दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के क्रम में सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
8. वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव